36

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल

(मांग सं 20 और 21)

छत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

छत्तीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल

(मांग सं 20 और 21)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2022-23).....		4
प्राक्कथन.....		6
प्रतिवेदन		
भाग-एक		
अध्याय एक	थल सेना	7
अध्याय दो	वायु सेना	21
अध्याय तीन	नौसेना	35
अध्याय चार	संयुक्त स्टाफ	47
अध्याय पांच	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना.....	51
अध्याय छह	सैनिक स्कूल.....	59
भाग-दो		
टिप्पणियां/सिफारिशें.....		66
परिशिष्ट		
रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दिनांक 20.02.2023, 22.02.2023, 24.02.2023 और 16.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश.....		112

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम. कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.*	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
.22	डॉ. अशोक बाजपेयी
.23	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@ 08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* 16.11.2022 से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह छत्तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 08 फरवरी, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 20, 22 और 24 फरवरी, 2023 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 16 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **जुएल ओराम**
17 मार्च, 2023 **सभापति**
.....फाल्गुन, 1944 (शक) **रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

प्रतिवेदन

अध्याय - एक

थल सेना

समिति को ज्ञात है और यह सर्वविदित तथ्य है कि थल सेना सशस्त्र सेनाओं का भूमि घटक है। भारतीय सेना भारत के विचार को मजबूत करती है और राष्ट्रीय मूल्यों का पालन करती है। यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए समर्पित है। थल सेना के समक्ष चुनौतियों में छद्म युद्धों को विफल करना, आंतरिक खतरों को विफल करना, सभी प्रकार की आवश्यकताओं और प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के दौरान सरकार और भारत के लोगों की सहायता करना शामिल है। थल सेना हेतु बजटीय मांगें मांग संख्या 19 और 20 में अंतर्विष्ट हैं।

1.2 वर्ष 2023-24 के लिए सेना की अनुदानों की मांगों की जांच के लिए, समिति ने रक्षा मंत्रालय से बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) पर प्रस्तावित और निर्धारित परिव्यय और बीई 2023-24 में अनुमान और आवंटन सहित पूंजी और राजस्व खंडों के लिए पृथक रूप से 2022-23 सहित गत पांच वर्षों के दौरान थल सेना हेतु वास्तविक व्यय का एक विवरण मांगा था। समिति को प्रस्तुत किए गए विवरण निम्नवत् सारणीबद्ध हैं:-

क. राजस्व

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बीई		आरई		व्यय
	अनुमान	आवंटन	अनुमान	आवंटन	
2018-19$	1,51,814.73	1,27,059.51	1,41,456.91	1,29,812.34	1,34,241.38
2019-20	1,52,321.32	1,40,398.49	1,52,424.82	1,42,773.83	1,42,529.38
2020-21	1,65,228.28	1,45,785.88	1,53,436.68	1,44,545.67	1,39,903.33
2021-22	1,70,705.28	1,47,644.13	1,68,657.23	1,57,619.06	1,57,092.05
2022-23	1,74,038.35	1,63,713.69	1,80,526.71	1,73,335.62	1,27,935.76*
2023-24	1,84,989.60	1,81,371.97	-	-	-

($ - सैन्य फार्म और ईसीएचएस को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान-एमओडी (विविध) में स्थानांतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में वापस डीएससी को लौटा दिया गया था)।

* आंकड़े दिसम्बर, 2022 तक के हैं ।

नोट : संशोधित अनुमान 22-23 और बजट अनुमान 2023-24 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अधीन हैं ।

ख. पूँजी

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बीई		आरई		व्यय
	अनुमान	आवंटन	अनुमान	आवंटन	
2018-19$	44,572.63	26,815.71	41,614.41	26,815.71	27,438.66
2019-20	44,660.57	29,511.25	46,032.00	29,666.90	29,000.88
2020-21	50,373.60	32,462.38	39,019.17	33,283.28	26,320.93
2021-22	51,492.10	36,531.90	38,344.90	25,377.09	25,130.94
2022-23	46,844.37	32,115.26	32,598.49	32,598.49	21,600.25*
2023-24	37,341.54	37,341.54	-	-	-

($ - सैन्य फार्म और ईसीएचएस को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान-एमओडी (विविध) में स्थानांतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में वापस डीएससी को लौटा दिया गया था)।

*आंकड़े दिसम्बर, 2022 तक के हैं ।

नोट : संशोधित अनुमान 22-23 और बजट अनुमान 2023-24 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अधीन हैं ।

राजस्व बजट

1.3 समिति ने पाया कि राजस्व बजट में दो मुख्य घटक होते हैं, वेतन और गैर-वेतन। बजट मद का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन के लिए व्यय होता है जो एक निश्चित व्यय है। गैर-वेतन व्यय भंडारण, राशन, परिवहन, ईंधन आदि पर होने वाले खर्चों को पूरा करता है जो थल सेना के नियमित प्रशिक्षण और परिचालनात्मक संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान (बीई) में, राजस्व शीर्ष के नामे, थल सेना का अनुमान 1,84,989.60 करोड़ रुपये था और आवंटन 1,81,371.97 करोड़ रुपये था, इसलिए आवंटन 3617.65 करोड़ रुपये कम हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) के मामले में, राजस्व शीर्ष के तहत, थल सेना का अनुमान 1,80,526.71 करोड़ रुपये था और आवंटन 1,73,335.62 करोड़ रुपये था। आवंटन मांग से 7191.09 करोड़ रुपये कम है, हालांकि, दिसंबर 2022 तक किया गया व्यय 1,27,935.76 करोड़ रुपये था।

पूंजीगत बजट

1.4. पूंजीगत बजट मुख्य रूप से आधुनिकीकरण, बल स्तर में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर व्यय के लिए प्रदान किया जाता है। पूंजी शीर्ष के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 हेतु बजट अनुमान में थल सेना का अनुमान 37,341.54 करोड़ रुपये था और इतनी ही राशि उन्हें आवंटित की गई। मांग की तुलना में आवंटन में कटौती नहीं की गई है, यद्यपी यह

रू.46,844.37 के बीई 2022-23 अनुमान से बहुत कम है। आरई 2022-23 में, थल सेना का अनुमान 32,598.49 करोड़ रुपये था और आवंटन में कटौती नहीं हुई। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 की तीन तिमाहियों में अर्थात दिसंबर 2022 तक व्यय केवल 21,600.25 करोड़ रुपये था।

1.5 मौखिक साक्ष्य के दौरान, बजट के कम उपयोग पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने समिति को निम्नानुसार बताया:

"पिछले साल की जितनी कैपिटल बजट में हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने पूरा यूटिलाइजेशन किया है। ज्यादातर चीजें, कम से कम राजस्व हिस्से पर, बीई स्टेज में भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो क्षमता है वह रेवेन्यू के हिसाब से भी है और कैपिटल के हिसाब से भी है। रेवेन्यू में इस बार सरकार ने, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, बीई स्टेज में दे दी, जो कि मेरे ख्याल से ओवर ऑल देखा जाए तो 30-40 पर्सेंट जंप है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफी हिसाब से मिलती है।"

आगे, सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

सर, आपने जो तीस हजार करोड़ की बात कही, जो कैपिटल बजट इस साल के लिए है, यह है जो इस साल का करेंट एक्सपेंडीचर है कैपिटल हेड के अंदर और जो पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियां है, प्रोक्योरमेंट के लिए एलाटमेंट किया है। अगली जो नई कैपिटल स्कीम्स हैं, वे 50 से 70 हजार करोड़ के अंदाज के अंदर अगले साल खर्च होगा।

इस प्रश्न पर कि क्या यह राशि पर्याप्त है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विनिर्माण और उत्पादन करने की हमारी क्षमता का कार्य है। पहले सपोर्ट के ऊपर काफी निर्भर रहते थे, हम घरेलू उत्पादन के लिए जा रहे हैं। घरेलू उद्योग की क्षमता हर महीने बढ़ रही है। जिसके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर कैपिसिटी है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

दूसरा, हमको यह भी मानना चाहिए कि अभी इंटरनेशनल बार्डर के अंदर जो हालात है, माउन्टनेस टेरेन है, जितना ..... खर्च कर सकता है, उतना हम नहीं खर्च कर सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था का कार्य है। उनकी जीडीपी अधिक है। लेकिन यह कहने के बाद कि, हमारी रिक्वायरमेंट डिफेंस है, हम पहाड़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी हिफाजत कारगर तरीके से कर सकते हैं। अगर वह हमला करना भी चाहता है तो हम माउन्टेन टेरेन का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए, हमें सीमाओं की सुरक्षा के लिए जितना निवेश करने की आवश्यकता है, वह आक्रामण करने की उनकी आवश्यकता से बहुत कम है। हम यह नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास ऑफेंन्सिव करने की क्षमता नहीं है, हम वह क्षमता रखते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेनटेन करें, यह कहने के बाद, यह काम लगातार चलता रहता है, मॉर्डेनाइजेशन का सिलसिला भी चलता रहता है। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी

कोशिश में कमी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा देने में कोई कमी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से, आने वाले वर्षों में, आप घरेलू विनिर्माण और घरेलू खरीद में बहुत अधिक फुर्ती देखेंगे।"

1.6 युद्ध स्तर पर आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता के संबंध में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय, माननीय सदस्य की चिंता रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के संबंध में है। जबकि एफए (डीएस) आपको सही आंकड़े देने में सक्षम होगा कि कैसे हमने इस अनुसंधान एवं विकास बजट को बढ़ाया है, मैं केवल दो चीजों पर समिति का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट है जो डीआरडीओ को दिया गया है। यह बजट का एक हिस्सा है। ऐसे डीपीएसयू भी हैं जिनके पास रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए अपना बजट है। मैं हाल ही में बीईएल में गया था। उनके पास एक नवाचार केंद्र है। वे अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करते हैं।

निजी क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। यह केवल हम ही नहीं हैं जो आईडीईएक्स और प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं, बल्कि वे स्वयं भी अनुसंधान और विकास आदि पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। हालांकि यह सब अमेरिका या चीन जैसे विकसित देशों द्वारा किए गए खर्च की तुलना में बहुत कम है, लेकिन एक बड़ी प्रगति हुई है। हमें उस बजट पर विचार नहीं करना चाहिए जो केवल डीआरडीओ से संबंधित और जो रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए दिए गए है बल्कि हमें इस पर संपूर्णता से विचार करना चाहिए। फिर, शायद यह आपको एक बेहतर और अधिक समग्र प्रकार की तस्वीर देगा।"

इसके अलावा, वित्तीय सलाहकार (डीएस) ने इस संबंध में स्पष्ट किया:

"मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। रक्षा के लिए बजटीय आबंटन दो पहलुओं का कार्य है। एक है सेना द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तुत की गई मांगें, और दूसरा वह व्यय है जो वे अतीत में होते रहे हैं। यह दोनों का संतुलन है। मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले पांच या छह वर्षों में, जहां तक पूंजी का संबंध है, सेना का व्यय 25,000 करोड़ रुपये से 28,000 करोड़ रुपये के बीच रहा है। इसके बावजूद, पिछले वर्ष के दौरान बजट जो उनकी मांग पर आधारित था, आधुनिकीकरण सहित 32,000 करोड़ रुपये रहा है। चालू वर्ष के दौरान इसे बढ़ाकर 37,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह उस मांग पर आधारित है जिसे

सेना ने अनुमानित किया है। इसे पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इसमें वे सड़कें भी शामिल हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। सेना के बजट में सड़कों के लिए हमें जो राशि दिया गया है, उसके अलावा सीमा सड़क संगठन के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह सेना का भी पूरक है। इसलिए, वास्तविक व्यय सेना के बजट में परिलक्षित होने वाले व्यय से कहीं अधिक है। यह 5,000 करोड़ रुपये पूरी तरह से सेना के लिए जाते हैं।"

1.7 अनुमान और आवंटन के बीच भारी अंतर के मुद्दे पर, एक प्रतिनिधि ने समिति को निम्नानुसार जानकारी दी:

"धन्यवाद महोदय। अनुमान के इस पहलू को पहले भी रक्षा मंत्रालय की प्रस्तुति के दौरान समिति द्वारा सामने लाया गया था। यह अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए जुलाई और सितंबर के बीच के समय के आसपास किया जाता है। अतः जब हम यह अनुमान लगाते हैं, तो यह एक कच्चा अनुमान होता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे हम वित्तीय वर्ष के करीब आते हैं, हम अपने आकलन के साथ अधिक सटीक होते जाते हैं। यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसका पालन हम रक्षा वित्त मंत्रालय में रक्षा वित्तपोषण के लिए करते हैं। इससे पहले, जैसा कि एफएडीएस ने बताया था, उनके पास वित्त मंत्रालय के साथ एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमें जो कुछ भी आवंटित किया गया है, मैं आपसे सहमत हूं कि यह वास्तविक अनुमानों से कम है। हालांकि, इस साल यह बहुत अधिक है, जब हम वेतन घटक देखते हैं तो यह मांग के बिल्कुल बराबर है। गैर-वेतन घटक केवल लगभग 3,600 करोड़ रुपये कम है।

यह एक अभूतपूर्व उछाल है। हमने बजट अनुमान के स्तर पर कभी 30 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की है। इस वर्ष हमें 30 प्रतिशत की वृद्धि मिली है। यह हमें शेष वित्तीय वर्ष के लिए बेहतर योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। हम अभी से ही लंबी अग्रणी योजनाएं बना सकेंगे। अन्यथा, होता यह है कि जब हमें वर्ष के अंत में धन मिलता है, तो हम उस स्तर पर लंबे समय की योजना निष्पादित नहीं कर सकते हैं।

आपके प्रश्न की बारीकियों पर आते हैं कि यदि काल्पनिक रूप से 6,000 करोड़ रुपये कमी हों, तो हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? हम यह करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये गौण शीर्ष हैं जिनके अंतर्गत हमने एनएसआर घटक का उपयोग किया है, जो कि गैर-वेतन राजस्व घटक है। अब, इसमें प्राथमिकता वाले शीर्ष होते हैं, जिनके बिना हम नहीं चल सकते क्योंकि वे प्रचालन से संबंधित हैं। वे प्रचालनात्मक कार्यों के

लिए हमारी आवश्यकताएं हैं जैसे सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की हमारी आवश्यकताएं; एओसी भंडार, जो गोला-बारूद हैं, हमारे जवानों के लिए उपकरण, इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें पूर्ण आवंटन या अधिकतम आवंटन दिया जाता है।

शेष के लिए, जैसे कि हमारे पास मेडिकल और पशु चिकित्सा स्टोर रूपी कार्य भी हैं। यह एक बड़ा कार्य है, लेकिन इसके लिए आम तौर पर हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है, जो इस वर्ष ऐसा नहीं है। अतः हम इस तरीके से इसका प्रबंधन करते हैं कि हम यहां आबंटन कम करते है। यहां, हम बाद में समायोजित कर सकते हैं जब हमें पूरक चरण या आरई स्तर पर और धनराशि मिलती है। इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं।"

1.8 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए पूंजी के कम अनुमान पर, एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय, सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, अनुमान तब लगाए गए थे जब हमने उन 47,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, जो कहीं न कहीं पिछले वित्तीय वर्ष के मध्य में था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, वास्तविक अनुमान कम हो गए और हम वह प्राप्त कर सके जो हम रक्षा मंत्रालय से चाहते थे।

उदाहरण, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह यह है कि पिछले वर्ष में, हम कोविड महामारी के कारण लगभग 10,500 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम नहीं थे, जिसे चालू वित्त वर्ष के दौरान काफी हद तक खर्च किए गए। अब, आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023-2024 के लिए, चाहे धनराशि पर्याप्त हो या न हो, आबंटन बिल्कुल उतना ही है जितना हमने मांगा है। यह पहली बार है कि हमें 100 प्रतिशत आवंटन मिला है।

लेकिन आपका सवाल था कि हमने अपनी आवश्यकताओं को पिछले वर्ष के 47,000 करोड़ रुपये से घटाकर 37,000 करोड़ रुपये क्यों कर दिया है, जो आंकड़ा हमने इस वर्ष दिया है।

अनुमान की प्रक्रिया के संबंध में, पहले जब हम स्वचालित नहीं थे और जब हमें इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि प्रतिबद्ध देनदारियां कितनी होंगी, तो हम थोड़ा अधिक मांगते थें और आमतौर पर यह माना जाता था कि हमें उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन, हाल ही में, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर, हमें अपनी

प्रतिबद्ध देनदारियों और आने वाली नई योजनाओं के बारे में बहुत अधिक स्पष्टता मिली है। हमें पूरा आश्वासन है। यदि आप देखें तो हमें अनुपूरक के साथ-साथ संशोधित अनुमान के दौरान भी अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। इसलिए, हमारे अनुमान बिल्कुल हमारी आवश्यकता के अनुसार और अधिक सटीक हो गए हैं। इसके कारण हमने इसे नीचे उतारा है। हमें वित्त मंत्रालय से पहले ही आश्वासन मिला है कि जरूरत पड़ने पर पूंजी में और राशि दिया जाएगा।"

इसके अलावा, इस विषय पर, वित्तीय सलाहकार (डीएस) ने कहा:

"महोदय, मैं आपके प्रश्न के एक भाग का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न यह था कि क्या बजट के माध्यम से किसी प्रकार की बाजीगरी की गई है। हम यह बताना चाहेंगे कि अभी सरकार का जोर पूंजीगत व्यय पर है। हम जो कुछ भी मांग रहे हैं, हमें मिल रहा है। सटीक आंकड़ा इसी वजह से है। सेना ने जो मांगा वह दे दिया गया। यह एक पूर्णांक आकड़ा था। यह 1,62,000 करोड़ रुपये था जो हमने मांगा था।

.....महोदय, बिल्कुल नहीं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सेना जो व्यय करती है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, वह एक कार्य है कि उनकी मांग क्या है और वे वास्तव में क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप देखें, तो आपने स्वयं उल्लेख किया है कि यह 29,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए के बीच है। इसके बावजूद, चालू वर्ष में सेना को 32,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि वे इसे खर्च करेंगे। हमने इसे बढ़ाकर 37,000 करोड़ रुपये कर दिया है। यद्यपि व्यय की प्रवृत्ति अतीत में दिखाई नहीं देती है, फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसकी आवश्यकता है, हमने ऐसा किया है।"

<u>सेना के बजट का प्रतिशत हिस्सा</u>

1.9 समिति ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल रक्षा बजट में से राजस्व और पूंजीगत दोनों खंडो में सेना के बजट का प्रतिशत हिस्सा जानना चाहा। रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आकड़े नीचे सारणीबद्ध है:

"पिछले पांच वर्षों के लिए रक्षा सेना अनुमानों (डीएसई) के लिए राजस्व एवं पूंजीगत आवंटन की प्रतिशत अंश निम्नलिखित है:

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन (रक्षा सेना अनुमान)#	सेना (राजस्व)	प्रतिशत अंश	सेना (पूंजीगत)	प्रतिशत अंश	सेना (राजस्व + पूंजीगत)	प्रतिशत अंश
2018-19	2,79,305.32$	1,27,059.51	45.49	26,815.71	9.60	1,53,875.22	55.09
2019-20	3,05,296.07	1,40,398.49	45.99	29,511.25	9.67	1,69,909.74	55.66
2020-21	3,23,053.00	1,45,785.88	45.13	32,462.38	10.05	1,78,248.26	55.18
2021-22	3,47,088.28	1,47,644.13	42.54	36,531.90	10.53	1,84,176.03	53.06
2022-23	3,85,370.15	1,63,713.69	42.48	32,115.26	8.33	1,95,828.95	50.82

(# डीएसई में सेना, नौसेना, वायुसेना, संयुक्त स्टाफ, डीआरडीओ, आयुध निर्माणी, एनसीसी एवं डीजीक्यूए बजट शामिल है)

($ - इसमें सैन्य फार्म एवं ईसीएचएस शामिल नहीं है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान - एमओडी (विविध) में अन्तरित कर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः डीएसई को लौटा दिया गया था)

1.10 रक्षा सेवा अनुमानों में से सेना के राजस्व बजट का प्रतिशत हिस्सा 2018-19 में **45.49** प्रतिशत से घटकर 2022-23 में **42.48** प्रतिशत और पूंजीगत बजट में हिस्सा 2018-19 में **9.60** प्रतिशत से घटकर 2022-23 में **8.33** प्रतिशत हो गया है।

आधुनिकीकरण के लिए बजट

1.11 समिति को बताया गया कि रक्षा सेना अनुमानों (डीएसई) में प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए अलग से कोई निधियां नहीं है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत अर्जन (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत बजट अनुमान चरण पर सेना को 25,908.85 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी । इसके अलावा प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के बीच निर्धारण, सेना मुख्यालयों द्वारा परियोजनाओं / योजनाओं के बीच प्राथमिकता और संविदात्मक लक्ष्यों की प्रगति पर आधारित हैं । इन आवंटनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में 18,503.87 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) का व्यय किया गया है। व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में सेना को 1142.15 करोड़ रु. की धनराशि का आवंटन किया गया था। अभ्यर्पन, यदि कोई है, को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित समायोजन को अन्तिम रूप देते समय देखा जाएगा ।

1.12 समिति को आगे एक लिखित प्रस्तुती माध्यम से अवगत कराया गया था:

".....आधुनिकीकरण (पूंजी अधिप्राप्ति) शीर्ष के तहत, वित्त वर्ष 2018-19 में थल सेना ने एचएएल परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं, अपाचे के लिए नकद बर्हिवाह, एमजीओ द्वारा एक्स ट्रेड खरीदे जा रहे वाहनों, आपात स्थिति में विद्युत खरीद, सीएटीएसएए के प्रभाव सहित मौजूदा संविदात्मक शर्तें और उत्तरदायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध देयताएं और महत्वपूर्ण 10(i) के कारण होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पहले पूरक चरण में 16,293.19 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन और दूसरे और तृतीय पूरक चरण में 13,400.08 करोड़ रूपए के अतिरिक्त आबंटन की मांग की थी। हालांकि मंत्रालय को पूरक चरणों में कोई भी अतिरिक्त आबंटन नही प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, एचएएल को प्रतिबद्ध भुगतान, विदेशी प्रतिबद्ध देयताएं, डीपीएसयू, ब्रहमोस और निजी विक्रेता, और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण वाहनों की खरीद इत्यादि के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण/ पूंजीगत निधि के तहत प्रथम पूरक चरण में 13,978.42 करोड़ रू. के अतिरिक्त आबंटन और दूसरे अनुपूरक चरण में 8,118.00 करोड़ रूपए के अतिरिक्त आबंटन की मांग की थी। हालांकि अनुपूरक चरण में मंत्रालय को कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नही हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिबद्ध देयताओं के प्रति कमी, आपात स्थिति विद्युत- 2020 और सेंट्रल बिस्टा प्रोजेक्ट के संबंध में कार्यालय के निर्माण कार्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेना ने प्रथम अनुपूरक चरण में 7300 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन की मांग की थी। आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिप्राप्ति) शीर्ष के तहत दूसरे और अंतिम अनुपूरक चरण में अतिरिक्त निधि की कोई मांग नही की गई थी।

आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिप्राप्ति) शीर्ष के तहत भारतीय सेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम, द्वितीय और अंतिम अनुपूरक चरणों में अतिरिक्त आबंटन की कोई मांग नही की थी।

आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिप्राप्ति) शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम चरण में सेना ने किसी अतिरिक्त आबंटन की मांग नहीं की थी।

1.13 विगत पांच वर्षों के दौरान आरई चरण में आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) के तहत सेना द्वारा अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता का और किए गए आबंटन का ब्यौरा निम्न है:

(करोड़ रू. में)

वर्ष	**बीई आबंटन**	**आरई अनुमान**	**आरई चरण में बीई आबंटन ऊपर अनुमानित अतिरिक्त निधि**	**आरई आबंटन**
2018-19	21,338.21	34,738.29	13,400.08	21,168.21
2019-20	23,000.63	36,979.05	13,978.42	23,517.31
2020-21	26,068.61	31,961.00	5,892.39	26,068.61
2021-22	30,636.90	30,636.90	0.00	19,485.09
2022-23	25,908.85	27,051.00	1,142.15	27,051.00

नोट : आरई 2022-23 आंकड़े संसद के अनुमोदन के अधीन है।

"आरई चरण से ऊपर किए गए आबंटन व्यय की गति, अन्य सेवाओं की महत्वपूर्ण आवश्यक्ता और पूंजीगत शीर्ष के तहत उपलब्ध समग्र संसाधन क्षमता पर आधारित है। यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि संक्रियात्मक गतिविधियों के लिए आबंटित निधि का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। यदि अपेक्षित हो तो योजनाओं की पुन: प्राथमिकता तय की जाए ताकि रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारी के साथ बिना किसी समझौते के तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को सुनिश्चित किया जा सके।"

1.14 समिति ने जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या ड्रोन के लिए बजट में कोई प्रावधान है, सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"नार्थ ईस्ट में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तीन अलग-अलग किस्म के ड्रोन्स होते हैं। एक हाई एल्टीटयूड ड्रोन है। एक मीडियन एल्टीटयूड ड्रोन है और एक लोअर एल्टिटयूड टेक्टिकल/ऑपरेशनल ड्रोन है। हमारे पास तीनों किस्म के ड्रोन्स मौजूद हैं। खास तौर पर जो मीडियन एल्टिटयूड लॉन्ग एंड्योरेंस जिसे बोलते हैं, वह एक बार उड़ता है तो **36** घंटे तक लगातार काम में जुड़ सकता है। उस टाइप के हमारे पास मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म्स हैं। स्पेशली **6** महीनों के अंदर हमने सेटेलाइट कंट्रोल ड्रोन्स को भी उस इलाके में डेप्लॉय किया है, जो लॉन्ग रेंज में जाकर सर्विलांस कर सकते हैं। इसके अलावा हर यूनिट के अंदर जो छोटे ड्रोन्स हैं, उनमें से कुछ इंडिजिनस भी हैं और एक स्विचब्लेड बोलकर एक कंपनी है, जिसे हाल ही में सप्लाई किया है। मैं मोटे तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि जो सर्विलांस की जरूरत है, उसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, वह मौजूद है और उसको इस्तेमाल करते हुए हम सर्विलांस कर रहे हैं।"

1.15 मौखिक साक्ष्य के दौरान, इस विषय पर, पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से, भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"आधुनिकीकरण बजट का उपयोग हथियारों, गोला-बारूद और अन्य युद्ध जैसे उपकरणों के लिए डिलीवरी-आधारित भुगतान करने के साथ-साथ नए अधिप्राप्तियों के भुगतान के लिए भी किया जाएगा। कई अधिप्राप्ति योजनाएं अनुमोदन के उन्नत चरणों में हैं, और हमें वित्त वर्ष 2023-24 में उनके फलीभूत होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2022 में भारतीय सेना को सौंपी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात फ्रंटलाइन सैनिकों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।**"**

<u>आयोजना और खरीद</u>

1.16 आयोजना और खरीद के संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी)/रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) दस वर्षीय एकीकृत विकास योजना (आईसीडीपी), पांच वर्षीय रक्षा क्षमता अर्जन योजना (डीसीएपी) एवं वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) के जरिए किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) में सूचीबद्ध मामलों पर डीपीपी/डीएपी प्रावधानों और दी गई वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सेना के पूंजीगत अधिग्रहण शीर्षों के अंतर्गत आवंटित निधियों और बजट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

गत वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.12.22 तक) आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

वर्ष 2021-22		**2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)**	
एओएन की संख्या	मूल्य (रू. करोड़ में)	एओएन की संख्या	मूल्य (रू. करोड़ में)
8	17,010.75	21	43,667.92

वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान 60678.67 करोड़ रू. मूल्य की 29 एओएन को मंजूरी दी गई है जो बाद के वर्षों में सेना में उपस्करों के अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।"

1.17 मौखिक साक्ष्य के दौरान, इस विषय पर, पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से, भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> **"**भारतीय सेना को अक्टूबर 2022 से आपातकालीन खरीद शक्तियां सौंपी गई थीं। इन प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत खरीद ने आईएसआर और उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात सैनिकों की लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसे भारतीय उद्योग द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ प्राप्त किया गया था।**"**

<u>स्वदेशीकरण</u>

1.18 समिति स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की दिशा में सेना द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानना चाहती थी। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि गत पांच वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2021-22) और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) सेना के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति हेतु कुल 90 पूंजीगत अधिग्रहण संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें से 62 संविदाओं का मूल्य कुल संविदा मूल्य का लगभग 84 प्रतिशत है; उन पर रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.19 समिति को दी गई सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान सेना द्वारा रक्षा उपस्करों की स्वदेशी अधिप्राप्ति पर किए गए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	**स्वदेशी अधिप्राप्ति**
2017-18	17,897.62
2018-19	17,690.47
2019-20	19,619.62
2020-21	17,446.83
2021-22	17,290.96

1.20 स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयासों के मुद्दे पर भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> "भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल को भारतीय सेना द्वारा सेना डिजाइन ब्यूरो, स्वदेशीकरण निदेशालय, सेना प्रौद्योगिकी बोर्ड और सृजन एप्लीकेशन, रक्षा उत्पादन विभाग और आईडीईएक्स पहल जैसे कई अन्य प्रतिष्ठानों के माध्यम से अकादमी और उद्योग तक पहुंच और कई पहलों के माध्यम से पूरी तरह से समर्थन किया गया है।

स्वदेशी हथियारों और प्लेटफार्मों को शामिल करके आधुनिकीकरण को आगे और अधिक बढ़ाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में स्वदेशी स्त्रोतों से नए उपकरणों और हथियारों की खरीद के लिए 99,569 करोड़ रुपये के एओएन स्वीकृति मिली हैं।"

स्वदेशीकरण के बारे में आगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने निम्नानुसार बताया:

"स्वदेशीकरण के संबंध में, आप इसे 2014 के बाद से लेते हैं, मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भरता या स्वदेशीकरण हुआ था, हमने वास्तव में जो कुछ भी शुरू किया वह इस यूक्रेनी संकट के कारण सच हुआ है और अब हमें एहसास हुआ है कि अगर हम स्वदेशी रूप से चीजों का उत्पादन कर रहे होते, तो हम विदेशी स्रोतों पर निर्भर नहीं होते। जब हम उपकरणों और इन्वेंट्री जो हमारे पास हैं, के स्वदेशीकरण को देखते हैं, तो हमें दोनो भागों को देखना चाहिए। एक पूंजीगत उपकरण है जिसे हम उच्च गुणवत्ता और उच्च तकनीक वाले उपकरणों की तरह खरीदने जा रहे हैं जो काफी मुश्किल है और दूसरा वह भाग है जो कल-पुर्जों, एमआरओ और गोला-बारूद जैसी बड़ी घटक वाली चीजों से संबंधित है। यह दूसरा भाग है जिसकी मात्रा बहुत बड़ी है और जिसमें क्षमता है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश स्थिर है। निजी क्षेत्र सहित बड़ी संख्या में एमएसएमई आदि और बहुत से लोगों ने प्रतिभा दिखाई है और यह काफी हद तक निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। आयुध कारखानों में हमने आपके द्वारा उल्लिखित मुद्दों के कारण इसे कार्यान्वित किया है। उन्होंने कुछ सुधार किए। हमने उन आयुध कारखानों का निगमीकरण किया है।

अब सात प्रकार के डीपीएसयू हैं। वे निविदा के रूप में प्रतिस्पर्धी आधार पर निष्पादन करते हैं। इससे पहले, वे आयुध कारखानों को इंडेंट देते थे। वे 500 राइफल और 5000 वर्दी की मांग करते थे। अब, उस सभी मांग को एक आपूर्ति आदेश में बदल दिया गया है जिसमें शर्तें हैं जैसे कि उन्हें इसे समय पर देना होगा और भुगतान तदनुसार जारी किया जाएगा। उनके लिए प्रतिस्पर्धा और विविधता लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह एक अलग विषय है। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

स्वदेशीकरण की लागत प्रतिस्पर्धी है या नहीं? जब हम कुछ भी शुरू करते हैं, तो लागत स्पष्ट रूप से अधिक होगी। आपको गोला-बारूद या राइफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र में भी दो या तीन लोग नहीं मिलेंगे। केवल एक वेंडर होगा और आर एंड डी में निवेश शुरू में अधिक होगा। इसलिए, एक विदेशी वेंडर जो आपूर्ति कर रहा है, जाहिर है, इसकी लागत थोड़ी कम होगी। इसलिए, लागत के हिसाब से, मुझे लगता है कि हम अभी भी मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन इसे स्वदेशी रूप से करना बेहतर है, भले ही यह अधिक लागत हो। मैं यही सुझाव दूंगा ताकि हमारे पास एक आधार हो। एक बार जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो सरकार अब कर रही है, तो बड़ी

संख्या में वस्तुएं जिन्हें हम केवल स्वदेशी रूप से तैयार कर रहे हैं, संभवत, कुछ समय बाद, लागत में भी कमी आएगी। निजी क्षेत्र के साथ-साथ उद्योग में भी गुणवत्ता में सुधार होगा।"

आगे सीडीएस बताया:

.....सर, आत्मनिर्भरता के बारे में अगर हम बात करें, आपने वसुधैव कुटुम्बकम् की बात कही, अगर आत्मनिर्भरता को देखें तो इसका पहला शब्द ही आत्म है, जो सेल्फ-रियलाइजेशन और सेल्फ-कांफिडेंस है। सेल्फ-रियलाइजेशन में भी पहला शब्द सेल्फ है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तब हम केवल वेपन्स की ही बात नहीं कर रहे हैं या आर्म्स-एम्युनिशन की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारी थॉट प्रोसेस भी शामिल है। हम वेस्टर्न स्ट्रेट्जी या वेस्टर्न टेक्टि क्स को क्यों इनकॉरपोरेट करें? ऐसी हमारी जो चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, क्यों न उनकी ही बात की जाए और उसी तरह की ट्रेनिंग हो। इसलिए इसमें हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बियॉण्ड देखना पड़ेगा। इस चीज का फायदा हमें लॉंग टर्म में मिलेगा, क्योंकि दुश्मन हमारी टैक्टिमक्स और हमारी अंडरस्टैंड को नहीं समझ पाएगा। इसी तरह हमारे यहां विकसित किए गए वेपन्स की कैपेबिल्टी के बारे में उनको पता नहीं रहेगा। आज अगर हम एक हवाई जहाज या मिसाइल खरीदते हैं तो उसकी रेंज, क्षमता, उसमें कौन सा सीकर है, कैसे वह जाम हो सकता है आदि सारी चीजें लोगों को पता होती है। इसलिए इंडिजिनस डेवलपमेंट और इंडिजिनस टैक्टिक्स में फायदा है।"

<u>विंटेज और अन्य श्रेणी के उपकरण</u>

1.21 विचार-विमर्श के दौरान 2018 में रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मुद्दा भी उठाया गया कि आधुनिक सशस्त्र सेनाओं के पास विंटेज श्रेणी में एक तिहाई उपकरण, वर्तमान श्रेणी में एक तिहाई और अत्याधुनिक श्रेणी में एक तिहाई उपकरण होने चाहिए। सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"महोदयप्रतिशत नई पीढ़ी के 30 था। 30:40:30 आप सही कह रहे हैं। यह , 40 ,उपकरण थेप्रतिशत वर्तमान उपकरण थे और पुरानी पीढ़ी के प्रतिशत 30 प्रतिशत नई पीढ़ी 15 स्थिति यह है कि लगभग ,उपकरण हो सकते थे। वर्तमान में और शेष पुरानी पीढ़ी के ,प्रतिशत वर्तमान उपकरण हैं 40 लगभग ,के उपकरण हैं उपकरण हैं। अतः यह वह ,बदलाव है जिस पर हमें आगे बढ़ना है। की 30:40:30 आदर्श स्थिति तक पहुंचनेके लिए सक्षम होने में हमें अभी कुछ समय लगेगा।"

अध्याय – दो

वायु सेना

वायु सेना सशस्त्र बलों की वायु में वृद्धि करती है। प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए, भारतीय वायु सेना के पास विभिन्न कमान हैं, जिनके तहत पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न स्टेशन और यूनिट हैं। आपदा राहत के दौरान मानवीय सहायता भारतीय वायु सेना की एक और महत्वपूर्ण और स्मरणीय भूमिका होती है। वायु सेना के लिए बजटीय मांगों को मांग संख्या 19 और 20 में निहित किया गया है।

2.2 समिति ने रक्षा मंत्रालय से **2022-23** सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान वायु सेना के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय पर प्रस्तावित और निर्धारित परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण मांगा था, जिसमें बजट अनुमान **2023-24** में अनुमान और आबंटन के साथ पूंजी और राजस्व खंडों के लिए अलग-अलग किया गया था। समिति को प्रस्तुत किए गए ब्यौरे निम्नवत हैं:-

क. राजस्व

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन		संशोधित प्राक्कलन		व्यय
	अनुमान	आबंटन	अनुमान	आबंटन	
2018-19	35,260.79	28,821.27	32,407.37	28,105.43	28,291.25
2019-20	34,849.50	29,601.69	40,382.40	29,951.69	30,124.31
2020-21	43,904.17	29,962.66	44,605.21	31,742.07	32,825.23
2021-22	44,992.90	30,652.53	48,816.59	34,283.02	34,375.46
2022-23	50,692.44	32,873.46	54,997.72	44,728.10	29,214.45*
2023-24	68,081.58	44,345.58	-	-	-

*आंकड़े दिसम्बर, 2022 तक के हैं।

ख. पूंजी

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन		संशोधित प्राक्कलन		संशोधित
	अनुमान	आबंटन	अनुमान	आबंटन	प्राक्कलन
2018-19	77,694.74	35,770.17	68,579.46	35,770.17	36,451.74
2019-20	74,894.56	39,347.19	81,301.99	44,947.19	45,104.23
2020-21	66,207.29	43,281.91	72,955.18	55,083.91	58,207.95
2021-22	77,140.56	53,214.77	71,176.39	53,214.77	53,217.19
2022-23	85,322.60	56,851.55	56,264.54	53,871.17	27,631.50*
2023-24	58,808.48	58,268.71	-	-	-

*आंकड़े दिसम्बर, 2022 तक के हैं।

नोट: आरई 22-23 और बीई 23-24 आंकड़े संसद के अनुमोदन के अध्यधीन है।

राजस्व बजट

राजस्व बजट में दो मुख्य घटक होते हैं, वेतन और गैर-वेतन। बजट मद का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन व्यय के लिए जाता है जो एक निश्चित व्यय है। गैर-वेतन व्यय स्टोर, राशन, परिवहन, ईंधन आदि पर होने वाले व्यय को पूरा करता है, जो वायु सेना के नियमित प्रशिक्षण और परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों (बीई) में, राजस्व मद की तुलना में वायु सेना का अनुमान 68,081.58 करोड़ रुपये और आबंटन 44,345.58 करोड़ रुपये किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) के मामले में, राजस्व मद के तहत, वायु सेना का अनुमान 54,997.72 करोड़ रुपये था और किया गया आबंटन 44,728.10 करोड़ रुपये था। आबंटन 10,269.62 करोड़ रुपये की मांग से कम है और दिसंबर 2022 तक किया गया खर्च 29,214.45 करोड़ रुपये था।

पूंजीगत बजट

पूंजीगत बजट में मुख्य रूप से आधुनिकीकरण, ताकत में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में पूंजीगत मद के तहत वायु सेना का अनुमान 58,808.48 करोड़ रुपये था और आबंटन 58,268.71 करोड़ रुपये है। मांग के मुकाबले आबंटन में 539.77 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। आरई, 2022-23 में वायु सेना का अनुमान 56,264.54 करोड़ रुपये था, जिसकी तुलना में 53,871.17 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, इसलिए, 2393.37 करोड़ रुपये मांग से कम थे। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 की तीन तिमाहियों अर्थात् दिसंबर 2022 तक का खर्च मात्र 27,631.50 करोड़ रुपये ही था।

2.3 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

> "इसमें देखा जा सकता है कि सारा एलोकेटेड बजट एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ था। एयरफोर्स के लिए जैसे-जैसे पैसे की जरूरत पड़ी, एडीक्वेट बजट एलोकेशन से पूरी हो गयी। अगर इस बजट को कैपिटल और रेवेन्यू में ब्रेक डाउन करें तो रेवेन्यू में एलोकेशन एडीक्वेट रहा है और जिस परपज़ के लिए एलोकेशन हुआ था, उसे इस्तेमाल किया गया है। रेवेन्यू बजट का एलोकेशन सेलरी में जाता है और जो अदर दैन सेलरी कोडेड होता है, इससे ट्रेनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्टेनेंस और सस्टेनेंस किया जाता है। इस तरह से ऑलमोस्ट 40-50 परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेलरी और अदर दैन सेलरी में किया जाता है। वायुसेना का अधिकतर रोल

फ्लाइंग रिलेटिड ऑपरेशन में किया जाता है जो काफी महंगा पड़ता है, इसलिए 25 परसेंट ऑफ अदर दैन सेलरी का एक्सपेंडिचर फ्यूल में ही होता है।"

2.4 पिछले साल के अनुमान की तुलना में बजट अनुमान में कमी के बारे में पूछे जाने पर, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"सर, जहां तक अनुमान का सवाल है, पिछले साल हमारा अनुमान 85,000 करोड़ रुपये था और हमें आखिरकार 57,000 करोड़ रुपये का आबंटन मिला, जिसका हमने उपभोग किया। इस साल अनुमान खुद ही कम रहा है, इसकी वजह रूस-यूक्रेन युद्ध था, क्योंकि हमारी कुछ डिलीवरी नहीं हो रही है। इसलिए, हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये डिलीवरी नहीं होंगी। इसलिए, हमने घटक के उस भाग को निकाल लिया है। इसे प्रोजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा, जब हम भुगतान कर रहे होते हैं, तो हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह चरण-वार भुगतान होता है, इसलिए हम उसी परियोजना को ध्यान में रखते हैं, जो उस वर्ष में होने वाली संभावित भुगतान के अंतर्गत है और उसके आधार पर हम प्रोजेक्ट करते हैं और हम कभी-कभी उसमें भी बदलाव करते हैं क्योंकि विशेष रूप से अन्य देशों के शामिल होने के कारण कुछ चीजों में देरी होती है और अब तक हमें इस मामले में कोई समस्या नहीं हुई है कि हमें कब पैसे की जरूरत थी और हमारे पास नहीं थी . रूस और यूक्रेन दोनों ही हमें चीजें पहुंचा रहे हैं।"

कम अनुमान के संबंध में एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार कहा:

"सर, जहां तक अनुमान को कम करने का सवाल है, इसका कुछ हिस्सा पुर्जों को कवर करता है,..... लेकिन एक बड़ी परियोजना है... जहां युद्ध के कारण आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसलिए, इस साल हमारे पास एक ज्यादा आपूर्ति होने की सभावना थी, जो होने वाली नहीं है। उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि वे इसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अनुमान का बड़ा हिस्सा कम कर दिया गया है।"

<u>वायु सेना के बजट का प्रतिशत हिस्सा</u>

2.5 समिति ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल रक्षा बजट में से राजस्व और पूंजीगत दोनों क्षेत्रों में वायु सेना के बजट की प्रतिशत हिस्सेदारी, अनुमान, आबंटन और व्यय में अंतर के कारणों के बारे में जानना चाहा। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े नीचे सारणीबद्ध हैं:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बीई (रक्षा सेना प्राक्कलन #)	वायु सेना (राजस्व)	प्रतिशत हिस्सा	वायु सेना (पूंजीगत)	प्रतिशत हिस्सा	वायु सेना (राजस्व + पूंजीगत)	प्रतिशत हिस्सा
2018-19	2,79,305.32$	28,821.27	10.32	35,770.17	12.81	64,591.44	23.13
2019-20	3,05,296.07	29,601.69	9.70	39,347.19	12.89	68,948.88	22.59
2020-21	3,23,053.00	29,962.66	9.27	43,281.91	13.40	73,244.57	22.67
2021-22	3,47,088.28	30,652.53	8.83	53,214.77	15.33	83,867.30	24.16
2022-23	3,85,370.15	32,873.46	8.53	56,851.55	14.75	89,725.01	23.28

(# डीएसई में सेना, नौसेना, वायुसेना, जाइंट स्टाफ, डीआरडीओ, आयुध निर्माणियां, एनसीसी और डीजीक्यूए बजट शामिल है)

($ - *मिलिट्री फार्म्स और ईसीएचएस को छोड़कर जिन्हें वित्तीय वर्ष* 2016-17 *में वायुसेना से आशोधित अनुदान रक्षा मंत्रालय* (*विविध*) *में शिफ्ट कर दिया गया था और वित्तीय वर्ष* 2019-20 *में वापस डीएसई में शामिल कर दिया गया था*)

2.6 समिति पाती है कि रक्षा सेवा अनुमानों में से वायु सेना के राजस्व बजट के प्रतिशत हिस्से में 2018-19 में 10.32 प्रतिशत से 2022-23 में 8.53 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं पूंजीगत बजट हिस्सेदारी 2018-19 के 12.81 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 14.75 प्रतिशत हो गई है। यदि वर्ष 2021-22 में किए गए आबंटन की तुलना की जाए तो यह काफी कम है, जो 15.33 प्रतिशत था। हालांकि, एक ही समय अवधि के दौरान राजस्व और पूंजीगत दोनों मदों के तहत पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

<u>आधुनिकीकरण के लिए बजट</u>

2.7 रक्षा सेवा अनुमानों (डीएसई) में प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए निधियों का अलग से आबंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के बीच निर्धारण, सेना मुख्यालयों द्वारा परियोजनाओं / योजनाओं के बीच प्राथमिकता एवं संविदात्मक लक्ष्यों की प्रगति के आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) मद (जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियां और नई योजनाएं शामिल हैं) के तहत बीई चरण में 52,749.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। हालांकि, वायु सेना को बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई। इन आवंटनों की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 25,770.81 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) का व्यय किया गया है। राशि यदि कोई वापस की गई है तो उसकी जानकारी मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित विनियोग को अन्तिम रूप देते समय होगी।

2.8 वित्त वर्ष 2021-22 में, वायु सेना ने पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) प्रमुख के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों आदि की कमी को पूरा करने के लिए पहले अनुपूरक राशि के रूप में 11,747 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की मांग की थी। प्रथम अनुपूरक में कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे अनुपूरक में, प्रतिबद्ध देनदारियों, नई योजनाओं और भारतीय वायु सेना की भविष्य की परिचालन क्षमताओं आदि को पूरा करने के लिए 17,848.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी। दूसरे पूरक में कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नहीं हुआ था। अनुपूरक के तीसरे और अंतिम बैच में, वायु सेना द्वारा पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) मद के तहत कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मांगी गई थी।

2.9 प्रथम अनुपूरक 2022-23 में वायु सेना द्वारा पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) मद के तहत कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मांगी गई थी।

2.10 भारतीय वायु सेना द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) के अंतर्गत अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकताओं और वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान किए गए आबंटन के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	**बजट प्राक्कलन आबंटन**	**संशोधित प्राक्कलन अनुमान**	**बजट प्राक्कलन की तुलना में संशोधित प्राक्कलन में अतिरिक्त अनुमान**	**संशोधित प्राक्कलन आबंटन**
2021-22	49,320.77	67,169.42	17,848.65	50,090.77
2022-23	52,749.98	52,750.00	0.02	50,621.76

नोट : संशोधित प्राक्कलन 2022-23 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

2.11 उक्त सारणी से देखा जा सकता है कि भारतीय वायु सेना के आबंटन में बजट प्राक्कलन 2021-22 की तुलना में संशोधित प्राक्कलन स्तर पर 770 करोड़ रू. तक का वृद्धि की गई थी। तथापि पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के अंतर्गत बजट प्राक्कलन 2022-23 में कोई अतिरिक्त निधियां आवंटित नही की गई। संशोधित प्राक्कलन स्तर पर किए गए उक्त आबंटन व्यय की दर वायु सेना की वचनबद्ध देयताओं एवं पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध समग्र संसाधन सीमा के आधार पर थे। संक्रियात्मक क्रियाकलापों के लिए आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। यदि आवश्यकता होता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को वरीयता दी जाती है कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल करने में रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारी के साथ कोई समझौता नही किया जाता है।

<u>योजना और खरीद</u>

2.12 वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए नियोजित अधिग्रहणों के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें अधिग्रहण की प्रस्तावित तारीखें, संशोधित कार्यक्रम और परियोजनाओं पर खर्च की गई निधि शामिल है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "इन वर्षों के लिए नियोजित अधिग्रहणों में बेसिक प्रशिक्षक विमान (बीटीए) (एचटीटी-40) मीडियम पावर रडार (एमपीआर) (अरूध्रा), इंडोर फ्री फाल सिमुलेटर (वर्टिकल विंट टनल), क्लोज इन वैपन सिस्टम (सीआईडब्ल्यूएस), अतिरिक्त मिराज 2000 विमान (दो सीट वाला), भू-आधारित प्रणाली (खोज), हाई पावर रडार (रिप्लेसमेंट), भारतीय वायु सेना के लिए त्वरित रनवे मरम्मत हेतु फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट (एफएफएम) की डिजाइन और विकास, छह अतिरिक्त डोर्नियर-228 विमान, सुखोई-30 के लिए एएल-31 एरो इंजन, फ्लाइट रिफ्युलिंग एयरक्राफ्ट (एफआरए) की वेड लीज, हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) ट्रांस रिसीवर स्टेटिक, सुखोई-30 एमकेआई विमान के लिए डीआर-118 आर डब्लूयु आर, मिग-29 विमान हेतु आरडी-33 एरो इंजन, वायु सेना स्टेशन थंजाबुर में ब्रहमोस मिसाइसल के लिए तकनीकी अवस्थिति (टीपी) एवं विंड प्रोफीलर।"

<u>स्वदेशीकरण</u>

2.13 समिति को जानकारी दी गई कि वायु सेना स्वदेशीकरण को जोर-शोर से आगे बढ़ा रही है और घरेलू पूंजी अधिग्रहण के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों और बजट के आंतरिक निर्धारण के अनुसार व्यय किया जा रहा है। समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान स्वदेशी स्रोतों से वायु सेना द्वारा किए गए अधिग्रहणों के विवरण के बारे में अवगत कराया जाना चाहा। इस संबंध में समिति को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए गए थे:

> "(क) भारतीय वायु सेना द्वारा विगत पांच वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31जनवरी, 2023 तक) के दौरान स्वदेशी स्रोतों से किए गए पूंजीगत अधिग्रहण (केवल नई संविदाएं) और उक्त अवधि के दौरान हुए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

वित्तीय वर्ष	संविदा की संख्या	कुल संविदा मूल्य	व्यय (रू. करोड़ में)
2018-19	36	1,156.20	17.90
2019-20	34	5,855.05	823.87
2020-21	63	49,455.53	6,541.38
2021-22	35	4,135.70	1,524.90
2022-23	27	2,454.75	345.75 (**31 जनवरी 23 तक)**

(ख) इसके अलावा, पूंजीगत अधिग्रहण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) तक घरेलू अधिप्राप्ति पर उपगत व्यय निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	**व्यय (रू. करोड़ में)**
2018-19	5,648.66
2019-20	16,461.54
2020-21	36,638.14
2021-22	29,911.37
2022-23	18,866.60 **(31 जनवरी 23 तक)**

2.14 वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी स्रोतों से अधिग्रहण के लिए समर्पित निधियों के मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत बताया:

"घरेलू व्यय के तहत नियोजित कैश आउटगो (प्रतिबद्ध जवाबदेही) कुल आबंटन ब. अ. 2023-24 में से 29,316.56 करोड़ रू. है।"

2.15 आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के संबंध में 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

"आपने जो दूसरी बात कही है, जो इंपोर्ट वर्सेज आत्मनिर्भर भारत है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अभी हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। हम अपनी इंडस्ट्री को भी मौका दें, लेकिन हमारी अपनी जो कैपेबिलिटी है, वह भी कम न हो। इसीलिए जरूरी है कि कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अगर किसी चीज में 19-20 का फर्क है, तो भारत की बनी हुई 19 को भी स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि हम उसको भी बढ़ावा दे सकें। जो हैप्पी मिक्स है, अभी वही काम चल रहा है। जो 114 एयक्रॉफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वह हम बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन उसका मैन्युफैक्चर भारत में होगा। जो एलसीए मार्क वन डिजाइन हो रहा है, मार्क वन का ऑलरेडी आर्डर दिया जा चुका है और मार्क टू का सीसीएस नोट अप्रूव हो चुका है। अमका का सीसीएस नोट मूव हो चुका है। जो प्रोसेस है, वह समानांतर चल रहा है।"

उन्होंने आगे समिति को अवगत कराया:

....स्वदेशीकरण के संबंध में मैं यह भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमारे देश में बेस रिपेयर डिपो हैं, जो नियमित आधार पर पिछले कई वर्षों से कई घटकों, विशेष रूप से, जो आवश्यक हैं जैसे सिल, वाशर आदि को स्वदेशी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं। कुछ ऐसे बीआरडी हैं जो इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ हैं। एचएएल हमारे देश में कोरापुट में एसयू-30 के लिए पहले से ही इंजन बना रहा है। इसलिए, इसके बहुत सारे सामान पहले से ही स्वदेशी हो रहे हैं। बेशक, यह कहना कि हम 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर होंगे, कभी संभव नहीं होगा। यह पक्का है"।

"सर, तीसरे बिंदु पर, जो आपने हथियारों के स्वदेशीकरण के बारे में बताया, सौभाग्य से यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम बहुत मजबूत पक्ष में हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में, संकट आने के बाद, हथियारों के स्वदेशीकरण पर बहुत जोर दिया गया है। हमारी डीआरडीओ की बहुत सी परियोजनाएं अब फलीभूत हो रही हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं। दो या तीन परियोजनाओं में हम पहले से ही एकीकरण की प्रक्रिया में हैं। ये सभी सटीकता के साथ लंबी दूरी के हथियार हैं। इसलिए, हम इस पर विचार कर रहे हैं।

वहीं, विदेशी ओईएम अब भारत में निर्माण की आवश्यकता को समझ चुके हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रही हैं और वे हथियार भारत में बना रहे हैं। हम इन हथियारों के लिए भारतीय फर्मों को ऑर्डर देने की प्रक्रिया में हैं जो पहले से ही एकीकृत हैं। मुझे लगता है कि हथियारों के मामले में हमें और अधिक सहज होना चाहिए। उम्मीद है कि एफआरए और मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के मुख्य मामलों में हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।"

<u>बल स्तर</u>

2.16 भारतीय वायु सेना के ताकत पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार जानकारी दी:

"अपनी काबिलियत की शुरूआत में फाइटर एयरक्राफ्ट से करता हूं। वायुसेना की आथराइज्ड स्ट्रैन्थ 42 फाइटर स्कवाड्रन की है, उसके मुकाबले अभी की संख्या 31 है, जो

अगले दस सालों में भी बढ़ेगी नहीं बल्कि 2029 तक घट सकती है। दो स्कवाड्रन नयी जेनरेशन के जहाज से लैस होगा, एलसीए और एमआरएफए रिडक्शन को अरेस्ट कर सकते हैं, हमारे एमआरएफए का डिसीजन इस रिडक्शन को संभालने के लिए जरूरी है। जब मालवाहक विमान को देखा जाए तो हमारी स्थिति काफी बेहतर है। आज सी-17, सी-130 और आईएल 76 से हमारी रीच और सामन ढ़ोने की क्षमता में काफी इजाफा हो चुका है। अब हम पुराने जहाज को एव्रो को सी-295 से रिप्लेस कर रहे हैं। सी-295 विमान काफी क्षमता में बनेगा, वायु सेना का वर्क हॉस एन-32 की रिप्लेसमेंट की शुरूआत एक मिडियम ट्रांसपोर्ट ऐयरक्राफ्ट के इंडक्शन से होगी। ट्रांसपोर्ट फ्लीट के बारे में बताउं, क्विक डिपलॉयमेंट एवं ग्लोबल लेवल पर रीच हो गई है और यह हमारी पॉवर प्रोजेक्शन में काफी इन्हान्समेंट करती है।

हेलीकॉप्टर फ्लीट में संख्या पर्याप्त है। अभी पिछले कुछ सालों में अपाचे और चिनुक को छोड़कर जितने भी हेलीकॉप्टर इंडक्ट हुए हैं, वह इसी देश में बने हुए हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंडक्शन की तैयारी चल रही है। पुराने जहाज काफी संख्या में हैं, मीग-17 सीरीज के हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें अगर समराइज करें तो हेलीकॉप्टर लिफ्ट, अटैक कैपेबिलिटी, इंडक्शन और प्रजेंट स्ट्रेन्थ के हिसाब से ठीक है।

आकाश में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र की बात करें, यह काफी हेल्दी ट्रेंड दिखाता है और अगले दस साल में हमारा स्कवाड्रन में काफी इजाफा होगा। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो ये वेपन हर दूरी के हैं, शार्ट रेंज से लेकर मिडियम रेंज और लांग रेंज के हैं। इसमें भी अधिकांश वेपन इंडिजिनस डेवलप हो रहे हैं।

किसी भी वायु युद्ध में कुछ ऐसे विमान होते हैं जो युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको हम कम्बैक्ट इनेबलर्स कहते हैं। इनकी क्वान्टिटी कम होती है लेकिन लड़ाई के आउटकम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसमें फ्लाइट रिफ्यूलर्स एयरक्राफ्ट हवा में दूसरे जहाज को रिफ्यूल करता है, अभी हमारे पास छह हैं और छह और को जरूरत को भी प्रोग्रेस किया जा रहा है। एयरब्रोन वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जिसको एडब्ल्यूएसीएस कहते हैं, अभी हमारे पास तीन एवैक्स हैं, दो एडिशनल एवैक्स को इंडक्ट करने का एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तीन एईडब्ल्यूसी जहाजों को डीआरडीओ ने बनाये हैं । इसके अलावा, छह और एईडब्ल्यूसी एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का एक्सप्लोरेशन जारी है। छह एयरबस -321 जहाजों को डीआरडीओ की मद्द से एईडब्ल्यूसी माक-II प्रोजेक्ट के तहत modify किया जा रहा है।

सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, दो बोइंग 737 जहाज है और अभी ए-319 जहाज को भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने

खरीदा है, जिसको हम इस रोल में मोडिफाई करेंगे। अगर शांतिकाल में हमारा टास्क देखा जाए तो उसमें एयर डिफेंस युद्धकाल की तरह निरंतर उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। इस प्रोजेक्शन को अगर आप देखेंगे तो एयर स्पेस में ट्रैफिक दिखाता है, इस ट्रैफिक को निरंतर मोनिटर करना एक नेटवर्क ऑफ एयर डिफेंस रडार से किया जाता है। इसमें मध्यम रेंज और ऊची रेंज की रडार हमारे पास लगभग गैप-फ्री कवरेज देती है। यह रडार का सारा नेटवर्क एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कराया जाता है जोकि भारत में बनाया गया इंडिजिनस नेटवर्क है। इस सारे नेटवर्क में अगर कोई घुसपैठिए पाया जाता है तो उसको चैलेंज करने के लिए किसी भी समय चौबीस घंटे जहाज स्टैंड बाई पर रहते हैं। पिछले साल 41 वार स्क्रैम्बल किए गए थे जोकि एयर स्पेस वायलेशन होने पर किए गए थे । इन स्क्रैम्बल का उद्देश्य ये डिटरमिन्ड किया जाता है कि घुसपैठिए का कर्मिश्यल जहाज है या कोई दुश्मन का जहाज है।"

2.17 मौखिक साक्ष्य के दौरान स्क्वाड्रन की संख्या के मुद्दे पर भारतीय वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"जो 31 स्क्वाड्रन्स को 42 स्क्वाड्रन्स तक करने की बात है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि यह कब तक होगा। हम पिछले बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है। दूसरा, जैसे हमें एचएएल से किसी रेट पर कुछ जहाज मिलने हैं, हमें जो 40 एलसीए चाहिए थे, वे काफी समय पहले मिल जाने चाहिए थे। वे अब मिल रहे हैं, अभी भी हमारे पास 40 से दो जहाज कम ही हैं।"

इसके अलावा, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने कहा:

"सर, यह कह पाना मुश्किल है कि यह कब तक पूरा होगा, लेकिन अभी हम जिस रेट पर चल रहे हैं, हमने प्रोक्योरमेंट में जो ऑर्डर्स दे रखे हैं, अगर वे मिलेंगे और अगर इन 114 जहाजों का केस प्रोग्रेस होता है, हम 2030 तक 29 से 31 स्क्वाड्रन के बीच रह सकते हैं। हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। हमारे मिग 21 जहाजों को फेज-आउट करना जरूरी है।"

2.18 इसके अलावा, इस विषय पर मंत्रालय से स्क्वाड्रनों में एलसीए को शामिल करने के बारे में पूछा गया था और क्या वायु सेना इसके साथ सहज है, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

जहां तक एलसीए और अन्य प्रकार के विमानों का संबंध है, प्रत्येक वायु सेना में हमें सभी प्रकार के विमानों का मिश्रण रखना होगा क्योंकि प्रत्येक विमान की एक निश्चित भूमिका होती है। आपके पास एक श्रेणी के सभी विमान नहीं हो सकते। जहां तक एलसीए का संबंध है, यह इसमें फिट बैठता है। हमें यह याद रखना होगा कि इसे मिग-21 के प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन किया गया था। विमान में काफी सुधार हुआ है। यह उन आवश्यकताओं को काफी अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। हां, अगर आप पूछें, तो हर कोई पांचवीं पीढ़ी के सभी विमान लेना चाहेगा। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमें क्या मिल सकता है, बाजार में क्या उपलब्ध है। हमें यह भी देखना होगा कि कल क्या होगा। अगर हम उन्हें दुनिया के खुले बाजार से खरीदते रहेंगे तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें अपने खुद के उद्योग को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें उनका हाथ थामने की जरूरत है और वायुसेना इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम एक सुखद मिश्रण तैयार करेंगे और इसीलिए हम 114 विमानों के लिए एमआरएफए अनुबंध करने जा रहे हैं। यह वास्तव में एलसीए और एमआरएफएकी 8 स्क्वाड्रन थी।

2.19 एलसीए परियोजना में देरी के बारे में पूछे जाने पर वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने समिति को निम्नानुसार बताया:

"यह अध्ययन करने के लिए वायु सेना के डोमेन में नहीं है। लेकिन, उपयोगकर्ता के रूप में या उन लोगों के रूप में जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, मैं यह कह सकता हूं कि हमने इससे पहले एक विमान बनाया था। आखिरी विमान जिसे हमने डिजाइन किया था वह मारुत था। इसलिए 30 साल से अधिक के अंतराल के बाद अब हम घरेलू स्तर पर लड़ाकू विमान बनाने का प्रयास कर रहें हैं। हमने इसमें अच्छी प्रगति की है। हमने इसपर निर्णय लेना पड़ा। हम कुछ मध्यम स्तर या एक पीढ़ी नीचे के विमान पर काम कर सकते थे। एलसीए चौथी पीढ़ी से आगे का विमान हैं। हम तीसरी पीढ़ी के विमान के लिए पारंपरिक नियंत्रण के साथ और पुराने एवियोनिक्स में सभी काम कर सकते थे लेकिन हमें प्रौद्योगिकी के साथ पकड़ बनाना था। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था, हालांकि हमें जितना समय लेना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय लिया है।

हम नया कार्य सीख रहे थे। हम उन्हें असफल नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर, हमारे परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगे। जिससे काफी कमियां हुईं। यहीं से हमने यह सोचना शुरू किया कि हमारे पास अधिकांश प्रौद्योगिकियां आंतरिक रूप से होनी चाहिए। लेकिन उस विमान का फ्लाईबाई वायर सिस्टम और पूरा नियंत्रण कानून भारतीयों ने इनहाउस लिखा है। एवियोनिक्स में,

संपूर्ण निर्माण भारतीय है, और इसे एक बार पूरी तरह से संशोधित किया गया है। इसका मतलब है कि हमने शुरुआत में जो कल्पना की थी और आज हम जो कर रहे हैं, वे दो अलग-अलग आर्किटेक्चर हैं। जिसे आज हम कर रहे हैं, उसे फेडरेटेड आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर मैं शब्द का उपयोग कर सकता हूं, तो वह है, प्लग एंड फ्लाई। अब आप किसी भी नए हथियार या किसी नई प्रणाली को बहुत आसानी से एकीकृत कर सकते हैं।

इसलिए, जहां तक वैमानिकी का संबंध है, हम दुनिया के बहुत करीब हैं। लेकिन, हाँ, इंजन प्रौद्योगिकी में, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। जहां तक एयरफ्रेम और अन्य भागों का संबंध है, मुझे लगता है कि एक बार फिर हम दुनिया के बहुत करीब हैं, एक्ट्यूएटर्स जैसी कुछ तकनीकों को छोड़कर और वह सब, जो हम इस समय उड़ान परीक्षण कर रहे हैं। उड़ान परीक्षण जारी है। वैसे, हम में से अधिकांश, हम तीनों, जो यहां बैठे हैं, एलसीए प्रोग्राम में टेस्ट पायलट रहे हैं। तो, हम इसे जानते हैं। यह हमारे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि वह इसमें जोड़ देगा।"

इसके अलावा, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"मैं इसमें कुछ और कहूंगा क्योंकि यह मेरी पिछली नौकरी से संबंधित था। मैं उड़ान परीक्षण का नेतृत्व कर रहा था। मैंने अभी-अभी एलसीए की फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस पास की है। इसलिए, मैं आपको बता सकता हूं कि हालांकि आप सही हैं कि इसकी कल्पना 90 के दशक में की गई थी, लेकिन आज हम जो उड़ान भर रहे हैं, वह वास्तव में उस समय की कल्पना से बहुत अलग है। हमने तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखा है क्योंकि समय के साथ बहुत सारे एवियोनिक्स बदल गए हैं। जो स्क्वाड्रन आज उड़ान भर रहे हैं, वे नवीनतम एवियोनिक्स उड़ा रहे हैं जो हमारे पास बाकी बेड़े में उपलब्ध है, जो कि अच्छा भी है। वह इसका एक हिस्सा है।

जैसा कि उन्होंने फ्लाईबाई वायर के बारे में उल्लेख किया, कई अन्य देश कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को साझा करने के इच्छुक नहीं थे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमें खुद ही सीखना होगा और निश्चित रूप से सीखने में अपना समय लगता है। लेकिन आज हम काफी बेहतर तरीके से तैयार हैं। उम्मीद है कि अगले विमान में हमें आज जितना समय नहीं लगेगा।"

<u>एयर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण (एमएएफआई) परियोजना चरण-II (एमएएफआई-II)</u>

2.20 पिछले पांच वर्षों के दौरान हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए किए गए बजटीय आबंटन और किए गए वास्तविक व्यय के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा:

"पिछले पांच वर्षों के दौरान एयरफील्ड के लिए हुए वास्तविक व्यय और किए गए बजटीय आबंटन के संबंध में ब्यौरे निम्नलिखित है:-

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**कान्ट्रेक्ट की गई धनराशि**	**भुगतान की गई धनराशि**
1.	एयरफील्ड अवसंरचना आधुनिकीकरण (एमएएफआई) चरण-I	1215.35	1215.35
2.	परियोजना एमएएफआई चरण-II	1187.17#	565.7
	कुल	2402.52	1781.05

#दिनांक 30 सितम्बर 2021 के संविदा संशोधिन संख्या 3 के पश्चात संविदा मूल्य को 1189.44 करोड़ रूपये से घटाकर 1187.17 करोड़ रूपये कर दिया गया।"

2.21 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की भावी योजनाओं के मुद्दे के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी:

"24 एयरफील्डों के आधुनिकीकरण के लिए संविदा (ओझर (एचएएल) सहित और वड़ोदरा (एएआई) जहां सैन्य विमानन के लिए आवश्यक नेवीगेशन सहयता स्थापित की जा रही है। भारतीय नौसेना के लिए नौ एयरफील्ड और भारतीय तटरक्षक की प्रत्येक दो एयरफील्ड और परियोजना एमएएफ आई II भाग के रूप में विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी) को भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजना अक्तूबर, 2024 के पूरी होने की प्रत्याशा है।"

2.22 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में सूचित किया है कि एमएएफआई परियोजना पहले ही 35 हवाई क्षेत्रों में आधुनिकीकरण पूरा कर लिया गया है और 18 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चरण I और II में 7 एयरफील्ड का आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है और चरण II में 3 एयरफील्ड की योजना बनाई गई है।

<u>श्रमशक्ति</u>

2.23 समिति वायु सेना में श्रमशक्ति की कमी के बारे में अवगत होना चाहती थी। इस मुद्दे पर वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार जानकारी दी:

> "सर, लगभग 12,606 की अधिकृत संख्या की तुलना में अधिकारियों की कमी लगभग 600 है। आज अन्य रैंक की कमी अधिकृत कैडर का 3 प्रतिशत है, और यदि हम प्रस्तावित अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हैं तो यह 2026 में अधिकृत का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। करीब 9500 पद वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए पड़े हैं। अगर वे मंजूर होते हैं तो कमी 3 से 5 फीसदी के बीच रहेगी। तो, प्रभावी रूप से, प्रशिक्षण रिजर्व भी उतना ही है जो हम पहले से ही रखते हैं। इसलिए, कोई बड़ी कमी नहीं होगी।"

अध्याय - तीन

<u>नौसेना</u>

समिति ने पाया कि नौसेना भारत की समुद्री शक्ति की प्रमुख अभिव्यक्ति है जो समुद्री क्षेत्र को आकार देती है और देश के समुद्री हितों की रक्षा करती है। हमारे देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा निरंतर मिशन आधारित तैनातिया की जा रही हैं। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं क्योंकि इसमें प्रमुख समुद्री मार्ग शामिल हैं और लगभग 1,20,000 जहाज विभिन्न निर्धारित प्रवेश बिंदुओं (चोक पॉइंट्स) के माध्यम से पारगमन करते हैं। हर समय लगभग 13000 जहाज आईओआर में होते हैं। यह क्षेत्र समुद्री डकैती और अंतर-राष्ट्रीय अपराधों का केंद्र है और दुनिया की 70 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र भी है। आपदा के समय मानवीय सहायता प्रदान करना भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही एक और महत्वपूर्ण भूमिका है।

2.2 वर्ष 2023-24 के लिए नौसेना की अनुदानों की मांगों की जांच के लिए समिति ने रक्षा मंत्रालय से नौसेना के लिए 2022-23 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत और राजस्व खंड के लिए अलग-अलग बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय संबंधी प्रस्तावित और निर्धारित परिव्यय को दर्शाने वाले विवरण के साथ साथ बजट अनुमान 2023-24 के लिए अनुमानित और आबंटित राशि का विवरण मांगा था।समिति को प्रस्तुत किए गए ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क. राजस्व

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय
	अनुमान	आबंटन	अनुमान	आबंटन	
2018-19	23,747.75	19,571.37	24,420.58	20,795.04	20,856.23
2019-20	27,086.29	22,211.71	28,737.09	22,786.71	22,387.31
2020-21	32,237.96	22,934.75	28,379.84	23,347.69	23,166.05
2021-22	34,256.83	23,360.68	30,069.08	23,925.91	23,834.99
2022-23	34,701.66	25,406.42	34,441.48	30,734.58	19,840.03*
2023-24	36,605.04	32,284.20	-	-	-

* दिसंबर 2022 तक के आँकड़े

ख. पूंजीगत

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय
	अनुमान	आबंटन	अनुमान	आबंटन	
2018-19	35,695.41	20,848.16	30,735.65	20,890.87	21,509.60
2019-20	37,220.98	23,156.43	40,123.18	26,156.43	27,446.68

2020-21	45,268.31	26,688.28	51,769.28	37,542.88	41,666.76
2021-22	70,920.78	33,253.55	50,011.38	46,021.54	45,028.64
2022-23	67,622.96	47,590.99	47,727.03	47,727.03	24,206.45*
2023-24	52,804.75	52,804.75	-	-	-

* दिसंबर 2022 तक के आँकड़े

नोट: आरई 22-23 और बीई 23-24 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

<u>राजस्व बजट</u>

समिति समझती है कि राजस्व बजट में दो मुख्य घटक शामिल हैं, वेतन और अवेतन। बजट शीर्ष का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन पर खर्च होता जो एक निश्चित व्यय है। अवैतनिक व्यय स्टोर, राशन, परिवहन, ईंधन आदि पर खर्च होते हैं जो नौसेना के नियमित प्रशिक्षण और संक्रियात्मक तैयारियों के लिए आवश्यक हैं। राजस्व शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान (बीई) में नौसेना का अनुमान 36,605.04 करोड़ रुपये था और 32,284.20 करोड़ रुपये आबंटित किया गया है जो 4320.84 करोड़ रुपये कम है। राजस्व शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमानों (आरई) चरण में, नौसेना का अनुमान 34,441.48 करोड़ रुपये था और आबंटन 30,734.58 करोड़ रुपये था। यह आबंटन मांग से 3706.9 करोड़ रुपये कम है। हालांकि, दिसंबर 2022 तक किया गया व्यय केवल 19,840.03 करोड़ रुपये था।

<u>पूंजीगत बजट</u>

समिति को यह भी ज्ञात है कि पूंजीगत बजट में आधुनिकीकरण, बल स्तर में वृद्धि, अवसंरचना विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है। पूंजी शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में नौसेना का अनुमान 52,804.75 करोड़ रुपये था और इतना ही आबंटित किया गया है। संशोधित अनुमान 2022-23 में नौसेना का अनुमान 47,727.03 करोड़ रुपये था और इतना ही आबंटित किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 की तीन तिमाहियों में अर्थात् दिसंबर 2022 तक व्यय केवल 24,206.45 करोड़ रुपये था।

2.3 अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि ने बजट पर समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"नेवी का टोटल बजट वर्ष 2018-19 से कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है। 2023- 24 के बजट अनुमान चरण में रक्षा बजट में भारतीय नौसेना का हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 में 17.78 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 18.26 प्रतिशत हो गया है। पिछले कई वर्षों से भारतीय नौसेना ने कैपिटल टू रेवेन्यु रेशियो हेल्दी स्टेट में बरकरार रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2022- 23 में कैपिटल टू रेवेन्यु रेशियो 68:32 है, जो हमारे नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को और जोर देता है। नौसेना के मॉडर्नाइजेशन के प्रति कैपिटल बजट के बी स्टेज में सन् 2018-19 से सालाना 21 परसेंट बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसी बढ़ोतरी हमारे कमिटेड

लाइबिलिटी और मॉडर्नाइजेशन के प्रति नए कॉन्ट्रैक्ट को कन्क्लूड करने में प्रोत्साहन देते आ रही है। इन मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जो बढ़ती नौसेना की बढ़ती डिमाण्ड के प्रति है। यहां पर मैं हाइलाइट करना चाहूंगा कि नौसेना के प्रोजेक्ट लंबी अवधि के होते हैं, चाहे वह वारशिप कंसट्रक्शन हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो। इसी कारण निरंतर बढ़ते बजटरी एलोकेशन और सपोर्ट हमारे बढ़ते नेवी के लिए बहुत अनिवार्य है।

हम रेवेन्यु बजट में ध्यान दें तो सन् 2018-19 से तकरीबन 12 परसेंट सालाना ग्रोथ देखी गई है। इसमें सेलरी और नॉन सेलरी एलोकेशन भी शामिल है। नॉन सेलरी या अदर दैन पे एंड अलाउंसेस ओटीपीए सेगमेंट को देखें तो एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तकरीबन 14 परसेंट की बढ़त हुई है। इस बजट एलोकेशन को हम नेवी के ऑपरेशन्स, ट्रेनिंग, मेन्टेनेंस और रोज की गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में अगले वित्त वर्ष के लिए आबंटन में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो हमारी नौसेना के संचालन और जीवन आधार के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे।"

2.4 चर्चा के क्रम में समिति ने संशोधित अनुमान और अनुमानित आवश्यकताओं पर स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) ने समिति को निम्नवत् सूचित किया:

"जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, राजस्व बजट वेतन के साथ-साथ अवैतनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आप अवेतन से चिंतित हैं। इसके लिए उनके पास लगभग 9000 करोड़ रुपये का आबंटन था। उन्हें लगभग 14,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। उन्हें पूरी राशि मिली। यही कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि और बजट अनुमान के बीच अधिक अंतर नहीं है। उन्हें वही मिला जो वे चाहते थे। उनकी इस मांग का कारण ईंधन था। ईंधन की कीमतें वास्तव में बढ़ गई हैं। इसलिए उन्हे धन चाहिए था जो उन्हें दे दिया गया था।

उन्हें केवल इसी के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके अलावा , उन्हें राशन के लिए पैसे दिए गए। उन्होंने करीब 115 करोड़ रुपये की मांग की थी। उन्हें वह पैसा मिला। फिर उन्होंने आपातकालीन खरीद के लिए लगभग 4386 करोड़ रुपये कि मांग की। यह भी नौसेना को दिया गया था। मेरे पास उन सभी आवश्यकताओं का ब्यौरा है जिनका कुल योग 13,000 करोड़ रुपये है।

इसके साथ-साथ यह भी बताया गया कि:

"महोदय, उनकी अनुमानित आवश्यकता बिल्कुल उतनी ही थी। उन्हें उतना ही आबंटित किया गया जितना उन्होंने ने अनुमान किया था। मेरा मतलब है वास्तव में उनका रिक्वायरमेंट 28 हजार करोड़ रुपए था, जिसका उन्होंने ने राजस्व मद में अनुमान

किया था। उन्हें यह मिल गया है। वे पूंजी शीर्ष के तहत लगभग 51,000 करोड़ रुपये चाहते थे। उन्हें यह मिल गया है। उन्हें कुल 79,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। हमने पूरी समीक्षा की है। इतनी राशि वे वर्तमान बजट अनुमान के लिए चाहते थे। उन्हें यही दिया गया है।"

अनुमान के मुद्दे पर वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) ने निम्नानुसार बताया:
"शुरुआत में जब उन्होंने पिछले वर्ष अनुमान लगाया था वह उनकी
प्रारम्भिक आवश्यकताओं के कारण थोड़ा अधिक था। लेकिन आरई चरण में, हम इतनी राशि प्राप्त करने में सफल रहे जिससे उनकी प्रतिबद्ध देयताएं और अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकीं। यही कारण है कि अब हमें जो आबंटन मिल, वह उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

<u>आधुनिकीकरण के लिए बजट</u>

2.5 रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) में प्रतिबद्ध देनदारियों (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए निधियों का कोई अलग आबंटन नहीं होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान चरण में 45,749.81 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी। हालांकि, आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) शीर्ष (जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियां और नई योजनाएं शामिल हैं) के तहत बजट अनुमान 22-23 की तुलना में संशोधित अनुमान चरण 22-23 में नौसेना (संयुक्त स्टफ सहित) को कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिबद्ध देनदारियों और नई योजनाओं के बीच का निर्धारण सेना मुख्यालयों द्वारा परियोजनाओं / योजनाओं की प्रथमिकता और संविदात्मक कार्यों की प्रगति के आधार पर किया जाता है। इन आबंटनों में से 22,746.31 करोड़ रुपए का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23(दिसंबर 2022 तक) में किया गया है। यदि कोई राशि लौटाई गई है तो वह चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित विनियोग को अंतिम रूप प्रदान करते समय ज्ञात होगी।

i) **<u>अनुपूरक चरण वित्तीय वर्ष 2021-22</u>** : आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) शीर्ष के तहत नौसेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले अनुपूरक चरण में 13,500 करोड़ रुपए और दूसरे अनुपूरक चरण में 16,383.31 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया था जिसे पी81, एमआरएच व अन्य विमानन संबंधी प्रतिबद्ध देनदारियों, हथियार उपस्करों / प्रणालियों, मिसाइलों, टारपीडो, आपातकालीन खरीद, कस्टम ड्यूटी भुगतान, पोत परियोजनाओं, पनडुब्बी मामलों, पोत निर्माण / पनडुब्बी परियोजनाओं अर्थात स्वेदशी विमान वाहक पोतों, पी75 पनडुब्बियों, पी17ए फ्रिगेटों, पी15बी विध्वंसकों, एएसडब्ल्यू उथला जल पोत वर्षा और रणनीतिक आधारभूत परियोजनाओं इत्यादि पर खर्च किया जाना था। पहले अनुपूरक चरण में कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि, दूसरे अनुपूरक चरण में 1125.18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ था। तीसरे और अंतिम अनुपूरक चरण में नौसेना द्वारा किसी अतिरिक्त निधि की मांग नहीं की गई थी ।

ii) **<u>अनुपूरक चरण वित्तीय वर्ष 2022-23</u>**: पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक चरण में नौसेना द्वारा किसी अतिरिक्त निधि की मांग नहीं की गई है।

iii) आरई चरण में नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित) द्वारा आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) शीर्ष के तहत अतिरिक्त अनुमानित आवश्यकताओं का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान किए गए आबंटन निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बीई आबंटन**	**आरई अनुमान**	**बीई की तुलना में आरई चरण में किया गया अतिरिक्त अनुमान**	**आरई आवंटन**
2021-22	31,505.54	47,820.04	16,314.50	44,141.73
2022-23	45,749.81	45,018.22	-	45,018.22

टिप्पणी : आरई 22-23 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

iv) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2021-22 के आरई चरण में नौसेना को किए गए आबंटन में 12,636.19 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। ये अतिरिक्त आबंटन नौसेना की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही, आबंटित निधियों का संक्रियात्मक गतिविधियों के लिए इष्टतम उपयोग किया गया । यदि आवश्यक हो तो, रक्षा बलों की संक्रियात्मक तैयारियों से कोई समझौता किए बिना, तत्कालीन और महत्वपूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं की पुनः प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। हालांकि, बीई 2022-23 की तुलना में आरई 2022-23 में नौसेना द्वारा अतिरिक्त निधि की मांग नहीं की गई।

<u>स्वदेशीकरण</u>

2.6 पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी स्रोतों से नौसेना द्वारा की गई खरीद और इस अवधि के दौरान स्वदेशी खरीद पर खर्च किए गए परिव्यय के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

पिछले पांच वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, भारतीय नौसेना के लिए 57156.82 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 78 पूंजीगत अधिग्रहण संविदाएं भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान नौसेना द्वारा स्वदेशी स्रोतों से किए गए अधिग्रहण की सूची नीचे सारणीबद्ध है: -

वर्ष	**संविदा मूल्य (करोड़ रु. में)**
2017-18	1742.43
2018-19	27809.58

2019-20	18231.81
2020-21	4845.09
2021-22	4527.91

स्वदेशी खरीद पर वित्तीय खर्च का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:-

वित्तीय वर्ष	**वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)**
2017-18	12,991.76
2018-19	15,182.49
2019-20	17,401.50
2020-21	23,047.51
2021-22	27,823.41
कुल	**96,446.67**

2.7 वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए निर्धारित धन के मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में बताया कि:

"एफवाई 23-24 के दौरान स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 70:30 प्रतिशत अनुपात निर्धारित किया गया है।"

2.8 स्वदेशीकरण पर मौखिक साक्ष्य के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारतीय नौसेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"भारतीय नौसेना सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में सदैव आगे रही है। हम इंडिजिनस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम की तरफ पूरी तरह कमिटेड हैं और हमने अब तक 132 शिप्स भारतीय शिपयार्ड्स में बनाए हैं। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर होने की तरफ तत्पर है और हमें विश्वास है कि वर्ष 2047 तक हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया, 2022-2023, जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश किया है, उसमें शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री के महत्व और नौसेना के राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान के बारे में हाईलाइट किया गया है। शिपबिल्डिंग द्वारा नौसेना आत्मनिर्भरता को काफी प्रोत्साहन देती आ रही है। केवल नौसेना के शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में 65 प्रतिशत योगदान एंसिलरी इंडस्ट्री और एमएसएमई का रहा है। केवल आईएनएस विक्रांत के प्रोजेक्ट में शिपयार्ड के 2 हजार इम्प्लाइज के अलावा, 500 एमएसएमई और 12 हजार एंसिलरी इम्प्लाइज को लाभ मिला है। पी17 अल्फा प्रोजेक्ट्स में लगभग तीन-चौथाई इनवेस्टमेंट वापस इंडियन इकोनोमी में आया है।

भारतीय नौसेना ने पिछले साल 2 सितम्बर को आईएनएस विक्रांत, जो हमारे देश का पहला इंडिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर है, को कमीशन किया। दो हफ्ते पहले हमने विक्रांत पर मिग-29के और एलसीए नेवी लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग और टेक-ऑफ भी हासिल कर लिया। हम दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में शामिल हुए हैं, जिन्होंने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया हो। आईएनएस विक्रांत के कमीशन के अवसर पर इंडियन नेवी ने अपना नया ध्वज भी अपनाया है। आईएनएस विक्रांत के अलावा वर्ष 2022 में इंडियन नेवी ने दो अन्य जहाज - आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस अन्वेष को कमीशन किया।"

<u>आयोजना और खरीद</u>

2.9 वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए नियोजित ख़रीद जिसमें अधिग्रहण की प्रस्तावित तिथियां, संशोधित कार्यक्रम और परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि शामिल है, का विवरण पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि:

(क) **1,20,797.31 करोड़ रुपये** मूल्य की **35**योजनाओं को अधिप्राप्ति के लिए एओएन प्रदान किया गया है। इनमें से **1,16,382.10 करोड़ रुपये** मूल्य की **32** योजनाओं को भारतीय विक्रेताओं के माध्यम से और **4415.21 करोड़ रुपये की केवल 03** योजनाओं को वैश्विक विक्रेता के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान योजनाओं की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

(ख) एओएन प्रदान की गई योजनाओं/संविदा के लिए सीएनसी निर्धारित लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**योजना**	**अनुमानित लागत**
1.	फ्लीट सपोर्ट शिप/फ्लीट टैंकर (एफएसएस) - अनुभाग क	17,000.00
2.	कैडेट ट्रेनिंग शिप - अनुभाग ख	3065.14
3.	उन्नत एसआरजीएम (आर/ओ) की खरीद	2,346.88
4	नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) - अनुभाग ख	8,934.00
5.	उच्च डेटा दर वाले वीएलएफ-एचएफ रिसीवर की खरीद	257.05
6.	11 एनजीओपीवी और 02 डब्ल्यूडब्ल्यूआर (आर/ओ) के लिए लिंक्स यू-2	1918.77
7.	एसडीआर (पोर्टेबल) संस्करण -1 - एमपी संस्करण -2- एफपी संस्करण - 3- एचएच	265.50

क्र.सं.	योजना	अनुमानित लागत
8.	'टर्नकी' आधार पर नौसेना विमान यार्ड (एनएवाई) - कोच्चि और गोवा का आधुनिकीकरण	365.27
9.	एनएसआरवाई (पीबी) में तट आधारित मरम्मत सुविधा के लिए विशेष रखरखाव उपस्कर और विशेष परीक्षण उपस्कर (एसएमटी/एसटीई) और एलसीयू एमके IV पोतों पर संस्थापित एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) के लिए आईएनएस शिवाजी में तट आधारित प्रशिक्षण सुविधा।	40.26
10.	टेलीमेट्री (एनएएसआई) सहित नौसेना विमान और शिप इंस्ट्रूमेंटेशन की स्थापना	247.00
11.	अपर एयर साउंडिंग सिस्टम (यूएएसएस) - मेक II	16.00
12.	बॉटम ओपनिंग डंब बार्ज की खरीद	55.31
13.	एनएआई संगठन के लिए ईआरपी समाधान (एआईआईएमएस) का कार्यान्वयन	89.68
14.	डब्ल्यूईएसईई द्वारा इन-हॉउस विकसित परियोजना 75 पनडुब्बियों के लिए मोशन कंट्रोल (आईपीएमएस-एमसी) सिम्यूलेटर सहित एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली की खरीद	110.21
15.	76/62 गन गोला बारूद के लिए यूनिवर्सल प्रोक्सिमिटी और डीए फ़्यूज़ (76 मिमी से 127 मिमी गोला बारूद के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ)	22.50
16.	डिजिटल बीमफॉर्मिंग आधारित सैटेलाइट टीवी (डीबी2एसटी) - मेक II	64.90
17.	ईएलटीए एमपीआर - मेक II के लिए थ्री फेज स्टेटिक इन्वर्टर	8.44
18.	नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट (एनजीसी)	36430.00
19.	500 टन स्वचालित वाटर बार्ज की खरीद (कारवार और मुंबई)	65.71
20.	500 टन ईंधन बार्ज	170.1
21.	छह एकीकृत ब्रिज प्रणाली (आईबीएस) की खरीद	29.15
22.	एससीएम और लॉजिस्टिक्स में ए.आई.	2.15
23.	इन्फैंट्री वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर (आईडब्ल्यूटीएस) की खरीद	57.77
24.	डॉर्नियर एमएलयू	2200.27
25.	एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (ईएटी) की खरीद	165.03
26.	सामरिक विशेष परिसंपत्ति सुविधा (एसएसएएफ) के लिए डीपीआर अनुबंध तय करने और परियोजना निगरानी के लिए	9.42

क्र.सं.	योजना	अनुमानित लागत
	परामर्श	
27.	अन्य योजनाएं (9 संख्या)*	18419.27

* इन योजनाओं का विवरण संवेदनशील प्रकृति का है

2.10 मंत्रालय से नौसेना में जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों की स्वीकृत और मौजूदा संख्या प्रदान करने के लिए कहा गया। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

i) <u>पोत</u>: भारतीय नौसेना के वर्तमान बल स्तर में 130 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। सतही बल स्तर को बढ़ाने के लिए, विभिन्न शिपयार्डों में 43 जहाजों/पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा 51 जहाजों और 06 पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण और 111 नौसेना यूटिलिटी हेलीकाप्टरों (एसपी मॉडल) के स्वदेश में निर्माण के लिए भी एओएन उपलब्ध है। भारतीय नौसेना के सामर्थ्य और क्षमता निर्माण/आधुनिकीकरण को दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी) के अनुसरण में पूरा किया जा रहा है ।

ii) <u>विमान और हेलीकाप्टर</u> : एलटीआईपीपी 2012-27 में प्रख्यापित विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों की संख्या का आकलन भारतीय नौसेना के परिकल्पित कार्यों और मिशनों, उपलब्ध सतही परिसंपत्तियों, रुचि के क्षेत्रों और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है। विमानों और हेलीकाप्टरों कीमौजूदा संख्या 273 (फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट - 143 , हेलीकाप्टर - 130) है। वर्तमान में टोही और परिवहन विमानों और हेलीकाप्टरों की कमी है, जिसे क्रमिक खरीद के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

<u>जनशक्ति</u>

2.11 समिति नौसेना में आवश्यक और मौजूदा जनशक्ति (अधिकारियों और पीबीओआर) के बीच अंतर के बारे में जानना चाहती थी। समिति के साथ निम्नलिखित ब्यौरा साझा किया गया:

30 नवंबर 22 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों (मेडिकल और डेंटल को छोड़कर) और नौसैनिकों की संख्या और उसमें कमी की स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ग	स्वीकृत क्षमता	धारित क्षमता	कमी	%कमी
अधिकारी	11911	10344	1567	13.2
नौसैनिक	76243	65153	11090	14.55

<u>संक्रियात्मक तैयारी और खतरे की अवधारणा</u>

2.12 मौखिक साक्ष्य के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों के मुद्दे के साथ-साथ खतरे की अवधारणा पर भारतीय नौसेना के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"हमारे थ्रेट्स और चैलेंजेज की तरफ लाना चाहूंगा। हमारे थ्रेट परसेप्शन के तहत .... और .... ही हमारे पोटेंशियल मिलिट्री थ्रेट्स हैं। ... अपनी मेरिटाइम कैपेबिल्टी को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। एक दशक से थोड़े अधिक समय में ही, ... इनके नौसैनिक जहाजों की संख्या 250 से बढ़कर 350 से अधिक हो गई है और यह अब विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है।पिछले साल .... में 7 बड़े जहाज और एक पनडुब्बी कमीशन किया। इसके अलावा, ... ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लांच किया है। ..... नेवी की ग्रोथ के साथ-साथ उनके ऑपरेशन्स भी बढ़ चुके हैं और किसी भी समय .... के पांच से नौ जहाज इंडियन ओशियन रीजन में ऑपरेट करते हैं और .... के रिसर्च वेसल्स भी ऑपरेट करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के खिलाफ .... और ..... की मिलीभगत संभव है। अगर आप ..... नेवी को आज से वर्ष 2030 तक तुलना करें तो फोर्स लेवल्स में 50 तक वृद्धि का प्रोजेक्शन है। इस वृद्धि में .... का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए भारतीय नौसेना को अपनी कैपेबिल्टी एनहांस करना बहुत अनिवार्य है।

इनके अलावा हमारे मेरिटाइम डोमेन में काफी सारी अलग-अलग चुनौतियां हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नॉन-ट्रेडिशनल थ्रेट्स को रोकने के लिए भी नेवी हमेशा तैनात रहती है। कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कमांड, कंट्रोल, कम्यूनिकेशन, इंटेलिजेंस नेटवर्क 51 इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड स्टेशन्स को कनेक्ट करती है और सारे इन्फार्मेशन को बखूबी इंटिग्रेट करती है। ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर, जो मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में हैं, वे पूरी तरह से इंटिग्रेट होकर 24X7 काम कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज - सी विजिल का तीसरा एडीशन संचालित किया। इस एक्सरसाइज में नौ कोस्टल स्टेट्स और चार यूनियन टेरिटरीज से 17 गवर्नमेंट एजेंसीज ने भाग लिया। कुल मिलाकर इसमें 18 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 800 एनसीसी कैडेट्स भी शामिल थे। मार्च, 2021 से अब तक नौसेना ने 6 एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन्स कंडक्ट किए हैं, जिससे समुद्र पर से गुजरते हुए नार्कोटिक्स ट्रेड पर भारी प्रभाव पड़ा है। मुझे भरोसा है कि आदरणीय समिति इस बात से सहमत होगी कि इस क्षेत्र के खतरों और चुनौतियों जिनका मैंने उल्लेख किया, को ध्यान में रखते हुये भारतीय नौसेना को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौसेना की क्षमता में वृद्धि करना अत्यावश्यक है। उभरते खतरों से निपटने के लिए नौसेना के एक संतुलित बेड़े की आवश्यकता है, चाहे

वह जहाज हो, पनडुब्बी हो या विमान हो और यह केवल अनवरत आश्वासित आबंटन से ही संभव है।"

2.13 चर्चा के क्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव (डीएमए) द्वारा आगे बताया गया कि:

"मैं नेवी की तरफ थ्रेट को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। यदि कहीं पर थोड़ा-बहुत ऐड करना चाहेंगे, तो मैं नेवी की मदद लूँगा।

यदि हम .... नेवी को देखें, तो आज की तारीख में, उनकी स्ट्रेंथ लगभग 355 शिप्स की है। शिप्स की संख्या के हिसाब से, आज की तारीख में भी वह दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। उन्होंने ..... को ओवरटेक कर लिया है। आज से चार-पाँच साल बाद उनके शिप्स की स्ट्रेंथ लगभग 555 होगा। उसके मुकाबले देखें, तो आज इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है, वह लगभग 131 शिप्स है। जितने शिप्स के ऑर्डर दिए गए हैं, जितने कंस्ट्रक्शन में हैं, वे लगभग 160 के आसपास हैं। हमारी योजना लगभग 200 नेवी शिप्स को बनाने की है। लेकिन हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, उसके अनुसार लगभग 155 से 160 शिप्स के आसपास होगा। अभी नेवी में 131 शिप्स हैं। यदि सिर्फ नम्बर के हिसाब से देखा जाए, तो ये नम्बर्स काफी कम हैं। लेकिन हमें दो-तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें ज्योग्रेफी के ऊपर निर्भर करती हैं। .....

समिति ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि एक विमानवाहक पोत में बहुत अधिक पूंजी खर्च होती है और वर्तमान परिदृश्य में चल रहे युद्ध में देखा गया है कि नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से बड़े जहाजों को नष्ट करना आसान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में धन की बर्बादी हो सकती है। तद्नुसार, वे प्रचालनात्मक दक्षता और निरोध के दृष्टिकोण से तीसरे विमान वाहक पोत की वास्तविक आवश्यकता जानना चाहते थे। समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि नौसेना द्वारा पहले भी तीसरे विमान वाहक पोत की आवश्यकता को लगातार उठाया गया है।

2.14 इस संबंध में रक्षा सचिव ने स्पष्ट रूप से बताया कि:

"..... मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जो सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है और वास्तव में माननीय समिति इस पहलू को बहुत बढ़ावा दे रही है। एक पनडुब्बी, जहाज और एक विमान वाहक पोत का निर्माण एक महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में, यह अर्थव्यवस्था में इस तरह से प्रगति करता है कि यह पूरे उद्योग में परिवर्तन लाता है। यदि कोचीन शिपयार्ड एक विमान वाहक पोत का निर्माण कर रहा है, तो यह इस्पात उद्योग या एवियोनिक उद्योग को भी गति दे रहा है। अतः हमने बड़े प्रयास के साथ इन कौशलों को हासिल किया है। मेक-इन-इंडिया पर जोर देने के कारण भारतीय शिपयार्ड उद्योग ने बड़े प्रयास के साथ इन कौशलों को हासिल किया

है। इसलिए, जब हम योजना बनाते हैं, तो हमें कौशल के लिए भी योजना बनानी चाहिए, जिसमें विनिर्माण कौशल, डिजाइन कौशल और एकीकरण कौशल शामिल हैं। इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

अध्याय - चार

संयुक्त स्टाफ

समिति ने पाया कि संयुक्त स्टाफ रक्षा मंत्रालय में संयुक्त कौशल के लिए एकल बिंदु संगठन के रूप में कार्य करता है जो नीति, सिद्धांत, युद्ध-लड़ाई और खरीद को एकीकृत करता है। वर्ष 2001 में अपनी स्थापना के बाद से संगठन की भूमिका और जिम्मेदारियों में विस्तार देखा गया है।

4.2 वर्ष 2023-24 के लिए संयुक्त स्टाफ की अनुदानों की मांगों की जांच के लिए, समिति ने रक्षा मंत्रालय से बजट अनुमान 2023-24 में अनुमान और आवंटन सहित वर्ष 2022-23 सहित गत पांच वर्षों के दौरान संयुक्त स्टाफ हेतु बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), और वास्तविक व्यय में प्रस्तावित और निर्धारित परिव्यय विवरण मांगा था। समिति को प्रस्तुत विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बीई		आरई		व्यय
	अनुमान	आवंटन	अनुमान	आवंटन	
19-2018	5,796.53	3,796.94	4,776.21	3,890.66	3,661.61
20-2019	5,422.83	4,109.41	4,813.30	4,199.13	3,770.48
21-2020	5,893.10	4,461.44	4,894.61	4,012.58	3,565.12
22-2021	6,251.11	4,543.04	4,684.83	4,146.26	3,715.26
23-2022	5,473.28	4,462.35	6,014.25	5,498.39	*2,958.76
24-2023	6,543.78	6,060.45	-	-	-

*आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं ।

नोट : आरई 22-23 एवं बीई 23-24 के आंकड़े संसद के अनुमोदनाधीन हैं ।

4.3 अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान, संयुक्त स्टाफ के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

> "एचक्यू आईडीएस संयुक्त स्टाफ संगठन के अन्तर्गत 120 से अधिक इकाइयों के संपूर्ण वित्तीय पहलुओं और क्षमता निर्माण का प्रबंधन और सहायता भी करता है। एचक्यू आईडीएस संभावित शत्रुओं का निवल मूल्यांकन करता है। आईडीएस प्रमुख, रक्षा संकट प्रबंधन समूह के अध्यक्ष के रूप में, भारत के भीतर और बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए संकट की स्थिति के दौरान सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं।

.....एचक्यू आईडीएस, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, स्टाफ कॉलेज और रक्षा प्रबंधन कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करता है जो न केवल भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों बल्कि मित्रवत देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ऐसा करते हुए, सशस्त्र सेनाओं के लिए सक्षम संभावित भावी लीडर तैयार करने की दृष्टि से सिद्ध और नवीन अवधारणाओं, प्रौद्योगिकियों और आधुनिक प्रथाओं का उपयोग करके पेशेवर, बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण के उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जाते हैं।

.....भावी युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तीन नए संगठन - आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन किया गया था। गत कुछ वर्षों में इन संगठनों की कार्यकलापों के दायरे और महत्व दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उनका संपोषण और क्षमता विकास भी संयुक्त स्टाफ बजट पर निर्भर करता है।"

उन्होंने आगे बताया:

"अब मैं ज्वाइंट स्टाफ एलोकेशन पर बात करना चाहूंगा और संयुक्त स्टाफ बजट का विवरण प्रस्तुत करूंगा। डेटा में एसएफसी शामिल नहीं है। आईडीएस, मुख्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5,670.46 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जो हमारी सेटिसफैक्शन लेवल को 92 प्रतिशत तक ले जाता है। इसमें 3,843.31 करोड़ रुपए रेवेन्यु तथा 1827 करोड़ रुपए केपीटल हैं। कुल राजस्व आवंटन में से 1497.03 करोड़ रूपये विभिन्न संयुक्त स्टाफ संगठनों के प्रचालनात्मक संपोषण और रखरखाव आवश्यकताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। कम्पैरेटिव डेटा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहां मैं स्पेशल मेनशन करना चाहूंगा कि वर्ष 2023-24 के लिए हमें बीई दोगुना दिया गया है, जो सराहनीय है। बीई स्तर पर इस वृद्धि से संयुक्त स्टाफ संगठन को लाभ होगा जो न केवल दर्जे, आकार में बढ़ रहे हैं बल्कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही अपने योजनाबद्ध प्रशिक्षण, प्रचालनात्मक और अन्य कार्यात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्लाइड में प्रदर्शित पूंजी आवंटन को पर्याप्त माना गया है। मुख्यालय (आईडीएस) द्वारा अनुमानित संपूर्ण निधि आवंटित की गई थी जिससे हमारे प्रयासों में सहायता मिल रही है।"

4.4 समिति ने आरई 22-23 स्तर पर संयुक्त स्टाफ के संबंध में राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकताओं के विवरण पर ध्यान दिया जो निम्नानुसार है: -

(रूपये करोड़ में)

	राजस्व	पूंजीगत	कुल
बीई आवंटन	3,194.67	1,267.68	4,462.35
आरई अनुमान	4,610.53	1,403.72	6,014.25
आरई में मांगी गई अतिरिक्त राशि	1415.86	136.04	1,551.90
आरई आवंटन	4,094.67	1,403.72	5,498.39

नोट: आरई 22-23 के आंकड़े संसद के अधीन हैं।

2. संयुक्त कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व शीर्ष के तहत प्रथम लक्ष्य में 586 करोड़ रुपये के मुकाबले 386 करोड़ रुपये के योग बनाए गए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत शीर्ष के प्रथम दायित्वों में संयुक्त कर्मचारियों द्वारा किसी भी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की गई थी।

3. आरई चरण पर संबद्ध व्यय की गति, अन्य सेवाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं एवं समग्र संसाधन एक पर आधारित था। यह भी जोड़ा जा सकता है कि निर्दिष्ट फंड का ईष्टतम उपयोग संक्रियात्मक कार्यकलापों के लिए किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो परियोजना को पूर्ण प्राथमिकता प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा सेना की संक्रियात्मक तैयारी के साथ ब्लॉग किसी प्रकार के समझौते के बिना और महत्वपूर्ण क्षमता को दिखलाया जा सकता है।"

<u>सशस्त्र सेनाओं का थिएटराइजेशन</u>

4.5 मौखिक साक्ष्य के दौरान, जब सशस्त्र सेनाओं के थिएटराइजेशन के बारे में पूछा गया, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने निम्नानुसार बताया:

"हमने थिएटराइजेशन के इस मुद्दे पर तीनों सेवाओं को साथ लाने की कोशिश की है, जो एक बुनियादी मुद्दा है। जब हम थिएटराइजेशन को देखते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसके साथ तीन चीजें घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं: थिएटराइजेशन, एकीकरण और संयुक्तता। जब हम थिएटराइजेशन कहते हैं, तो यह संगठनात्मक ढांचे का निर्माण कर रहा है जो संयुक्त प्रकार की योजना, प्रचालन का निष्पादन और इसकी निगरानी आदि करेगा। यह तभी हो सकता है जब तीनों सेवाओं के बीच पर्याप्त एकीकरण हो। जब हम एकीकरण कहते हैं, तो यह सूचना प्रवाह, आसूचना, संचार, संयुक्त संभार तंत्र आदि है। यदि हम इसे एकीकृत करते हैं तो जाहिर है कि इससे थिएटर कमांड बनाने में सहायता मिलेगी। अंत में, संयुक्तता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, का अर्थ है कि प्रत्येक सेवा को एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण की बजाए एक-दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। इसे कई संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है जो एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हम एक साथ स्टाफ कॉलेज

से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह हमारे बीच एक बॉन्डिंग बनाता है। इससे एकीकरण और थिएटराइजेशन की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। अब तक हम कहां पहुंचे हैं, जहां तक ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने का सवाल है, तीनों सेना प्रमुखों और मेरे बीच कई बैठकें हुई हैं। .... हमें थिएटर कमांड बनाने में सक्षम होना चाहिए।"

अध्याय - पाँच

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

समिति ने पाया कि ईसीएचएस को 01 अप्रैल, 2003 से शुरू किया गया था। ईसीएचएस का उद्देश्य पूर्व सैनिकों (ईएसएम) पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

5.2 समिति को सूचित किया गया है कि ईसीएचएस केंद्रीय संगठन दिल्ली में स्थित है और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के अधीन कार्य करता है और इसके प्रमुख प्रबंध निदेशक, ईसीएचएस होते हैं, जो कि एक सेवारत कार्मिक होते हैं। उपचार प्रदान करने के लिए 30 क्षेत्रीय केंद्र, 427 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और 3097 सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य देखभाल संगठन हैं। ईसीएचएस में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों सहित लगभग 55 लाख की सदस्यता है। देश के 748 जिलों में से 353 जिले ईसीएचएस के अंतर्गत आते हैं। ईसीएचएस रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीओईएसडब्ल्यू) का एक सम्बद्ध कार्यालय भी है।

5.3 इस योजना को चलाने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के मौजूदा कमान और नियंत्रण ढांचे को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। स्टेशन कमांडर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पर सीधा नियंत्रण रखते हैं। क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस कमान मुख्यालय/क्षेत्र मुख्यालय के अधीन हैं। ईसीएचएस केंद्रीय संगठन एडजुटेंट जनरल की शाखा, सेना मुख्यालय के एक भाग के रूप में कार्य करता है।

5.4 ईसीएचएस पॉलीक्लीनिकों के वर्गीकरण के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर के माध्यम से समिति को निम्नवत् बताया:

(क) पॉलीक्लीनिकों को वहां सेना अस्पताल सह-स्थित है या नहीं के आधार पर या तो सैन्य या असैन्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसके बाद उस क्षेत्र में निवास कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के आधार पर पांच प्रकारों अर्थात टाइप ए से ई तक वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पॉलीक्लीनिक की श्रेणी	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
(i)	टाइप ए	20,000 से ऊपर
(ii)	टाइप बी	10,000 से ऊपर
(iii)	टाइप सी	5,000 से ऊपर
(iv)	टाइप डी	2,500 से ऊपर
(v)	टाइप ई (मोबाइल)	1,500 से ऊपर (दूरस्थ क्षेत्रों के लिए)

(ख) वर्तमान में ईएसएम और उनके आश्रितों सहित लगभग 55 लाख लाभार्थी ईसीएचएस का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) नए पॉलीक्लिनिक खोलने या मौजूदा पॉलीक्लिनिक को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पॉलीक्लिनिक पर ईएसएम की निर्भरता के साथ-साथ नए पॉलीक्लिनिक की आवश्यकता की समीक्षा की जाती है।

बजट

5.5 विगत पांच वर्षों के दौरान ईसीएचएस का बजट अनुमान, आबंटन और व्यय तथा वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान का ब्यौरा निम्नवत् है:

वित्त वर्ष	**अनुमान (करोड़ रु. में)**	**आबंटन (करोड़ रु. में)**	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2018-19	4686.00	3198.02	3258.00
2019-20	5733.00	5199.21	5193.60
2020-21	6892.00	5321.28	4579.63
2021-22	5643.61	4870.75	4864.66
2022-23	5777.51	5143.51	4347.74 (11.01.2023 तक)
2023-24	5780.00	-	-

5.6 मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपूरक स्तर पर प्रदान की गई अतिरिक्त धनराशि के बारे में निम्नवत् बताया:

"सीएफवाई 2022-23 में निम्नलिखित अनुपूरक/अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है:-

(i) एमटीआरई के भुगतान के लिए 14 सितंबर 2022 को मुख्य शीर्ष 8000 (भारत की आकस्मिकता निधि) से 1000.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसकी पूर्ति अब मुख्य शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107, उप शीर्ष ई और कोड हेड 365/00 (एमटीआरई) से कर दी गई है।

(ii) 19 अक्टूबर 2022 को कोड हेड 363/01 (मेडिकल स्टोर) के तहत 11.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

(iii) 16 नवंबर 2022 को कोड हेड 363/01 (मेडिकल स्टोर) के तहत 250.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

(iv) कोड हेड 365/00 (एमटीआरई) के तहत 21 नवंबर 2022 को 300.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

5.7 इस मुद्दे पर कि क्या ईसीएचएस बजट में दवा पर व्यय शामिल है, ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"सर्विस हॉस्पिटल्स में इनके इलाज के लिए मेडिसिन्स वगैरह का जो बजट है, तो हम डीजीएफएमएस को देते हैं, वही मेडिसिन्स का इस्तेमाल वहां किया जाता है।

डॉक्टर्स की सैलरी नॉर्मल सर्विस बजट से होती है, मगर जो दवाईयां हैं, वे ईसीएचएस के बजट से ही ली जाती हैं और वही दवाइयां उनको वहां दी जाती हैं।"

5.8 बजटीय आवंटन और व्यय के मुद्दे पर ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"सर, वर्ष 2022-23 में अभी तक हम लोगों को 5,429 करोड़ रुपये का एलोकेशन हो चुका है। अगर आप पिछले साल के मुताबिक देखें तो यह तकरीबन 600 करोड़ रुपये ज्यादा हुआ है। इसका जो एक्सपेंडिचर है, उसमें करीब 88 परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। अभी 31 मार्च तक हमारा एक्सपेंडिचर पूरा हो जाएगा। वास्तव में, कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की भी उम्मीद है। हम उसके लिए भी बातचीत कर रहे हैं।"

<u>ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों के लिए अधिकृत और वास्तविक जनशक्ति</u>

5.9 जैसा कि समिति को बताया गया है, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों के लिए अधिकृत और वास्तविक जनशक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अधिकृत और वास्तविक जनशक्ति का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	नियुक्ति	प्राधिकृत जनशक्ति	वास्तविक जनशक्ति
(i)	चिकित्सा अधिकारी	955	955
(ii)	चिकित्सा विशेषज्ञ	200	182
(iii)	रेडियोलॉजिस्ट	61	04
(iv)	स्त्री रोग विशेषज्ञ	61	57
(v)	दंत चिकित्सा अधिकारी	471	425
(vi)	ओआईस पॉलीक्लीनिक	410	410
(vii)	पैरा मेडिकल	2528	2528
(viii)	चालक	488	488
(ix)	नॉन मेडिकल स्टाफ	1640	1640
	कुल	**6814**	**6689**

(ख) मौजूदा अधिकृत जनशक्ति में कोई कमी नहीं हुई है। अप्रयुक्त रिक्तियां छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण हैं। यह एक परिवर्तनशील आंकड़ा है और तदनुसार मौजूदा प्राधिकार के भीतर युक्तिकरण किया जाता है। हालांकि, लगातार बढ़ते लाभार्थी आधार ने संविदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को अनिवार्य कर दिया है।

5.10 समिति ने ईसीएचएस क्लीनिकों/पॉलीक्लिनिकों में संविदात्मक जनशक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहा। इस पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर के माध्यम से समिति को निम्नवत् बताया:

"ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों की नए सिरे से समीक्षा के लिए एक मामला पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, जिसमें 17 नए पॉलीक्लिनिकों की स्थापना, 42 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों का उन्नयन, 91 नए पॉलीक्लिनिकों के प्लेसमेंट के साथ 19 पॉलीक्लिनिकों का पुनर्स्थापन और 20 मौजूदा टाइप 'ई' पॉलीक्लीनिकों का एमएमयू में रूपांतरण शामिल है। नए पॉलीक्लिनिक की स्थापना, पॉलीक्लिनिक के उन्नयन से अनुबंधित कर्मचारियों की अधिकृत संख्या में लगभग 2000 की वृद्धि होगी। प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।"

5.11 समिति के मौखिक साक्ष्य के दौरान विशेषज्ञों की कमी के मुद्दे पर ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> "महोदय, ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक्स में जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं, वे टाइप-ए और बी पॉलीक्लीनिक्स में काम करने के लिए अधिकृत होते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट, गाइनॉकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, ये तीन तरह के स्पेशलिस्ट्स अधिकृत होते हैं। एक लाख रुपये प्रति महीने के हिसाब से इन्हें रिम्युनरेशन दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर इन सब विशेषज्ञों की जो सैलरी है, वे ज्यादा हैं। यहां यह कम होने की वजह से उनकी इम्प्लॉयमेंट यहां उतनी नहीं होती है। लेकिन, जो प्रावधान दिया गया है, जिसमें एक्स सर्विसमेन की ट्रीटमेंट एम्पैनेल्ड हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं तो जब वे ऐसे पॉलीक्लीनिक्स में जाते हैं, जहां स्पेशलिस्ट्स नहीं हैं तो फिर ओपीडी के लिए भी वे एम्पैनेल्ड हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।"

<u>ईसीएचएस द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को लंबित बिलों का भुगतान</u>

5.12 निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के भुगतान के लिए लंबित असमायोजित ईसीएचएस मेडिकल बिलों की समस्या के निवारण के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत् बताया:

> "निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के असमायोजित ईसीएचएस मेडिकल बिलों की समस्या के निवारण के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-
>
> (i) बिल प्रोसेसिंग एजेंसियों (बीपीए) के साथ टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) की निरंतर निगरानी।
> (ii) शीघ्र प्रक्रिया के लिए 'अधिक जानकारी की आवश्यकता (एनएमआई)' पैनलबद्ध अस्पतालों के मामलों की प्रतिक्रिया की निगरानी।
> (iii) अतिरिक्त धन के आवंटन की मांग की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 22 सितंबर को आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपये और चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (एमटीआरई) के तहत नवंबर 2022 में 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अनसुलझे मेडिकल बिलों को चुकाने के लिए संशोधित अनुमान चरण में अधिक आवंटन की उम्मीद है।"

5.13 समिति के मौखिक साक्ष्य के दौरान ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने इस विषय पर आगे निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया:

"सर, हर साल करीब पन्द्रह सौ करोड़ रुपये से दो हजार करोड़ रुपये के बिल इन प्रोसेस होते हैं। बजटरी प्रोसेस बीई और आरई स्टेज पर आखिरी फाइनेन्शियल ईयर में होता है, उस हिसाब से पेमेंट किया जाता है। अभी हमें आरई स्टेज तक के पैसे मिल चुके हैं, उसका पेमेंट अभी तक किया गया है। पैसा दोबारा रिएप्रोप्रिएट होकर अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग उसका पेमेंट करेंगे।"

5.14 अनुदान मांगों 2023-24 पर चर्चा के दौरान समिति ने सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा उठाए गए फर्जी बिलों और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। इस पर एक प्रतिनिधि ने बताया कि:

"महोदय, सबसे पहले तो एम्पैनेल्ड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब उसे एक वैलिड रेफरल के तौर पर दिया जाता है। यह रेफरल ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक में ही कराया जाता है। उसका एक खास नम्बर होता है और इसमें आई.टी. का एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। वहां जाने के बाद उस नम्बर की जांच होती है। उनके डेटा हमारे डेटाबेस से लाया जाता है। हॉस्पिटल्स के अन्दर भी उनके कार्ड स्वाइप करने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें उनकी फोटो से पहचान हो सकती है। ये सारी सुविधाएं की गयी हैं। पिछले चार सालों में इनके ऊपर काफी काम किया गया है। आप जो यह कह रहे हैं तो इन सबको पूरा चेक करने के लिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं ताकि फर्जी बिल न बने।"

<u>उपचार के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक्स में एकीकृत परिसर</u>

5.15 उपचार के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक्स में आवास प्रदान करने के बारे में पूछे जाने पर, ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने बताया कि:

"सर, इसको ध्यान में रखते हुए एक नये कांसेप्ट पर काम शुरू किया है। वह यह है कि एक्स सर्विसमैन कांप्लेक्स के तौर पर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। दफ्तर, रेस्ट हाउस, पॉलीक्लीनिक सब एक ही जगह आ जाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं।"

.....सर, पॉलीक्लीनिक में कई बार दूर से लोग आते हैं, उनको दवाई नहीं मिलती है, लेट हो जाता है तो उनको रुकना पड़ता है। छोटी-छोटी जगहों में यह कंप्लेंट आ रही है। इंटीग्रेटेड कांप्लेक्स की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कुछ जगह सैंक्शन किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जमीन भी देनी

पड़ती है। जहां पुराने बन चुके हैं, वहां तो लाना मुश्किल हो रहा है। अल्टीमेटली हमें ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के आसपास कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा।"

<u>दूर-दराज के इलाकों में ईसीएचएस</u>

5.**16** दूर-दराज के इलाकों में ईसीएचएस की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"नए पॉलीक्लिनिकों की आवश्यकता के साथ-साथ पॉलीक्लिनिक पर ईएसएम की निर्भरता की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि नए पॉलीक्लिनिक खोले जा सकें और साथ ही मौजूदा पॉलीक्लिनिक को अपग्रेड/डाउनग्रेड किया जा सके। योजना के तहत, दूर दराज के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोबाइल पॉलीक्लिनिक्स का प्रावधान है। उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में 17 मोबाइल पॉलीक्लिनिक्स स्वीकृत किए गए हैं।

उन सभी ईसीएचएस लाभार्थियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) प्रदान किया गया है जो ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां पॉलीक्लिनिक उपलब्ध नहीं हैं।

गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों/शहरों में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) दरों को कम किया गया ताकि अधिक से अधिक अस्पतालों को ईसीएचएस के पैनल में शामिल किया जा सके। दूरदराज के स्थानों और पहाड़ी/पर्वतीय इलाकों में ईसीएचएस की पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा 20 टाइप 'ई' (मोबाइल) पॉलीक्लिनिक सहित 111 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।"

5.17 इसके अलावा यह पूछे जाने पर कि यदि कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो क्या विकल्प है, एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया:

"यदि कोई इस लाभ को लेने में रुचि नहीं रखता है तो एक निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये का निश्चित चिकित्सा भत्ता मिलता है।"

5.18 मोबाइल ईसीएचएस पॉलीक्लीनक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"इस समय देश में 17 मोबाइल पॉलीक्लीनिक उपलब्ध हैं। एमजीएस शाखा द्वारा इन मोबाइल क्लीनिकों के लिए एमएमयू आदेश पहले ही दिया जा चुका है। ये मोबाइल पॉलीक्लीनिक महिलाओं और बच्चों सहित सभी लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशन की सुविधा शुरू किया जाना प्रस्तावित है।"

<u>अन्य संबंधित मुद्दे - वातकारा तालुक, कोझीकोड, केरल में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करना</u>

5.19 साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष वातकारा तालुक, कोझीकोड, केरल में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे आए:

"इस विशाल क्षेत्र में रहने वाले हजारों पूर्व सैनिकों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही है। पश्चिमी घाट की तलहटी से लेकर अरब सागर के समुद्री तट तक फैले इस तालुक में 6000 से अधिक पूर्व सैनिक हैं। तहसील के पूर्व में स्थित अधिकांश बस्तियों और गांवों तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा जाना दुष्कर है। बीमार होने वाले कुछ पूर्व सैनिकों को बस स्टेशन तक पहुंचने और कोझीकोड या कन्नूर में जिला मुख्यालय जाने वाले सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक तक पहुंचने के लिए पूरे तीन घंटे की यात्रा करने से 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों को असहनीय कठिनाई होती है। इस कठिनाई के परिणामस्वरूप क्षेत्र में रहने वाले कई पूर्व सैनिकों को सिविल क्लीनिकों में अधिक पैसा देना पड़ जाता है।"

अध्याय - छह

सैनिक स्कूल

समिति ने पाया कि सैनिक स्कूलों की योजना 1961 के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामुहिक प्रयास के रूप में की गई थी ताकि देश के जिन हिस्सों में इस तरह की सुविधा नहीं थी, वहां सैनिक स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। सैनिक स्कूल का पहला उद्देश्य कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करना है। इसका अगला उद्देश्य सशस्त्र बलों में अधिकारी कैडर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इस उद्देश्य के लिए इस योजना में उस राज्य के अधिवासित छात्रों के लिए 67 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है जहां सैनिक स्कूल स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका शरीर, मन और चरित्र को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि युवा कैडेट देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनें। 23 राज्यों में 33 सैनिक स्कूल और लगभग 16000 कैडेटों के साथ एक संघ राज्य क्षेत्र में, तीन स्कूल उत्तर प्रदेश में, दो-दो स्कूल सात राज्यों में और 15 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक स्कूल हैं।

6.2 समिति द्वारा प्रस्तुत पिछले पांच वर्षों के दौरान सैनिक स्कूलों के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**अनुमानित बजट करोड़ रुपये)में(**	**आवंटित बजट (करोड़ रुपये में)**
2018-19	124.00	84.22
2019-20	115.00	40.40
2020-21	बजट अनुमान के तहत अनुमानित बजट :116.00 संशोधित अनुमान के तहत संशोधित बजट :217.44	329.36
2021-22	बजट अनुमान के तहत अनुमानित बजट :137.68 संशोधित अनुमान के तहत अनुमानित संशोधित बजट :300.00	300.00
2022-23	बजट अनुमान के तहत अनुमानित बजट :170.87 संशोधित अनुमान के तहत संशोधित बजट :235.08	200.00
2023-24	बजट अनुमान के तहत अनुमानित बजट :175.87	डीजीएफपी द्वारा आवंटित किया जाएगा

6.3 राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में दिए गए बजट का विवरण निम्नानुसार है।

(लाख रुपया में)

	2019-20	2020-21	2021-22
केंद्र सरकार का हिस्सा	4039.93	31938.29	11950.98
राज्य सरकार का हिस्सा	11899.53	10270.99	22598.10
कुल	**15939.46**	**42209.28**	**34549.08**

<u>सैनिक स्कूलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ और बाधाएँ</u>

6.4 समिति ने सैनिक स्कूलों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और बाधाओं के साथ-साथ इन चुनौतियों से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत कराने की इच्छा जताई। इस संबंध में एक विस्तृत नोट समिति को प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया है:

"इन स्कूलों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं और इन समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं: -

(क) **कर्मचारियों को वेतन और पेंशन**: छठी केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधन के कार्यान्वयन से पहले, अधिकांश सैनिक स्कूल आत्मनिर्भर थे। हालांकि, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के कार्यान्वयन के पश्चात सैनिक स्कूलों को विशेष रूप से अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान से संबंधित निधि की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को पांचवें और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर से उत्पन्न होने वाले वेतन, भत्तों, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के 100 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान आवंटित करती है।

(ख) **अपर्याप्त आधारभूत संरचना**: सैनिक स्कूल भूमि, भवन और बुनियादी ढाँचे के मामले में अच्छी तरह से संपन्न हैं, हालाँकि, कुछ स्कूल 60 वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण, उनका आधारभूत संरचना समय के साथ समाप्त हो गया है। मौजूदा आधारभूत संरचना को बनाए रखने के लिए मंत्रालय प्रत्येक स्कूल को उनकी मांग के अनुसार हर साल 1 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान करता है। । इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर इन सैनिक स्कूलों को उनके आधारभूत संरचना के संवर्धन/आधुनिकीकरण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। इसके लिए, मंत्रालय ने इन सैनिक स्कूलों को कन्या छात्रावास निर्माण के लिए 2020-21 में 109 करोड़ रुपये रुपये की एकमुश्त अनुदान सहायता दिया है। । इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों को स्कूलों के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अंशदान देने के लिए

राजी करने हेतु भी कदम उठाए हैं। 2021-22 के दौरान राज्यों ने स्कूलों को उनके बुनियादी ढांचे के संवर्धन/रखरखाव/निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपये दिए हैं ।

(ग) **नए सैनिक स्कूलों की मांग**: मंत्रालय को अपने राज्यों में सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार (सरकारों) से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका समाधान करने के लिए, सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों/निजी/राज्य सरकार के स्कूलों के साथ भागीदारी मोड में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल शुरू की है और इसे मंजूरी दी है। अब तक सैनिक स्कूल सोसायटी ने देश भर के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे 18 नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने देश के सभी हिस्सों में काफी हद तक सैनिक स्कूल पैटर्न की शिक्षा की पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा और नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है।"

<u>सैनिक स्कूलों में छात्राओं के लिए आधारभूत संरचना</u>

6.5 मंत्रालय से देश में सैनिक स्कूलों के छात्राओं के लिए मौजूदा और आवश्यक आधारभूत संरचना और सैनिक स्कूलों में छात्राओं के दाखिले में तेजी लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विवरण देने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से छात्राओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के आधारभूत संरचना के लिए सैनिक स्कूलों के लिए 2020-21 के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा 109 करोड़ रुपये की निधि निर्धारित की गई थी। सैनिक स्कूलों द्वारा बालिका कैडेटों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: - (क) बालिका कैडेटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांटेदार तार की बाड़ के साथ एक अलग छात्रावास बनाया गया है। (ख) छात्रावास में बालिका कैडेटों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से बालिका कैडेटों की देखभाल के लिए निम्नलिखित कर्मियों को नियुक्त किया जाता है: - (i) एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक / शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक सह मैट्रन (महिला) जो सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में पूरे दिन बालिका कैडेट साथ रहती है । (ii) कैडेटों की चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एक नर्सिंग सिस्टर। (iii) हाउसकीपिंग और लड़कियों के छात्रावास के रखरखाव के लिए दो महिला सामान्य कर्मचारी (ग) छात्रावास, खेल मैदान, सभागार, मेस और अकादमिक ब्लॉक में लड़कियों की सुविधा के लिए अलग शौचालय बनाये जाते हैं। (घ) बालिका कैडेटों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 3. बालिका कैडेटों को लड़के कैडेटों के साथ उसी प्रशिक्षण पैटर्न में प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें उनके समग्र विकास के लिए अकादमिक, पीटी, खेलकूद, ड्रिल और अन्य

सह-पाठयक्रम गतिविधियां शामिल हैं। उन्हें स्कूल में कैडेट के रूप में विकसित होने और भविष्य में रक्षा बलों में शामिल होने के समान अवसर दिए जाने चाहिए।

6.6 इस संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"‥ छठी कक्षा में कुल सीटों में से 10 प्रतिशत सीटे लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 10 लड़कियों की संख्या सुनिश्चित की जाती है। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान लड़कियों की संख्या 1,000 से अधिक हो जाएगी। जहां अधिक से अधिक लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है, वहीं प्रत्येक सैनिक स्कूल के आधारभूत संरचना में सुधार के प्रयास भी जारी हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी संबद्ध सुविधाओं और सुरक्षा उपायों के साथ लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए 28 सैनिक स्कूलों को 3.3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

<u>सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत 100 सैनिक स्कूल खोलना</u>

6.7 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नए स्कूलों के के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी:

"भारत सरकार के निर्णय के अनुसार नई सैनिक स्कूल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं, पहले चरण में पीपीपी मोड के तहत 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये स्कूल देश के सभी राज्यों में स्थित होंगे। इच्छुक स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आज तक 18 नए सैनिक स्कूलों को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये 18 नए सैनिक स्कूल पहले से ही काम कर रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों को शिक्षा के केवल सैनिक स्कूल पैटर्न पर चलाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। नए सैनिक स्कूलों में सैनिक स्कूल पैटर्न के साथ-साथ गैर-सैनिक स्कूल पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं। ये नए स्कूल डे स्कूल या आवासीय स्कूल हो सकते हैं।

नए सैनिक स्कूलों में मेरिट के आधार पर प्रवेश का मानदंड मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के समान होगा, जिसमें छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा

आयोजित अखिल भारतीय स्तर के कॉमन एडमिशन टेस्ट में प्राप्त योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

नए सैनिक स्कूलों के शिक्षकों को उन्मुख करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। तदनुसार, नए सैनिक स्कूलों के शिक्षकों ने आईआईटीई, यानी गांधीनगर में भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान से केंद्रीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सरकार ने 50 प्रतिशत की वार्षिक शुल्क सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, जो 50 प्रतिशत कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन है, जो योग्यता-सह-साधनों के आधार पर 50 छात्रों की ऊपरी सीमा के अधीन है।"

6.8 इस विषय के संबंध में सैनिक स्कूल के एक प्रतिनिधि ने आगे निम्नानुसार बताया -

पीपीपी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, जब हम इनके नॉर्म्स तय कर रहे थे तो हमने ध्यान रखा कि पुराने 33 स्कूल, जो भारत सरकार चला रही है, इनको उसी हिसाब से एलाइन किया जाए। जमीन की बात छोड़ दें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिसके कारण नए स्कूल खुलने में दिक्कत आ सकती थी। पुराने सैनिक स्कूलों में जमीन काफी थी, इसलिए हमने जमीन का नार्म आवश्यकता के हिसाब से डाइल्यूट किया, लेकिन इतना तब भी रखा है कि सैनिक स्कूल में बच्चों को जो भी गतिविधियां करानी हैं, वे अच्छे से हो सकें। इनमें पुराने स्कूलों के करिकुलम के हिसाब से ही रखा है। यहां तक कि हमने इतनी यूनिफार्मिटी रखने की कोशिश की है ताकि बच्चों की यूनिफार्म, कुरिकुलम, सिलेबस एक हो।

इसके अलावा एस्टाबलिश सैनिक स्कूलों को देखकर भी वे सीखें कि किस तरह से कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो नए सैनिक स्कूल हैं, वहां के बच्चे और टीचर्स को पुराने सैनिक स्कूल में भेजें ताकि वे देख सकें कि किस तरह से सब कुछ किया जा रहा है। नए सैनिक स्कूल के टीचर्स की कैपिसिटी सही तरीके से डेवलप हो, इसके लिए उनको एक यूनिफार्म ट्रेनिंग दे रहे हैं जो पुराने टीचर्स को देते थे। उसी इंस्टीट्यूट से उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है और इसे हमने कम्पलसरी किया है।

इसके अलावा विचार किया जा रहा है कि इंटेंसिव इंस्पेक्शन और करैक्शन का रिजीम रखें ताकि बार-बार जाकर देखा जाए और अगर कहीं लगता है कि सुधार

की आवश्यकता है और वे पीछे रह रहे हैं, वहां उनको सलाह देकर सुधार करवाया जाए। अब दिक्कत यह है कि जो नए स्कूल शुरू हुए हैं, उनका यह पहला सेशन है और वहां केवल छठी क्लास चल रही है। 50 बच्चे सैनिक स्कूल मोड पर चल रहे हैं। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, हमें उम्मीद है कि उनके कल्चर में काफी चेंज होगा। बच्चों के एडमिशन के लिए कॉमन एग्जाम रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पीपीपी मोड वाले बच्चों का किसी दूसरे सोर्स से सलैक्शन कर रहे हैं। जो लोकल बच्चे उस स्कूल के हैं, जिनके लिए 60 प्रतिशत सीट्स रखी हैं, उनको भी एनटीए एग्जाम के थ्रू ही आना होता है। हमारी कोशिश है कि स्टैंडर्ड कहीं भी डाइल्यूट न हों, हम जिस तरीके से पुराने स्कूल चलाते थे, वही कल्चर, वही सिलेबस और उसी तरह काम का माहौल नए स्कूलों में हो। यह हमारे विशेष टार्गेट पर रहेगा क्योंकि हमें भी इसकी चिंता है कि अगर यह स्कीम आई है तो इसे सही तरीके से चलना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पर ज्यादा ध्यान दें और सुधार लाते रहें।"

6.9 यह पूछे जाने पर कि क्या रक्षा मंत्रालय ने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए कोई वित्तीय आवंटन किया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"इस योजना के तहत योग्यता-सह-साधन के आधार पर कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 तक प्रति वर्ष कक्षा की संख्या के 50 प्रतिशत (50 छात्रों की ऊपरी सीमा के अधीन) के लिए 50 प्रतिशत शुल्क की वार्षिक सहायता (प्रति वर्ष 40,000 रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन) दिया जाएगा।

स्वीकृत विद्यालयों को 12वीं कक्षा में छात्रों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर ऐसे प्रत्येक स्कूल को वार्षिक रुप से प्रशिक्षण अनुदान के रूप 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।"

6.10 प्रधानाचार्यों के रूप में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान पर, यदि नियमित सेवारत सैन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो सैनिक स्कूलों के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"किसी आर्मी अधिकारी को नए स्कूल में पोस्ट करना फिजीबल नहीं होगा। हमने ऐसा किया है कि पीपीपी मोड के हर नए स्कूल के पास जो सैनिक स्कूल होगा, उसे मेन्टोर बनाया गया है। वहां का जो प्रिंसिपल होगा, उसका सुपरविजन इस स्कूल पर रहेगा।

उसकी गाइडेंस रहेगी और उनके हिसाब से सारा करिकुलम भी चलेगा। वे पूरा सुपरविजन भी करेंगे। इस तरह की एक मोडालिटी क्रिएट की गई है, ताकि जो सैनिक स्कूल के ऑर्मी ऑफिसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वे एक सुपरविजन इन नये स्कूल्स के ऊपर रख सकें।"

उन्होंने आगे कहा:

"सर, उसमें हमारी ओर से कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, वे अपने प्रिंसिपल वगैरह की नियुक्ति खुद ही करते हैं। लेकिन, हम लोगों ने एनकरेज तो किया है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उनके पास टीचर्स नहीं हैं तो वे रिटायर्ड सर्विस मैन की तरफ देख सकते हैं और उसको रख सकते हैं।"

6.11 सैनिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और प्रशिक्षकों के रूप में जेसीओ और एनसीओ की सेवाओं के संबंध में समिति के एक विशेष प्रश्न के उत्तर में सैनिक स्कूलों के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

सबसे पहले सेना शैक्षिक कोर के जेसीओ, एनसीओ की क्षमता को पहचानने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हमारे पास वायु सेना और नौसेना के समकक्षों के पास भी इसी तरह की क्षमता है।

जहां तक इनके यूटिलाइजेशन का सवाल है, ये बहुत काबिल लोग हैं। अगर सैनिक स्कूल चाहता है कि हम इनका एक पैनल दें या इनको कंसीडरेशन में लेना चाहती है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉलिसी डिसिजन है। मैं इसको सैनिक स्कूल सोसाइटी के ऊपर छोड़ देता हूं। जहां तक सेना शिक्षा कोर का सवाल है, अगर ये प्रपोजल आता है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।

टिप्पणियां/सिफारिशें

थलसेना

बजट

समिति नोट करती है कि थलसेना सशस्त्र बलों का भूमि घटक है। भारतीय थलसेना एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा को सशक्त करती है और राष्ट्रीय मूल्यों से ओत प्रोत है। थल सेना राष्ट्रीय हितों के संरक्षण, संप्रभुता की रक्षा, राष्ट्र की अखंडता तथा एकता की रक्षा के लिए समर्पित है। थलसेना की चुनौतियों में छद्म युद्धों को विफल करना, आंतरिक खतरों को हराना/दूर करना, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं सहित सभी आवश्यकताओं और संकटों में भारत की सरकार और जनता की सहायता करना शामिल है। सभी कर्तव्यों को निपुणता से निभाने के लिए, थलसेना को अनुमान के अनुसार राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत बजट की भी आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेना ने 1,84,989.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था और आश्चर्यजनक रूप से अनुमान के बहुत करीब 1,81,371.97 करोड़ रुपये आबंटित किए गए, जो अनुमान से मात्र 3,617.63 करोड़ रुपये कम हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,74,038.35 करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में केवल 1,63,713.69 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जो 10,324.66 करोड़ रुपये कम थे। उसी वर्ष संशोधित अनुमान में थलसेना ने 1,80,526.71 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था लेकिन आबंटन 1,73,335.62 करोड़ रुपये था। समिति ने पाया कि दिसंबर, 2022 तक थलसेना केवल 1,27,935.76 करोड़ रुपये खर्च कर पाई है और

आगामी तीन महीनों में 45,399.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। समिति की राय में इसके लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय योजना और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय से इस संबंध में अंतिम परिणाम जानना चाहेगी। समिति समझती है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन पर व्यय होता है जो एक स्थायी व्यय है। गैर-वेतन व्यय सामाग्री, राशन, परिवहन, ईंधन आदि पर खर्च किया जाता है जो थलसेना के नियमित प्रशिक्षण और संक्रियात्मक तैयारियों के लिए आवश्यक हैं, अतः समिति सिफारिश करती है कि राजस्व शीर्ष के तहत इस वर्ष अनुकूल आबंटन की जो प्रथा शुरू की गई है उसे आने वाले वर्षों में भी जारी रखा जाना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि बाद के बजट - प्रस्तावों को ठोस रूप दिए जाने के बाद वित्त मंत्रालय के साथ नियमित बातचीत की जा सकती है।

2. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में पूंजी शीर्ष के तहत थलसेना का अनुमान 37,341.54 करोड़ रुपये था और समिति आश्चर्यचकित है कि इतनी ही राशि आबंटित की गई है। मांग की तुलना में आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है, हालांकि यह 2022-23 के बजट अनुमान 46,844.37 करोड़ रुपये से काफी कम है। 2022-23 के संशोधित अनुमान में थलसेना का अनुमान 32,598.49 करोड़ रुपये था और आबंटन में कोई कटौती नहीं की गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 की तीन तिमाहियों में अर्थात् दिसंबर 2022 तक केवल 21,600.25

करोड़ रुपये व्यय किया गया था। समिति समझती है कि पूंजीगत बजट में आधुनिकीकरण, सेना के बल स्तर में वृद्धि, अवसंरचना विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है जो न केवल सेना के आधुनिकीकरण के लिए बल्कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। समिति का मानना है कि पूंजी अनुमान वृद्धिशील प्रकृति का होना चाहिए, अपरिवर्तनीय स्थिर होना चाहिए और यह पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं होना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति को समायोजित किया जा सके। विचार-विमर्श के दौरान, शत्रुतापूर्ण संबंध वाले पड़ोसी देशों के बढ़ते रक्षा व्यय के मुद्दे पर चर्चा की गई और उनके साथ समानता की तुलना की गई। इस संबंध में, समिति का मानना है कि यद्यपि तैनात जनशक्ति के वेतन पर व्यय निश्चित है और एक आवश्यक घटक है, तथापि बजट में अत्याधुनिक आयुध प्रणालियों को शामिल करने और सीमाओं पर अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यय को समाहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। हमारा व्यय हमारे पड़ोसियों के रक्षा व्यय में वृद्धि के अनुपात में होना चाहिए, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सेना के पूंजीगत बजट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कम से कम दो शत्रुतापूर्ण संबंध वाले पड़ोसियों की निवारक क्षमता हो। रक्षा बजट पर सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत व्यय करने का मुद्दा, जैसा कि बैठकों के दौरान चर्चा की गई थी और अनुदान मांगों पर प्रतिवेदनों के अन्य भागों में प्रकाशित किया गया था, को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जाना चाहिए।

<u>थलसेना के बजट का प्रतिशत हिस्सा</u>

3. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से समिति ने नोट किया है कि रक्षा बजट में थलसेना की प्रतिशत हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। थलसेना को वर्ष 2018-19 में रक्षा राजस्व बजट का 45.49 प्रतिशत दिया गया था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 42.48 प्रतिशत रह गया है। पूंजीगत बजट खंड में, हिस्सेदारी 2018-19 में 9.60 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 8.33 प्रतिशत हो गई। कुल प्रतिशत भी वर्ष 2018-19 में 55.09 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 50.82 प्रतिशत हो गया। समिति इस तथ्य से अवगत है कि थलसेना विशाल भू-सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उग्रवाद विरोधी एजेंसी के रूप में काम कर रही है इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कुल रक्षा बजट में थलसेना की हिस्सेदारी में कमी नहीं आनी चाहिए।

<u>आधुनिकीकरण के लिए बजट</u>

4. समिति प्रस्तुत उत्तरों से नोट करती है कि रक्षा सेवा प्राक्कलन (डीएसई) में प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए निधियों का अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत बजट अनुमान चरण में थलसेना को 25,908.85 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इसके अलावा, प्रतिबद्ध

देयताओं और नई योजनाओं के लिए निर्धारण, सेवा मुख्यालयों द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं की प्राथमिकता और संविदात्मक गतिविधियों की प्रगति के आधार पर किया जाता है। इन आबंटनों में से वित्तीय वर्ष 2022-23 में (दिसंबर, 2022 तक) 18,503.87 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। समिति आगे नोट करती है कि व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में सेना को 1,142.15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई थी।

5. समिति ने यह भी नोट किया कि आधुनिकीकरण (पूंजीगत अधिग्रहण) शीर्ष के तहत, सेना ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पहले अनुपूरक चरण में 16,293.19 करोड़ रुपये और दूसरे और तीसरे अनुपूरक चरण में 13,400.08 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की मांग की थी। हालांकि, थलसेना को अनुपूरक चरणों में कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नहीं हुआ था। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 के दौरान भी थलसेना को अनुपूरक चरणों में कोई अतिरिक्त आबंटन प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि एचएएल परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं; अपाचे के लिए नकद खर्च; एमजीओ द्वारा पूर्व-व्यापार खरीदे जा रहे वाहन;आपातकालीन विद्युत खरीद और महत्वपूर्ण 10(i) और मौजूदा संविदात्मक शर्तों और देनदारियों की प्रतिबद्ध देयताएं जिनमें काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीस थ्रू सैंक्सन्स एक्ट (सीएटीएसएए) का प्रभाव भी शामिल है, विदेशी प्रतिबद्ध देयताओं, डीपीएसयू, ब्रह्मोस और निजी विक्रेताओं और संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वाहनों

की खरीद पर व्यय को पूरा करने के लिए इन वर्षों में कोई आबंटन नहीं किया गया, समिति इस स्थिति को एक ऐसे परिदृश्य के रूप में देखती है जो थलसेना की संक्रियात्मक तैयारियों को प्रभावित कर सकती है, जिसे अनुपूरक अनुदान चरण में एक निश्चित राशि आबंटित करके टाला जा सकता था।

6. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि थलसेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पहले, दूसरे और अंतिम अनुपूरक चरणों में कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं मांगा है। इस संबंध में, समिति का विचार है कि अनुपूरक अनुदान चरण में आबंटन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस समय तक सभी देनदारियां अंतिम चरण में होती हैं और इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि थलसेना को अनुपूरक अनुदान चरण में अतिरिक्त धन दिया जा सकता है, ताकि पूंजीगत अधिग्रहण में ऐसी बाधा न आए, जिससे भुगतान मे विलंब हो और अंततः कानूनी उलझनों/दंड का सामना करना पड़े। इससे देश की तैयारियां अक्षुण्ण बनी रहेंगी।

7. समिति समझती है कि एक वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध देयता,विगत वर्षों में संपन्न संविदाओं से संबन्धित अनुमानित भुगतान को इंगित करती है। रक्षा सेवा अनुमानों के तहत, प्रतिबद्ध देनदारियां पूंजीगत अधिग्रहण खंड का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि एक परियोजना कई वित्तीय वर्षों तक चल सकती है। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं/प्रस्ताव शामिल होते हैं जो अनुमोदन के

विभिन्न चरणों में हैं और जिनके निकट भविष्य में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। जैसा कि पहले पैरा में उल्लेख किया गया है, इनके लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया गया है और इन्हें पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) बजट से ही पूरा किया जाता है। तथापि, स्पष्टता और बेहतर आयोजना के लिए समिति की इच्छा है कि प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए अलग से आबंटन निर्धारित किया जाना चाहिए।

<u>आयोजना और खरीद</u>

8. समिति ने पाया कि रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)/रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) के अनुसार किया जाता है और दस वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी), पंचवर्षीय रक्षा क्षमता अधिग्रहण योजना (डीसीएपी) और वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) के माध्यम से किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों को डीपीपी/डीएपी प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है इनके लिए बजटीय आबंटन दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सेवा के पूंजीगत अधिग्रहण शीर्षों के अंतर्गत की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान लगभग 60678.67 करोड़ रुपये की 29 आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है, जो आने वाले वर्षों में सेवाओं में उपस्करों को शामिल करने के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

9. समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया था कि अक्टूबर 2022 से भारतीय थलसेना को आपातकालीन खरीद के लिए शक्तियाँ सौंपी गई थीं, जिससे सैनिकों की युद्ध-क्षमता में वृद्धि हुई है।

10. समिति समझती है कि परम्परागत युद्ध केवल तीन तरीकों से लड़े जाते थे। भूमि पर, वायु में और जल में, लेकिन हाल ही में युद्धकी तकनीक में एक उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। पश्चिमी देशों में नवाचार और प्रयोग हुए हैं, और ड्रोन, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस आदि के उपयोग ने युद्ध के क्षेत्र को बढ़ा दिया है, जो अब सुदूरनियंत्रणशैली में बहुत दूर के स्थानों से लड़ा जा सकता है। इस संबंध में, समिति की इच्छा है कि देश को मौजूदा हथियारों को उन्नत करने के अलावा एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा भी विकसित करना चाहिए।

<u>स्वदेशीकरण</u>

11. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों में पाया है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2021-22) और चालू वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, थलसेना के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए कुल 90 पूंजीगत अधिग्रहण संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं,जिनमें से रक्षा उपस्करों की

पूंजीगत खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ कुल संविदा के लगभग 84% मूल्य के 62 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

12. मौखिक साक्ष्य के दौरान भी, थलसेना के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल को भारतीय थलसेना का पूरा समर्थन है जिसमें सेना डिजाइन ब्यूरो के माध्यम से अकादमी और उद्योग तक पहुंचना और कई पहल, स्वदेशीकरण निदेशालय, सेना प्रौद्योगिकी बोर्ड तथा सृजन एप्लीकेशन, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार अर्थात आईडीईएक्स पहल जैसे कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। स्वदेशी हथियारों और प्लेटफार्मों के माध्यम से आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में स्वदेशी स्रोतों से नए उपस्करों और हथियारों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति अर्थात एओएन 99,569 करोड़ रुपये हो गया है।

13. समिति स्वदेशीकरण की दिशा में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है और उम्मीद करती है कि यह जारी रहेगा और आगामी वर्षों में देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए 100 प्रतिशत संविदाएं भारतीय विक्रेताओं को मिलेंगी।

<u>विंटेज और अन्य श्रेणी के उपस्कर</u>

14. समिति ने वर्ष 2018-19 के लिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (16वीं लोकसभा का 41वां प्रतिवेदन) की जांच करते समय पाया था कि किसी भी आधुनिक सशस्त्र बल के पास एक-तिहाई उपकरण विंटेज श्रेणी के, एक-तिहाई वर्तमान श्रेणी के और एक-तिहाई अत्याधुनिक श्रेणी के होने चाहिए और नोट किया कि भारतीय थलसेना के पास विंटेज श्रेणी के 68 प्रतिशत, वर्तमान श्रेणी के 24 प्रतिशत, और अत्याधुनिक श्रेणी के केवल आठ प्रतिशत उपस्कर हैं। विचार-विमर्श के दौरान, थलसेना के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि यह अनुपात 30:40:30 है, जिसमें 30 प्रतिशत नई पीढ़ी के उपस्कर, 40 प्रतिशत वर्तमान उपस्कर और 30 प्रतिशत पुरानी पीढ़ी के उपस्कर होने चाहिए। वर्तमान में, स्थिति में सुधार हुआ है और लगभग 15 प्रतिशत नई पीढ़ी के उपस्कर हैं, लगभग 40 प्रतिशत वर्तमान उपस्कर हैं, और शेष पुरानी पीढ़ी के उपस्कर हैं। स्वदेशीकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है और आशा करती है कि थल सेना आने वाले वर्षों में इस तर्कसंगत अनुपात को प्राप्त करने में सक्षम होगी। तथापि, इस समय समिति केवल यह सिफारिश कर सकती है कि इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों से की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजते समय समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

वायु सेना

बजटीय प्रावधान

15. वर्ष 2023-24 के लिए वायु सेना के संबंध में मांग संख्या 19 और 20 की जांच करते समय समिति ने पाया कि राजस्व अनुभाग में वायु सेना ने 68,081.58 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है जिसके लिए 44,345.58 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आवंटन में 23,736 करोड़ रुपये की कमी है और यह अनुमान से लगभग 34 प्रतिशत कम है। जैसा कि बताया गया कि गैर-वेतन व्यय भंडारों, राशन, परिवहन, ईंधन आदि पर खर्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो वायु सेना के नियमित प्रशिक्षण और परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक है। इसलिए आवंटन में 34 प्रतिशत की कटौती निश्चित रूप से वायु सेना के प्रशिक्षण और परिचालन तैयारियों को बाधित करेगी, इसलिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए, समिति की इच्छा है कि अनुपूरक अनुदान और संशोधित अनुमान चरणों के दौरान, वायु सेना को अनुमानों के अनुसार आबंटन प्रदान किया जाना चाहिए।

16. समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2022-23 में, संशोधित अनुमान चरण में वायु सेना को किया गया अंतिम आवंटन 44,728.10 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2022 तक किया गया व्यय 29,214.45 करोड़ रुपये था। समिति आशा

व्यक्त करती है कि शेष 35 प्रतिशत निधियां अंतिम तिमाही में खर्च की जाएंगी और कोई अल्प व्यय नहीं किया जाएगा।

17. समिति ने पूंजी खंड के संबंध में वर्ष 2022-23 और 2023-24 में किए गए अनुमानों में काफी अंतर पाया। वर्ष 2022-23 में मंत्रालय ने 85,322.60 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया, जबकि वर्ष 2023-24 में, केवल 58,808.48 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि एक विभाग का पूंजीगत बजट मुख्य रूप से आधुनिकीकरण, शक्ति स्तर में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर खर्च का उपबंध करता है। 26,514.12 करोड़ रुपये की कटौती एक बड़ी राशि है, हालांकि विचार-विमर्श के दौरान मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने कुछ डिलीवरी को प्रभावित किया है, क्योंकि देश को अधिकांश आपूर्ति स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त होती है। यह राशि अधिक प्रतीत होती है। इसलिए, समिति इसके कारणों को समझना चाहेगी और चाहती है की-गई-कार्रवाई के उत्तर के समय तक एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया जाए। 2023-24 के वित्तीय आंकड़ों में थोड़ी राहत मिल सकती है, अगर इसकी तुलना किसी अन्य वर्ष से नहीं की जाए, क्योंकि इस वर्ष पूंजीगत मद के तहत अनुमान 58,808.48 करोड़ रुपये है और आवंटन उससे मात्र 539.77 करोड़ रुपये कम है। समिति का विचार है कि दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए ताकि वायु सेना पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं बना सके।

18. समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान आवंटन 53,871.17 करोड़ रुपये था। हालांकि, वायु सेना दिसंबर 2022 तक केवल 27,631.50 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम थी, जिससे पिछली तिमाही में खर्च किए जाने वाले लगभग 26,239.67 करोड़ रुपये बचे थे। इस संबंध में समिति यह बताना चाहती है कि वायु सेना द्वारा उन्नत योजना और सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से निधि का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर कम खर्च से बचा जाना चाहिए।

<u>वायु सेना के बजट का प्रतिशत हिस्सा</u>

19. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से, समिति नोट करती है कि रक्षा सेवा अनुमानों में से वायु सेना के राजस्व बजट के प्रतिशत हिस्से में स्पष्ट रुप से कमी है । वायु सेना का बजट 2018-19 में डीएसई के 10.32 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 2022-23 में 8.53 प्रतिशत हो गया। वहीं, पूंजीगत बजट का हिस्सा 2018-19 के 12.81 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 14.75 प्रतिशत हो गया है, लेकिन यह वर्ष 2021-22 में किए गए आवंटन 15.33 प्रतिशत से कम था। इस संबंध में, समिति की इच्छा है कि पूंजी प्रधान बल होने के नाते डीएसई के पूंजीगत बजट में इसका बड़ा हिस्सा होना चाहिए।

<u>आधुनिकीकरण के लिए बजट</u>

20. समिति ने नोट किया है कि रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) में प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए अलग से निधियों का कोई आवंटन नहीं है। इसके अलावा, प्रतिबद्ध देयताओं और नई स्कीमों के बीच निर्धारण सेवा मुख्यालयों द्वारा परियोजनाओं/स्कीमों के बीच प्राथमिकता और संविदात्मक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आधुनिकीकरण (पूंजी अधिग्रहण) शीर्ष (जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियां और नई योजनाएं शामिल हैं) के तहत बजट अनुमान स्तर पर 52,749.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। हालांकि, बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में वायु सेना को कोई अतिरिक्त निधि आवंटित नहीं की गई थी। इन आवंटनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,770.81 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) खर्च किया गया है। जैसा कि सिफारिश के पूर्व पैरा में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के अनुमानों के बीच भारी अंतर है, इसलिए समिति का विचार है कि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित निधि हमेशा बढ़नी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि आधुनिकीकरण/पूंजीगत बजट के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए एक अलग आबंटन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिबद्ध देयताओं के लिए क्या होता है और नए उपकरणों की खरीद

के लिए कितना बचा है। इससे बेहतर योजना बनाने और उपलब्ध आवंटनों के इष्टतम उपयोग में मदद मिलेगी।

<u>योजना और खरीद</u>

21. समिति वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए नियोजित खरीद के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह नोट करती है कि इसमें बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (बीटीए) (एचटीटी -40), मीडियम पावर रडार (एमपीआर) (अरुधरा), इंडोर फ्री फॉल सिम्युलेटर (वर्टिकल विंड टनल), क्लोज इन वेपन सिस्टम (सीआईडब्ल्यूएस), अतिरिक्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट (ट्विन सीटर), ग्राउंड बेस्ड सिस्टम (खोज), हाई पावर रडार (प्रतिस्थापन), फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट (एफएफएम) के लिए फोल्डेबल फाइबर ग्लास मैट (एफएफएम) का डिजाइन और विकास, छह अतिरिक्त डोर्नियर-228 विमान, सुखोई-30 के लिए एएल-31 एयरो इंजन, उड़ान ईंधन भरने वाले विमान (एफआरए) की वेट लीज, हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) ट्रांस रिसीवर स्टेटिक, एसयू-30 एमकेआई विमान के लिए डीआर-118 आरडब्ल्यूआर, मिग-29 विमान के लिए आरडी-33 एयरो इंजन, एएफ स्टेशन तंजावुर में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तकनीकी स्थिति (टीपी) और विंड प्रोफाइलर शामिल हैं। समिति चाहती है कि रक्षा मंत्रालय बातचीत करे और उपकरणों और विमानों की कमी को दूर करने के लिए योजना को अंतिम रूप दे।

स्वदेशीकरण

22. समिति ने नोट किया है कि वायु सेना स्वदेशीकरण को सख्ती से आगे बढ़ा रही है और व्यय प्रतिबद्ध देनदारियों और घरेलू पूंजी अधिग्रहण के लिए बजट के आंतरिक निर्धारण के अनुसार किया जा रहा है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वायु सेना ने वर्ष 2018-19 में 5,648.66 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 16,461.54 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 36,638.14 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 29,911.37 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 18,866.60 करोड़ रुपये का सामान खरीदा। चर्चा के दौरान, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि यद्यपि वायु सेना ने विदेश से 114 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसका निर्माण भारत में किया जाएगा। समिति ने यह नोट किया कि वायु सेना ने अपने बेस रिपेयर डिपो के माध्यम से नियमित उपयोग के लिए आवश्यक कई घटकों का स्वदेशीकरण किया है। समिति समझती है कि 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण संभव और व्यवहार्य नहीं है, हालांकि, वह सिफारिश करती है कि जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है उसे प्राप्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

बल स्तर

23. समिति के समक्ष प्रस्तुति के दौरान, भारतीय वायुसेना के एक प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय वायुसेना की अधिकृत संख्या 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन है। हालांकि,

आज की स्थिति के अनुसार इसके पास 33 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। प्रति स्क्वाड्रन लगभग 20 विमानों को ध्यान में रखते हुए, देश को वर्तमान परिस्थितियों में कम से कम 180 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। वायु सेना के पास मिग 21 और अन्य विमानों का एक पुराना बेड़ा भी है जो जल्द ही सेवाओं से बाहर होने जा रहा है, जिससे वायु सेना की स्क्वाड्रन की ताकत में तेजी से कमी आएगी। समिति का मानना है कि जैसे-जैसे देश वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, पड़ोसी देशों से सुरक्षा खतरे भी अधिक बढ़ गए हैं, जिन्हें सही तरीके से किया जाना चाहिए, इसलिए, वह चाहती है कि भारतीय वायुसेना को दो मोर्चों पर कपट-संधि के खतरे का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।

24. समिति ने पाया कि एचएएल से भारतीय वायुसेना को 40 एलसीए की आपूर्ति में काफी देरी हुई है और आज की स्थिति के अनुसार, 38 विमान वायु सेना तक पहुंच चुके हैं। आगे के चरण में 114 बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में यदि एलसीए या कावेरी, जैसी स्थिति है, तो सरकार को सेना को आरामदायक स्थिति में रखने के लिए समय गंवाए बिना समय से अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार करना चाहिए।

25. समिति यह भी मानती है कि भारतीय वायुसेना को दी गई पूंजीगत वित्त पोषण बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान खरीदने जैसी परिकल्पित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इस कारक के आलोक में, समिति रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय

के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती है ताकि निधि की कमी के कारण लड़ाकू विमानों की खरीद में और अधिक देरी न हो।

26. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मालवाहक विमानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में वायुसेना के पास उपलब्ध मुख्य मालवाहक विमान एएन-32 को सी-295 विमानों से बदला जा रहा है। सी-17, सी-130 और रॉयल 76 जैसे विमान भी वायुसेना के आवश्यक उपकरणों के पावर प्रोजेक्शन और त्वरित परिवहन को बढ़ा रहे हैं।

27. जहां तक हेलीकॉप्टरों का संबंध है, समिति को यह बताया गया कि मध्यम लिफ्ट के मुख्य हेलीकॉप्टर एमआई -17 का उन्नयन किया जा रहा है और अपाचे और चिनुक हेलीकॉप्टरों को छोड़कर, अन्य सभी शामिल हेलीकॉप्टर भारत में बनाए गए हैं। इस संबंध में समिति का विचार है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए भी वायु सेना के पास चरणबद्ध तरीके से कार्य करने और बदलने का एक व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए ताकि यदि लड़ाकू विमानों के लिए पूंजीगत बजट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इन मशीनों को खरीदा जा सके और पूंजीगत बजट समाप्त न हो।

<u>एयर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण (एमएएफआई) परियोजना चरण-II (एमएएफआई-II)</u>

28. समिति ने मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से नोट किया कि एयर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (एमएएफआई) चरण -i के आधुनिकीकरण के लिए, मंत्रालय ने 1215.35 करोड़ रुपये की अनुबंधित राशि का भुगतान किया है। परियोजना के दूसरे चरण के लिए अनुबंध मूल्य 1189.44 करोड़ रुपये से घटाकर 1187.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति की-गई-कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय इसका कारण जानना चाहेगी। समिति को मंत्रालय के उत्तर से कुछ संतुष्टी प्राप्त हुई है कि 24 हवाई क्षेत्रों [ओझर (एचएएल) और वडोदरा (एएआई) सहित जहां सैन्य विमानन के लिए आवश्यक नेविगेशन सहायता स्थापित की जा रही है), भारतीय नौसेना के नौ हवाई क्षेत्रों और भारतीय तटरक्षक बल के दो-दो हवाई क्षेत्रों और एमएएफआई II परियोजना के एक भाग के रूप में विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी) के आधुनिकीकरण को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और परियोजना के अक्टूबर 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। समिति ने चरण-II के कार्य शुरू होने की गति की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है। समिति यह भी चाहती है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स से संबंधित परियोजना को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

जनशक्ति

29. समिति के समक्ष विचार-विमर्श के दौरान, वायु सेना के एक प्रतिनिधि ने बताया कि अधिकारियों की अधिकृत संख्या लगभग 12,606 के मुकाबले लगभग 600 कम है। आज की तारीख में पुरुष सैनिकों की कमी अधिकृत कैडर का 3 प्रतिशत है, और अगर हम प्रस्तावित अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हैं तो यह 2026 में अधिकृत कैडर का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। समिति नोट करती है कि लगभग 9500 पद मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास पड़े हैं। इस संबंध में, समिति चाहती है कि इस मामले को उच्चतम स्तर पर वित्त मंत्रालय को समझाया जाना जाना चाहिए ताकि वायु सेना के संचालन के लिए आवश्यक जनशक्ति की कोई कमी न हो।

भारतीय नौसेना

बजट

30. समिति समझती है कि भारतीय नौसेना राष्ट्रीय रक्षा का अभूतपूर्व कार्य करती है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में कई सुरक्षा चुनौतियां हैं और लगभग 1,20,000 जहाज विभिन्न चोक पॉइंट्स से होकर गुजरते हैं और किसी भी समय हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 13000 जहाज होते हैं। इस संबंध में, नौसेना के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि रक्षा बजट में

नौसेना का हिस्सा 2022-23 में 17.78 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 18.26 प्रतिशत हो गया है।

31. समिति वर्ष 2023-24 के लिए नौसेना की अनुदानों की मांगों की जांच करने पर नोट करती है कि राजस्व खंड के तहत नौसेना ने बजट अनुमान स्तर पर 36,605.04 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, हालांकि, इसे केवल 32,282.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 4320.84 करोड़ रुपये का अंतर हुआ। आश्चर्य की बात है कि साक्ष्य के दौरान नौसेना के प्रतिनिधियों ने इस कमी को साल-दर-साल आधार पर करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि बताया। यह एक ज्ञात तथ्य है कि राजस्व बजट नौसेना के कार्मिकों के वेतन, प्रचालन, प्रशिक्षण, रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज को पूरा करता है, जो सेवा की समग्र तैयारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि 14 प्रतिशत वृद्धि के फार्मूले की गणना करते समय नौसेना ने मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखा।

32. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2023-24 में पूंजीगत शीर्ष के तहत नौसेना ने अपने वार्षिक व्यय के रूप में 52,804.75 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के विपरीत, समिति देखती है कि इस वर्ष का आवंटन नौसेना के लिए व्यावहारिक और सहायक है क्योंकि मंत्रालय ने वास्तव में अनुमानित राशि के रूप में समान राशि आवंटित की है, हालांकि, यह अनुमान वर्ष

2022-23 में किए गए अनुमान से 14,818.21 करोड़ रुपये कम है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि नई योजना के लिए नौसेना की आवश्यकताओं में कमी आई है और कम हो गई है जिससे इसका आधुनिकीकरण अभियान प्रभावित हो सकता है। समिति पिछले वर्ष की तुलना में कम अनुमान का कारण भी जानना चाहेगी।

33. समिति सिफारिश करती है कि अगले वर्ष से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए निवल बजट का एक अलग विवरण प्रदान किया जाए क्योंकि यह आर्थिक सिद्धांत के सभी पहलुओं में आवर्ती और अपरिहार्य परिघटना है जो नौसेना पर भी लागू होती है।

<u>स्वदेशीकरण</u>

34. डीएफजी की जांच के दौरान समिति को नौसेना द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों से अवगत कराया गया। पिछले पांच वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में, भारतीय विक्रेताओं के साथ 57156.82 करोड़ रुपये के कुल 78 पूंजी अधिप्राप्ती अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी स्रोतों से नौसेना द्वारा की गई अधिप्राप्तियों की सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुबंध मूल्य वर्ष 2018-19 में 27809.58 करोड़ रुपये से लगातार नीचे जा रहा है। वर्ष 2019-20 में यह 18231.81 करोड़ रुपये हो गया तो वर्ष 2020-21 में यह घटकर 4845.09 करोड़

रुपये हो गया और वर्ष 2021-22 में यह और घटकर 4527.91 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, अधिप्राप्ति की प्रवृत्ति उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी होनी चाहिए, लेकिन मंत्रालय द्वारा दिया गया आश्वासन कि स्वदेशी स्रोतों और विदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 70:30 प्रतिशत अनुपात निर्धारित किया गया है, यह उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में, देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। समिति चाहती है और आशा करती है कि मंत्रालय कम समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा।

<u>परिचालन तैयारी और खतरे की धारणा</u>

35. समिति नोट करती है कि 1,20,797.31 करोड़ रुपये की 35 योजनाओं को अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है। इनमें से 1,16,382.10 करोड़ रुपये की 32 योजनाओं की योजना भारतीय विक्रेताओं के माध्यम से बनाई गई है और 4415.21 करोड़ रुपये की केवल 03 योजनाओं की योजना वैश्विक विक्रेता के माध्यम से बनाई गई है। योजनाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना के वर्तमान बल स्तर में 130 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। सतह बल के स्तर को बढ़ाने के लिए, विभिन्न शिपयार्डों में 43 जहाज/पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 51 जहाजों और 06 पनडुब्बियों और स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाने वाले 111 नौसेना उपयोगिता

हेलीकॉप्टरों (एसपी मॉडल) के स्वदेशी निर्माण के लिए भी एओएन मौजूद है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा कहा गया है, भारतीय नौसेना की क्षमता और सामर्थ्य विकास/आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) के अनुसार किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों की संख्या की गणना भारतीय नौसेना के परिकल्पित कार्यों और मिशनों, उपलब्ध सतही परिसंपत्तियों, हित के क्षेत्रों और अन्य कारकों के आधार पर की जाती है, जैसा कि एलटीआईपीपी 2012-27 में प्रख्यापित किया गया है। तथापि, टोही और परिवहन के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी है, जिसे प्रगामी खरीद के माध्यम से कम किया जा रहा है। इस संबंध में समिति यह कहना चाहती है कि मंत्रालय को खतरे की आंशका का आकलन करना चाहिए जो पड़ोस में शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों और हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि के मद्देनजर कई गुना बढ़ गया है। समिति चाहती है कि आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सभी परिकल्पित खरीद निर्धारित समय से काफी पहले कर सकें और हमारी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सामर्थ्यवान बन सके।

36. समिति समझती है कि विमान वाहकों के निर्माण में जटिलताओं के कारण अनावश्यक रूप से अधिय समय लगता है। खरीद के संबंध में अनिश्चित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि सरकार को देश के लाभप्रद प्रायद्वीपीय आकार के हमारे द्वीपों और भूमि क्षेत्र को स्थिर एयर क्राफ्ट कैरियर

की तरह मिसाइलों और विमानों के बेसों के रूप में विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए।

<u>जनशक्ति</u>

37. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से समिति पाती है कि नौसेना में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर) 11911 है, जबकि विद्यमान संख्या 10344 है जिससे 1567 अधिकारियों की कमी हो गई है और यह संख्या कुल अधिकारियों की संख्या का 13.2 प्रतिशत है। नौसैनिकों के मामले में, स्वीकृत संख्या 76243 है, जबकि विद्यमान संख्या 65153 है जिससे 14.55 प्रतिशत की कमी होती है। समिति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह भी नोट करती है कि भारतीय नौसेना व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, जो एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए, भारतीय नौसेना अपने वेबसाइट को आकर्षक बनाकर, स्कूलों / कॉलेजों का दौरा कर, सामान्य सेवा केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन कर, एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन देकर, उम्मीदवार अनुकूल भर्ती प्रक्रिया बनाकर, छवि निरूपण अभियान (आईपीसी) और अधिकारियों और नाविकों के रूप में नौसेना में शामिल होने के लिए एनसीसी कैडेटों को भर्ती कर, रिक्तियों को भरने के लिए हर वर्ष दो बार अधिकारियों की भर्ती और नौसैनिकों की नियुक्तियां करती है। समिति नौसेना द्वारा किए गए व्यापक उपायों की सराहना करते हुए इच्छा

व्यक्त करती है कि नौसेना को नवीन तरीकों की ओर देखना जारी रखना चाहिए और नौसेना की नौकरियों को चुनौतीपूर्ण और आकर्षक रूप में पेश करना चाहिए ताकि जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए पात्र युवाओं को आकर्षित किया जा सके।

<u>तीसरे विमानवाहक पोत को शामिल करना</u>

38. समिति को तीसरे विमानवाहक पोत के विनिर्माण के संबंध में नौसेना की आवश्यकताओं और अनुरोधों की जानकारी है और इन्हें कई बार उनके समक्ष लाया गया है। समिति इस तथ्य को नोट करती हैं कि भारत की भौगोलिक संरचना जिसमें पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, के मद्देनजर, खतरे की आशंका से निपटने और युद्ध के दौरान तैयारी/हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दो विमान वाहकों की निरंतर आवश्यकता होती है। वे इस तथ्य से भी अवगत हैं कि एक विमान के रखरखाव में लंबा समय लगता है। विमान वाहक के छोटा/सामान्य/लंबा/मध्यजीवन प्रकार के मरम्मत के आधार पर, निश्चित रूप से इसमें छह महीने से दो साल तक की अवधि लगेगी। इसी तरह, विमान वाहक पोत को शामिल करना एक लंबी प्रक्रिया है। समिति इस तथ्य से अनजान नहीं है कि योजना की स्थिति से लेकर पूर्ण प्रचालन तक, इसमें दस से पंद्रह वर्ष तक की अवधि लग सकती है। समिति के विवेक में, किसी विमान वाहक के लिए पूरे बजट की आवश्यकता किसी एक विशेष वर्ष में नहीं होती है, बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से वाहक के अंतिम रूप से प्रचालित होने तक बढ़ाया जा सकता है।

अध्ययन यात्राओं के दौरान और युद्धपोतों, विशेष रूप से विमान वाहक विक्रमादित्य के दौरो के परिणामस्वरूप, समिति ने पाया है कि वे आत्मरक्षा और निगरानी प्रणालियों से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

39. समिति विचार-विमर्श के दौरान रक्षा सचिव द्वारा दिए गए तर्क कि इस श्रेणी के जहाज निर्माण से अर्थव्यवस्था/रोजगार को बढ़ावा मिलता है और अधिग्रहित क्षमताओं को बनाए रखने के संदर्भ में हमें सुदृढ़ करता है, को मौन स्वीकृति देते हुए स्पष्ट शब्दों में सिफारिश करती है कि मंत्रालय अंतिम निर्णय ले सकता है, एक प्रक्षेपवक्र तैयार कर सकता है और तीसरे विमान वाहक के लिए योजना प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो अंततः भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में की-गई- कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय समिति को सूचित किया जाए।

संयुक्त स्टाफ

बजट

40. समिति ने नोट करती है कि 2023-24 के बजट अनुमानों में, संयुक्त स्टाफ ने 6,543.78 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है, जिसके लिए 6,060.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 483.33 करोड़ रुपये की कमी हुई है। तथापि, समिति के समक्ष विचार-विमर्श के दौरान, संयुक्त स्टाफ के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि एसएफसी को छोड़कर 5670.46

करोड़ रुपये के बीई आबंटन वर्ष 2022-23 की तुलना में दोगुना हो गया है। दी गई सूचना के अनुसार, यह आबंटन संयुक्त स्टाफ को 92 प्रतिशत का संतुष्टि स्तर देता है।

41. समिति समझती है कि संयुक्त स्टाफ रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सहयोग कौशल के लिए एकल बिंदु संगठन के रूप में कार्य करता है जो नीति, सिद्धांत, युद्ध-लड़ाई और खरीद को एकीकृत करता है और पाता है कि वर्षों के दौरान संयुक्त स्टाफ की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। वर्तमान में, यह 120 से अधिक इकाइयों के वित्तीय पहलुओं और क्षमता निर्माण में सहयोग करता है। समिति आगे नोट करती है कि एकीकृत रक्षा स्टाफ समन्वय और तालमेल, प्रचालन क्षमता, प्रशिक्षण और विदेशी सहयोग, संभार तंत्र, संचार, चिकित्सा जैसे अन्य कार्यात्मक पहलुओं को बेहतर और अनुकूलित करने के लिए नीतियां और सिद्धांत तैयार करते हैं और तीनों सेनाओं द्वारा आधुनिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों की पहचान और अधिग्रहण को सुसंगत बनाते हैं।

42. समिति ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ/संयुक्त स्टाफ, जिसे हमारे रक्षा बलों का स्वदेशीकरण पहलू भी दिया गया है, की भूमिका और जिम्मेदारियों की सराहना करते हुए सिफारिश करती है कि अनुमानों में यथा प्रस्तावित पर्याप्त बजटीय सहायता बिना कटौती के संयुक्त स्टाफ को प्रदान की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संशोधित अनुमान के स्तर पर बजटीय

आवंटन और अनुपूरक अनुदान भी अनुमानों के अनुसार दिए जा सकते हैं क्योंकि संयुक्त स्टाफ को अभियानों के दौरान सेनाओं के बीच समन्वय का इष्टतम स्तर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे तीन प्रमुख संगठनों अर्थात् सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग, रक्षा साइबर एजेंसी और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की व्यवस्था का कार्य सौंपा गया है। ।

43. समिति यह भी नोट करती है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में, संयुक्त स्टाफ दिसंबर 2022 तक केवल 2958.76 करोड़ रुपये का उपयोग कर पाए थे। परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित 5498.39 करोड़ रुपये में से लगभग 2539.63 करोड़ रुपये अभी भी वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में खर्च किए जाने बाकी हैं। यहां, समिति वित्तीय व्यय प्रबंधन के विवेकपूर्ण सिद्धांतों पर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहेगी, जहां पिछली तिमाही में थोक व्यय को अनुचित प्रवृत्ति माना जाता है। संयुक्त स्टाफ के लिए बजटीय आबंटनों को बढ़ाने की सिफारिश करते हुए समिति यह भी चाहती है कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान चरणों के दौरान आबंटित बजट को भी पूरी तरह से खर्च किया जाना चाहिए और व्यय, निर्धारित से कम नहीं होना चाहिए।

<u>सशस्त्र सेनाओं का थिएटराइजेशन</u>

44. समिति नोट करती है कि सशस्त्र बलों के थिएटराइजेशन या एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण की योजना पर सेनाओं के उच्चतम स्तर पर विचार

किया जा चुका है। समिति थिएटर कमानों के शीघ्र निर्माण के संबंध में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है। समिति का यह भी विचार है कि युद्ध जैसी स्थिति में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, और इसलिए सिफारिश करती है कि सशस्त्र सेनाओं के सभी विंगों का दृढ़ एकीकरण न केवल आवश्यक है, बल्कि सर्वोपरि महत्व का है। युद्ध जैसी स्थिति में इस तरह का एकीकरण तेजी से, सटीकता के साथ और सामग्री को कम करके लागत कम करने वाले तरीके से भी कार्य करेगा। यह समावेश निश्चित रूप से सशस्त्र सेनाओं के संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करेगा और भविष्य में रक्षा व्यय को कम करेगा, इसलिए, वे अनुशंसा करते हैं कि व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करके और यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र सेनाओं के थिएटराइजेशन को पूरा किया जाना चाहिए। समिति बीच की अवधि के दौरान अर्थात् इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से लेकर समिति को की-गई-कार्रवाई नोट प्रस्तुत किए जाने तक हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

बजट

45. समिति ने नोट किया कि ईएसएम और उनके आश्रितों सहित लगभग 55 लाख लाभार्थी वर्तमान में ईसीएचएस लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 5643.61 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले, ईसीएचएस को 4870.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तविक उपयोग 4864.66 करोड़ रुपये था।

अगले वर्ष के अनुमान और आवंटन दोनों में वृद्धि की गई और यह क्रमशः 5777.51 करोड़ रुपये और 5143.51 करोड़ रुपये था और संगठन 11 जनवरी, 2023 तक 4347.74 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम था। पिछले ढाई महीनों में इसे 795.77 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं, इसके लिए समिति को उम्मीद है कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी और वर्ष 2020-21 की तरह निधियां वापिस नहीं होगी।

<u>ईसीएचएस निजी-चिकित्सालय (पॉलीक्लीनिक) में रिक्तियां</u>

46. समिति ने पाया कि ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक में अधिकृत और वास्तविक श्रमशक्ति के बीच अंतर है। रेडियोलॉजी के क्षेत्र में 200 की अधिकृत श्रमशक्ति के मुकाबले 182 चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, 61 रेडियोलॉजिस्ट अधिकृत हैं लेकिन केवल 4 रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, स्त्री रोग में 61 की अधिकृत संख्या के मुकाबले केवल 57 उपलब्ध हैं। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, 471 की अधिकृत शक्ति के मुकाबले, केवल 425 उपलब्ध हैं। तथापि, मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा प्राधिकृत श्रमशक्ति में कोई कमी नहीं आई है। अप्रयुक्त रिक्तियां छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण हैं। समिति मंत्रालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि यह एक परिवर्तनशील आंकड़ा है और तदनुसार मौजूदा प्राधिकरण के भीतर युक्तिकरण किया जाता है। हम सभी इस तथ्य से अनजान हैं कि सरकारी और निजी दोनों तरह के कई मेडिकल कॉलेज हैं जो

स्नातकोत्तर डिग्री देते हैं और हर वर्ष उच्च विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहां समिति केवल यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में पॉली क्लीनिकों में उच्च विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए बहुत ही योजनाबद्ध और ठोस प्रयास किए जाएं, उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए समिति की सिफारिश के साथ, जो कि आने वाले पैराग्राफ में निहित है, समिति के पास यह विश्वास करने का पूरा कारण है कि सुपर विशेषज्ञ इन पॉलीक्लिनिकों में शामिल होने के लिए आगे आएंगे। इसकी सिफारिश करते समय समिति एक तथ्यात्मक नोट चाहती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख हो कि पिछले पांच वर्षों के दौरान छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए और आवेदकों की संख्या, चयन की प्रक्रिया आदि क्या थी।

47. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से आगे नोट किया है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों की नए सिरे से समीक्षा के लिए एक मामला पहले ही किया जा चुका है जिसमें 17 नए पॉलीक्लीनिकों की स्थापना, 42 ईसीएचएस पॉलीक्लीनिकों का उन्नयन, 91 नए स्थान के साथ 19 पॉलीक्लीनिकों का पुनर्स्थापन और 20 मौजूदा टाइप 'ई' पॉलीक्लीनिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) में परिवर्तित करना शामिल होगा। नए पॉलीक्लीनिकों की स्थापना और पॉलीक्लीनिक के उन्नयन से अनुबंधित कर्मचारियों की अधिकृत संख्या में लगभग 2000 की वृद्धि होगी। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

48. मौखिक साक्ष्य के दौरान, ईसीएचएस के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि विशेषज्ञ वर्ग-क और वर्ग-ख पॉलीक्लिनिक में काम करने के लिए अधिकृत हैं, जहां ईएसएम जनसंख्या का संकेंद्रण क्रमशः 20,000 और 10,000 से अधिक है। समिति को सूचित किया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह एक लाख रुपये दिए जाते हैं, जो उन्हें बाहर भुगतान किए जाने वाले भुगतान से बहुत कम है, इसलिए, रिक्तियां हमेशा रहती हैं। देश को अपने युवा देने वाले वृद्ध ईएसएम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि विशेषज्ञों का पारिश्रमिक अन्य अस्पतालों के पारिश्रमिक से मेल खाना चाहिए और तब तक ईएसएम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

<u>पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को ईसीएचएस द्वारा लंबित बिलों का भुगतान</u>

49. निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के भुगतान न किए गए ईसीएचएस मेडिकल बिलों की सार्वकालिक समस्या को हल करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, समिति ने नोट किया कि मंत्रालय बिल प्रोसेसिंग एजेंसियों (बीपीए) के साथ टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) की लगातार निगरानी कर रहा है, जल्दी प्रसंस्करण के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ 'अधिक जानकारी (एनएमआई)' मामलों की प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहा है और अतिरिक्त निधि की भी मांग कर रहा है।

ईसीएचएस को वर्ष 2022-23 में 1000 करोड़ रुपये, सितंबर 2022 में आकस्मिक निधि से और चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (एमटीआरई) के तहत नवंबर 2022 में 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भुगतान नहीं किए गए चिकित्सा बिलों को चुकाने के लिए आरई की स्थिति में अधिक आवंटन की उम्मीद है। समिति चाहती है और आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा ईसीएचएस को इस तरह के नियमित आवंटन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि ईएसएम की कुछ स्थितियों का निवारण किया जाएगा, और निजी अस्पताल प्रवेश और उपचार के लिए ईएसएम को मना नहीं करेगा।

50. लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति इस बात से अवगत है कि लंबित मामलों का मुद्दा हर वर्ष डीएफजी की जांच के दौरान समिति के समक्ष आता है। इस संबंध में कुछ भी ठोस टिप्पणी करने से पहले समिति सूचना के निम्नलिखित समूहों के बारे में अवगत कराना चाहेगी: -

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी पॉलीक्लीनिकों से संयुक्त रूप से संपर्क करने वाले ईएसएम/आश्रितों की संख्या कितनी है;

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने और आश्रित के उपचार के लिए संयुक्त रूप से सभी रक्षा अस्पतालों से संपर्क करने वाले ईएसएम की संख्या कितनी है; और

(iii) निजी अस्पतालों में उच्च विशेषज्ञता उपचार के लिए भेजे गए भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों की संख्या।

इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने का विचार एक तुलनीय आंकड़े पर पहुंचने के लिए है कि क्या पॉलीक्लिनिक / रक्षा अस्पतालों में अधिक रेफरल किए गए थे या उनका इलाज किया गया था। समिति को की गई कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए।

नकली बिलों की जांच के मुद्दे पर, हालांकि मंत्रालय ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से उचित रेफरल, जारी किए गए नंबर की जांच, ईसीएचएस फोटो कार्ड स्वाइपिंग सिस्टम आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं लेकिन ऐसे बिलों को प्रस्तुत करने में संदेह हमेशा मौजूद रहता है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि प्रणाली को आसान बनाने और नकली बिलों जो सफल होने पर राजकोष को नुकसान पहुंचाते है, के इस खतरे को रोकने के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक मजबूत निरंतर निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

<u>उपचार के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस पुलिसलाइन में एकीकृत परिसर</u>

51. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एकीकृत ईएसएम परिसर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कार्यालय,

पॉलीक्लीनिक, पारगमन आवास आदि को एक ही स्थान पर रखा जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से ईएसएम की मदद करेगा जो दूर-दराज के क्षेत्रों से दवा और कार्यालय के काम के लिए आते हैं। समिति का विचार है कि इस कदम से ईएसएम की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इसलिए, सिफारिश की जाती है कि ईसीएचएस को पर्याप्त बजट प्रदान किया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाना चाहिए।

<u>दूर-दराज क्षेत्रों में ईसीएचएस</u>

52. समिति ने नोट किया है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में ईसीएचएस की पहुंच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्य में 17 मोबाइल पॉलीक्लीनिक स्वीकृत किए हैं। ये मोबाइल पॉलीक्लीनिक महिलाओं और बच्चों सहित सभी लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। शीघ्र ही ऑनलाइन टेली-परामर्श की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों/शहरों में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) दरों को कम किया गया ताकि अधिक अस्पताल ईसीएचएस के साथ पैनल में शामिल हो सकें और मंत्रालय ने ईसीएचएस की पहुंच को दूरस्थ स्थानों और पहाड़ी/पहाड़ी भूभागों तक बढ़ाने के लिए विचाराधीन मौजूदा 20 प्रकार के ई (मोबाइल) पॉलीक्लीनिकों सहित 111 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत

किया है। इसके अलावा, उन सभी ईसीएचएस लाभार्थियों को एक नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) प्रदान किया गया है जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां पॉलीक्लीनिक उपलब्ध नहीं हैं।

53. समिति को कुछ संतोष है कि ईएसएम में वृद्धि के साथ वर्षों से संगठन बढ़ रहा है और ईएसएम की मदद करने के लिए नए तरीके तैयार कर रहा है। समिति को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इन नई प्रस्तावित व्यवस्थाओं के साथ, ईएसएम की चिकित्सा संबंधी समस्याएं पूरी तरह से दूर नहीं होंगी तो बहुत कम अवश्य हो जाएंगी।

<u>अन्य प्रासंगिक मुद्दे - केरल के कोझीकोड के वातकार तालुक में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की स्थापना</u>

54. विचार-विमर्श के दौरान, समिति को पश्चिमी घाट की तलहटी से केरल के कोझीकोड जिले के तहत अरब सागर के समुद्र तट तक फैले क्षेत्र वातकार तालुक में रहने वाले 6000 से अधिक पूर्व सैनिकों की दुर्दशा से अवगत कराया गया। इस क्षेत्र में तहसील के पूर्व में बस्तियां और गांव शामिल हैं जहां सार्वजनिक परिवहन से नहीं पहुंचा जा सकता। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि ईसीएचएस को इस क्षेत्र में रहने वाले ईएसएम की समस्याओं को कम करने के लिए मानदंडों के अनुसार एक 'टाइप सी' पॉलीक्लिनिक स्थापित करना चाहिए। समिति को

सूचित किए जाने के तहत इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

सैनिक स्कूल

बजट

55. समिति नोट करती है कि सैनिक स्कूलों का प्राथमिक उद्देश्य कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करना है। इसका अन्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में अधिकारियों के कैडर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूलों को एक नए मोड में खोलने की घोषणा के साथ सैनिक स्कूलों का विस्तार बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है जिसका उल्लेख आगामी पैराओं में किया गया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस तरह के विस्तारों के लिए नोडल मंत्रालय जो कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय है, से बजटीय सहायता की आवश्यकता होती है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अवलोकन पर यह पता चलता है कि वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान के तहत सैनिक स्कूलों द्वारा अनुमानित बजट 137.68 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित कर 300.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह मंत्रालय द्वारा आवंटित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमानित बजट के तहत बजट अनुमान 170.87 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 235.08 करोड़ रुपये था। लेकिन, इसे लगभग 35 करोड़ रुपये कम कर दिया गया और 200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इस वर्ष

(2023-24) सैनिक स्कूल ने 175.87 करोड़ रुपये का बजट मांगा था, जिसे अभी तक वित्तीय योजना महानिदेशक (डीजीएफपी) द्वारा आवंटित नहीं किया गया है। समिति का मानना है कि नए सैनिक स्कूलों के विस्तार और इन्हें शुरु किए जाने को ध्यान में रखते हुए बजट में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मंत्रालय को आने वाले वर्षों में सैनिक स्कूलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 133 करने के लिए और अधिक बजट आवंटित करना चाहिए।

56. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष राज्य सरकार का हिस्सा 2020-21 के 10270.99 लाख रुपये से लगभग दोगुना बढ़कर 2021-22 में 22598.10 लाख रुपये हो गया है, जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा 2020-21 के 31938.29 लाख रुपये से घटकर 2021-22 में 11950.98 लाख रुपये हो गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय और अधिक सक्रियता से कार्य करे और यह सुनिश्चित करे कि यह प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में भी जारी रहे।

<u>सैनिक स्कूल के समक्ष आने वाली चुनौतियां और बाधाएं</u>

57. समिति नोट करती है कि छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग के वेतनमानों के कार्यान्वयन के बाद आत्मनिर्भर सैनिक स्कूलों को विशेष रूप से अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को पांचवें और

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के बीच अंतर से उत्पन्न अतिरिक्त वेतन और भत्तों, पेंशन और पारिवारिक पेंशन की 100% राशि का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त अनुदान आवंटित करती है। इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को सैनिक स्कूलों को शीघ्र आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके और जहां तक वेतन और भत्तों का संबंध है, सभी लंबित विसंगतियों को दूर किया जा सके। समिति चाहती है कि की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करते समय यह भी स्पष्टीकरण दिया जाए कि क्या कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के मुद्दे केवल पांचवें और सातवें सीपीसी से संबंधित हैं या छठे सीपीसी में भी ऐसे भत्तों में वृद्धि के लिए सिफारिश की गई है।

<u>पुरानी अवसंरचना का नवीकरण</u>

58. समिति नोट करती है कि सैनिक स्कूल भूमि, भवन और बुनियादी ढांचे के मामले में संपन्न हैं। हालांकि, कुछ स्कूल 60 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उनके बुनियादी ढांचे में समय के साथ कमी आई है। मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए मंत्रालय प्रत्येक स्कूल को उनकी मांग के अनुसार हर वर्ष 1 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान देता है। समिति आगे नोट करती है कि इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इन सैनिक स्कूलों को उनकी अवसंरचना के संवर्धन/आधुनिकीकरण के लिए समय-समय पर सहायता अनुदान भी देता है। इस

दिशा में, मंत्रालय ने इन सैनिक स्कूलों को महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 2020-21 में 109 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्कूलों के अवसंरचना विकास में राज्यों को अपना हिस्सा प्रदान करने के लिए सहमत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय सफल रहे हैं और में राज्यों ने 2021-22 के दौरान स्कूलों को उनके बुनियादी ढांचे के संवर्धन/रखरखाव/निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। तथापि, समिति फिर भी यह सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत की जानी चाहिए ताकि एक बार की कवायद के बजाय, यह एक स्थायी घटक बन जाए और हमारे सैनिक स्कूल न केवल अवसंरचना में बल्कि अत्याधुनिक अधिगम साधनों में भी सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थानों की बराबरी कर सकें।

<u>सैनिक स्कूलों में बालिका छात्रों के लिए अवसंरचना</u>

59. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी से समिति यह नोट करती है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से छात्राओं के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए सैनिक स्कूलों के लिए 2020-21 हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा 109 करोड़ रुपये का वित्त पोषण निर्धारित किया गया था। इस संबंध में बालिका कैडेटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंटीले तार की बाड़-युक्त अलग छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है। छात्रावास में बालिका कैडेटों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के

लिए, एक फिजिकल एजुकेशन मास्टर / फिजिकल ट्रेनिंग इंसट्रक्टर कम मेट्रन (महिला) होती है जो सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में पूरे दिन बालिका कैडेटों के साथ रहती है। कैडेटों की चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एक नर्सिंग सिस्टर और गर्ल्स हॉस्टल के दैनंदिन प्रबंधन (हाउसकीपिंग) और रखरखाव के लिए दो महिला सामान्य कर्मचारी भी नियोजित किए जाते हैं। छात्रावास में बालिका कैडेटों के लिए अलग शौचालय होते हैं। उनकी सुविधा के लिए खेल मैदान, सभागार, मेस और शैक्षणिक ब्लॉक बनाए गए हैं और बालिका कैडेटों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

60. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 10 बालिकाओं का नामांकन हो और इन सीटों पर बालिकाओं हेतु कक्षा VI में और कक्षा 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में कुल सीटों में से 10 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। समिति ने पाया कि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सैनिक स्कूल की अवसंरचना में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसने सभी संबद्ध सुविधाओं और सुरक्षा उपायों के साथ बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए 28 सैनिक स्कूलों को 33 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक स्कूल में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चूंकि बालिका कैडेटों का बालक कैडेटों के साथ समान प्रशिक्षण पैटर्न में प्रशिक्षित किया जाना होता है जिसमें उनके समग्र विकास के लिए अकादमिक, पीटी, खेल, ड्रिल और अन्य सह-पाठ्यचर्या

गतिविधियां शामिल होती हैं, समिति सिफारिश करती है कि बालिका कैडेटों से संबंधित मुद्दों, जब भी स्कूल प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, प्राथमिकता के आधार पर विचारार्थ लिया जाना चाहिए ताकि व्यवस्था में विश्वास और आस्था बरकरार रहे।

61. समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में यह सलाह भी दी थी कि चूंकि सैनिक स्कूल बहुत लंबे समय से "केवल लड़कों के स्कूल" थे और चूंकि हाल ही में इनमें छात्राओं को शामिल करना शुरू किया गया है, इसलिए संकाय/अधिकारियों और छात्रों के लिए एक अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल में बालिकाओं के साथ सामंजस्य बनाने और उनका सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। इस टिप्पणी के बाद, समिति सिफारिश करती है कि इस प्रकार के कार्यकलाप नियमित आधार पर किए जाएं। समिति चाहती है कि उसे इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करने के समय से इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत नए सैनिक स्कूलों में मानकीकृत पाठ्यक्रम</u>

62. समिति नोट करती है कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पहले चरण में पीपीपी मोड के तहत 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये स्कूल देश के

सभी राज्यों में स्थित होंगे। 100 में से 18 नए सैनिक स्कूल पहले से ही कार्य कर रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों को केवल सैनिक स्कूल की शिक्षा पद्धति को जारी रखने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है। नए सैनिक स्कूलों में सैनिक स्कूल पैटर्न के साथ-साथ गैर-सैनिक स्कूल पैटर्न के लिए अलग वर्टिकल हो सकता है। ये नए स्कूल डे स्कूल या आवासीय स्कूल हो सकते हैं।

63. समिति ने आगे कहा कि नए सैनिक स्कूलों में योग्यता आधारित प्रवेश के लिए मानदंड मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के समान होंगे, जिसमें छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर के सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

64. समिति यह नोट करते हुए कि नए सैनिक स्कूलों के शिक्षकों ने आईआईटीई अर्थात् भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर स्थित में एक केन्द्रीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यह सिफारिश करती है कि शिक्षा और शारीरिक क्रियाकलापों का मानक एकरूप पैटर्न होना चाहिए अन्यथा इन स्कूलों की प्रासंगिकता और पहचान नहीं रहेगी।

65. समिति इस तथ्य को भी नोट करती है कि पांच राज्यों अर्थात सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, गोवा और मेघालय में कोई सैनिक स्कूल नहीं है। समिति की

राय में यह एक ऐसा असंतुलन है जिसे मंत्रालय को सुधारने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें ठोस प्रयास करने चाहिए और एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एक ठोस योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त पांच राज्यों में से प्रत्येक में कम से कम एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जा सके। अतः, समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में शुरू की गई सभी पहलों की जानकारी उन्हें तीन महीने के भीतर दी जाए ताकि वे मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति का आकलन कर सकें।

66. समिति सैनिक स्कूलों को नए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्थापित करने के विभाजित पैटर्न पर एक और स्पष्टीकरण चाहती है। उनका विशिष्ट प्रश्न दूसरे वर्टिकल के संबंध में है अर्थात् ऐसे स्कूलों को गैर सैनिक स्कूल मोड में भी स्थापित किया जा सकता है। समिति इस विधा के संबंध में और अधिक जानकारी चाहती है और यह जानना चाहेगी कि यह पद्धति सैनिक स्कूलों की स्थापना के उद्देश्य को कैसे पूरा करेगी।

<u>सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति</u>

67. चर्चा के दौरान, नए स्कूलों में सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति का मुद्दा सामने आया और सैनिक स्कूल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ऐसी नियुक्तियों के लिए नियमित सैन्य

अधिकारियों की कमी है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विशेष रूप से सेना शिक्षा कोर के पूर्व सैन्य अधिकारियों/जेसीओ/एनसीओ को नए सैनिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों, अनुदेशकों और शिक्षकों के रूप में या पुराने सैनिक स्कूलों जहां नियमित अधिकारियों की कमी के कारण लंबे समय से रिक्तियां हैं, में नियुक्त किया जाए ।

<u>सामान्य</u>

68. समिति ने पाया कि सैनिक स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की बड़ी संख्या एनडीए में शामिल नहीं होती है। इस संबंध में समिति चाहती है कि प्रत्येक सैनिक स्कूल के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया जाए जिसमें इस संबंध में स्पष्ट रूप से तुलनात्मक आंकड़े दिए जाएं कि कितने छात्रों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण की और उनमें से कितने को एनडीए या नौसेना अकादमी के लिए चुना गया। तदुपरांत, समिति मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इस मुद्दे की विस्तृत जांच करेगी।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1800 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. कुंवर दानिश अली
6. श्री एन. रेड्डप्पा
7. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्यसभा

9. डॉ. अशोक बाजपेयी
10. श्री प्रेम चंद गुप्ता
11. श्री सुशील कुमार गुप्ता
12. श्रीमती पी.टी. उषा
13. श्री जी. के. वासन
14. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

<u>साक्षियों की सूची</u>

<u>रक्षा मंत्रालय</u>

क्रमांक	नाम	पद
	आम रक्षा बजट	
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
5.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
6.	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
7.	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
9.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफ़डी)
10.	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी और एस)
11.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्ज्युटेंट जनरल
12.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
13.	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
14.	लेफ्टिनेंट जनरल वी श्रीहरि	डीजी (एमपी और पीएस)
15.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
16.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
17.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
18.	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु) और जेएस (नौसेना)
19.	श्री डी.के. राय	जेएस (प्लानिंग/पार्ल) और एस्टा.
20.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना और टीए)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस

22.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस (एफपी और एडीएम)
23.	रियर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)
24.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
25.	ब्रिगेडियर अजय कटोच	ब्रिगेडियर एसपी (योजना)
रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
5.	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
6.	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
7.	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
8.	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
10.	सीएमडी सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत्त)	सीएमडी, बीडीएल
11.	श्री सी बी अनंत कृष्णन	सीएमडी, एचएएल
12.	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव	सीएमडी, बीईएल
13.	सीएमडी हेमंत खत्री	सीएमडी, एचएसएल
14.	श्री अमित बनर्जी	सीएमडी, बीईएमएल
15.	श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय	सीएमडी, जीएसएल
16.	सीएमडीई पीआर हरि	सीएमडी, जीआरएसई
17.	डॉ. एस. के. झा	सीएमडी, मिधानी
18.	श्री संजीव सिंघल	सीएमडी, एमडीएल
19.	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
20.	सीएमडीटी राजीव पंहोत्रा	एजीएम (जीएसएल)
रक्षा संपदा महानिदेशालय		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार	डीजी एलडब्ल्यू एंड ई
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	श्री राकेश मित्तल	जेएस (एल और डबल्यू / एसएस)
7.	श्री अजय कुमार शर्मा	डीजीडीई

8.	सुश्री सोनम यांगडोल	एडिशनल डीजी
9.	मेजर जनरल राजदीप सिंह रावल	एडीजी एलडब्ल्यू एंड ई
10.	सुश्री शर्मिष्ठा मैत्रा	निदेशक (भूमि)
11.	श्री वलेती प्रेमचंद	एडिशनल डीजी
12.	सुश्री निगार फातिमा	एडिशनल डीजी
13.	सुश्री विभा शर्मा	एडिशनल डीजी
14.	श्री अमित कुमार	डीडीजी
15.	श्री अभिषेक आजाद	सहायक महानिदेशक
16.	श्री विजय मल्होत्रा	निदेशक (प्रश्नोत्तर/कार्य)
सीमा सड़क संगठन		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी	डीजीबीआर
3.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
4.	डॉ. अजय कुमार	जेएस (बीआर)
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
8.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
तटरक्षक संगठन		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
3.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
4.	श्री मनीष त्रिपाठी	जेएस (एएफ़/ नीति)
5.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी
नौसेना और संयुक्त स्टाफ		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी	पुलिस अधिकारी
5.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस
6.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
7.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी

8.	एवीएम एच बैंस	जेएस (नौसेना)
9.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस
10.	आर एडमिरल कपिल मोहन धीर	वरिष्ठ सलाहकार/डीएमए
11.	आर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)
12.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की बैठक की कार्यसूची अर्थात् मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने समिति की बैठक में रक्षा सचिव, सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो कि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों वर्ष 2023-24 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

4. सभापति ने बैठक की समग्र कार्यसूची अर्थात वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए), रक्षा मंत्रालय (सिविल), रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम (डीपीएसयू), रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), तटरक्षक संगठन (सीजीओ), नौसेना और संयुक्त कर्मचारी' विषयों पर में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होने उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 55(1) की ओर भी आकर्षित किया जिसके अनुसार यहां पर जो भी चर्चा की गई है, उसे तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक कि इस विषय पर समिति का प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए।

5. रक्षा सचिव ने 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा सेवा अनुमानों और अन्य अनुदान मांगों का अवलोकन करके चर्चा शुरू की। रक्षा सचिव द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

एक. बजट 2022-23 में आवंटन की तुलना में कुल रक्षा बजट में 68,371 करोड़ रुपये अर्थात् 13 प्रतिशत की वृद्धि; और

दो. 2023-24 में गैर-वेतन राजस्व आवंटन में अभूतपूर्व 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6. तत्पश्चात्, समिति के समक्ष सामान्य रक्षा बजट पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा आवंटन में वृद्धि;
ii. युद्ध की उभरती और विकसित प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हथियारों और गोला-बारूद के उन्नयन और आधुनिकीकरण की योजना;
iii. 2023-24 में अनुसंधान और विकास और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए आवंटन;
iv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों, हथियारों और गोला-बारूद की समय पर खरीद;
v. संशोधित अनुमान 2022-23, मुद्रास्फीति और डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रक्षा बजट में वृद्धि;
vi. अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के कारण पेंशन देनदारियों पर बचत और प्रभाव;
vii. रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति;
viii. सशस्त्र सेनाओं के लिए जनशक्ति की भर्ती बढ़ाने की आवश्यकता;
ix. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट;
x. अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन;
xi. देश के कुल बजट में रक्षा बजट का हिस्सा;
xii. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के अनुमान और आबंटन के बीच अंतर;
xiii. जासूसी की घटनाओं को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की मौजूदा प्रणाली;
xiv. घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत अधिप्राप्ति के 68 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति;
xv. रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ सहयोग;
xvi. रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन;
xvii. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार देशों का चयन; और
xviii. बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ तुलना।

7. समिति की ओर से माननीय सभापति ने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2023 के सफल आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय, एचएएल, डीआरडीओ और अन्य भागीदार संगठनों को बधाई दी।

8. जलपान के पश्चात् रक्षा मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के प्रतिनिधियों ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों' विषय पर संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की।

इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. डीपीएसयू के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती;
ii. डीपीएसयू के बोर्डों में रिक्तियों को भरना;
iii. देश में कच्चे माल की उपलब्धता;
iv. मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता;
v. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों से सहायता;
vi. देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ डीपीएसयू का समन्वय;
vii. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा अधिग्रहित नई संविदाएं;
viii. रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध;
ix. रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता;
x. मिसाइलों और रॉकेटों के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा विदेशी सहयोग;
xi. एचएएल की उत्पादन क्षमता, किसी उत्पाद के विकास में लगने वाला समय और स्वदेशी इंजनों का उपयोग;
xii. बाजार में मिधानी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य उपकरणों और स्टेंट की उपलब्धता;
xiii. एचएएल द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान और 5वीं पीढ़ी के विमानों के निर्माण के लिए समय सीमा;
xiv. उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए बीईएल का योगदान;
xv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों के विकास और वितरण के लिए डीपीएसयू द्वारा लिया गया समय;
xvi. स्वदेशीकरण की 4 सकारात्मक सूचियों में अंतर;
xvii. डीपीएसयू द्वारा स्वदेशीकरण के प्रयासों को तेज करने और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता;
xviii. अंबाला में रक्षा गलियारों और अन्य सुविधाओं की स्थापना; और
xix. मिधानी द्वारा बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण की प्रगति।

9. इसके पश्चात्, रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई:

i. 2022-23 के लिए डीईओ के संशोधित अनुमान आबंटन में वृद्धि;
ii. रक्षा भूमि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव;
iii. छावनी क्षेत्रों में आम जनता द्वारा सड़कों के उपयोग में होने वाली असुविधाओं आदि जैसे मुद्दे और इन मुद्दों के समाधान के प्रयास;
iv. छावनी बोर्डों के लिए चुनाव;
v. छावनी क्षेत्रों में 'मरम्मत' करने के लिए सीमा में वृद्धि और उप-नियमों में संशोधन;
vi. नया छावनी विधेयक;
vii. स्कूलों और रक्षा संस्थानों को छावनी क्षेत्रों से सटे सिविल नगर निकायों को सौंपने के संबंध में नीति; और
viii. डीईओ से संबंधित लंबित मामले।

10. डीईओ के पश्चात्, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इस विषय पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

i. बीआरओ द्वारा निर्माण के लिए वन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मंजूरी;
ii. बीआरओ द्वारा निर्मित सामान्य सड़क और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित सड़क के बीच लागत का अंतर;
iii. किसी सड़क को 'सीमा' सड़क के रूप में वर्गीकृत करना;
iv. पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ के लिए आबंटित बजट और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर;
v. 2023-24 के लिए बीआरओ के बजटीय आंकड़े;
vi. उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को निष्पादित करते समय बीआरओ द्वारा सुरक्षा, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा मापदंडों पर विचार;
vii. जनशक्ति की आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू);
viii. बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे के कारण पर्यटन के अवसरों में सहायता; और
ix. उन क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां जहां से बीआरओ द्वारा अधिकतम जनशक्ति नियुक्त की जाती है।

11. इसके बाद, माननीय सभापति ने तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:

i. जनशक्ति और संसाधनों के संदर्भ में तटरक्षक संगठन की पर्याप्त क्षमता;
ii. 2021-22 और 2022-23 में तटरक्षक बल द्वारा ड्रग्स की ज़ब्ती और ड्रग्स तस्करी पर अंकुश; और
iii. कुछ राज्यों में समुद्री पुलिस में जनशक्ति की कमी।

12. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नौसेना और संयुक्त स्टाफ विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. संशोधित अनुमान 2022-23, बजट अनुमान 2023-24 और नौसेना और संयुक्त स्टाफ के लिए अनुमानित आवश्यकता;
ii. स्वदेशी विमान वाहक पोत की लागत, कमीशनिंग और तीसरे विमान वाहक पोत का प्रस्ताव;
iii. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की संस्वीकृत पद संख्या;
iv. सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रगति;
v. पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय नौसेना की क्षमता;
vi. सैनिक स्कूलों और एनडीए में महिला उम्मीदवारों की भर्ती और उन्हें बलों में शामिल करने की योजना;
vii. सेनाओं में नई बटालियनों को जोड़ने का प्रस्ताव;
viii. सेनाओं में अधिकारी स्तर के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव;
ix. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को औपचारिक रूप देना;
x. वर्तमान खतरे के परिदृश्य का विश्लेषण; और
xi. चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के सुरक्षा और सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने की संभावना।

13. अंत में, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों पर व्यापक चर्चा और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। माननीय सभापति ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जो जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे शीघ्रातिशीघ्र सचिवालय को उपलब्ध कराया जाए।

इसके पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दसः रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही सारांश (2022-23)

समिति की बैठक बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1815 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. डॉ. रामशंकर कठेरिया
6. डॉ. राजश्री मल्लिक
7. श्री एन. रेड्डप्पा
8. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
9. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

10 डॉ. अशोक बाजपेयी
11 श्री प्रेम चंद गुप्ता
12 श्री सुशील कुमार गुप्ता
13 श्री कामाख्या प्रसाद तासा
14 डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
15 श्रीमती पी.टी. उषा
16 ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
17 श्री के. सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

सेना		
1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडिशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
5	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
6	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी एंड एस)
7	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8	लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार	डीजीएमओ
9	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
10	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजीसीडी
11	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्जूटेंट जनरल
12	लेफ्टिनेंट जनरल एजे फर्नांडीज	डीजी एसडी
13	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
14	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना एंड टीए)
15	मेजर जनरल आर पुतरजुनम	एडीजी एई 7 एचओएस (एईसी)
16	मेजर जनरल सीएस मान	एडीजी एडीबी
17	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
18	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)		
1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव

3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह	डीजीएनसीसी
5	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
6	सुश्री निष्ठा उपाध्याय	संयुक्त सचिव
सैनिक स्कूल		
1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
5	श्री राकेश मित्तल	जेएस (लैंड /एसएस
वायु सेना		
1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	एयर मार्शल एपी सिंह	वीसीएएस
4	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
5	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु)
6	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
7	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
8	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
9	एवीएम टी चौधरी	एसीएएस (प्रोजेक्ट)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)		
1	डॉ. समीर वेंकटपति कामत	सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री के एस वरप्रसाद	डीएस एंड डीजी (एचआर)
4	श्री हरि बाबू श्रीवास्तव	ओएस एंड डीजी
5	सुश्री सुमा वर्गीज	ओएस एंड डीजी (एमईडी एंड सीओएस)
6	डॉ. यूके सिंह	ओएस एंड डीजी (एलएस)
7	श्री पुरुषोत्तम बेज	ओएस एंड डीजी (आर एंड एम)
8	श्री ए डी राणे	ओएस एंड डीजी (ब्रह्मोस)
9	डॉ (सुश्री) चंद्रिका कौशिक	ओएस एंड डीजी (पीसी एंड एसआई)
10	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
11	श्री वेदवीर आर्य	एडीशनल एफए एंड जेएस
12	डॉ. रविंद्र सिंह	निदेशक (डीपीए)
13	डॉ. सुमित गोस्वामी	निदेशक (योजना एंड समन्वय)

आयुध निदेशालय - न्यू डीपीएसयू		
1	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
5	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
6	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
7	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
8	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9	श्री संजीव किशोर	डीजीओ (सी एंड एस)
10	श्री एन आई लस्कर	डीडीजी (बजट)
11	श्री उमेश सिंह	डीडीजी (एनडीसीडी)
12	श्री बीरेंद्र प्रताप	निदेशक (एनडीसीडी)
13	श्री रवि कांत	सीएमडी (एमआईएल)
14	श्री राजेश चौधरी	सीएमडी (एडब्ल्यूईआईएल)
15	श्री एस.के. सिन्हा	सीएमडी (टीसीएल)
16	श्री राजीव पुरी	सीएमडी (वाईआईएल)
17	श्री संजीव कुमार	सीएमडी (आईओएल)
18	श्री वी.के. तिवारी	सीएमडी (जीआईएल)
19	श्री संजय द्विवेदी	निदेशक/अवनी
20	मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा	एडीजी एमओ (बी)
21	मेजर जनरल मोहित वाधवा	एडीजी ईएम

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए बैठक के दौरान उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. डीपी वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अनुसार कार्यवाहक सभापति के रूप में चुना गया था।

3. कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। इसके बाद समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध की कि वे समिति को उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों के बारे में

जानकारी दें एवं उनका ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

4. उप सेना प्रमुख ने समिति को सेना के बारे में बताते हुए संक्षिप्त चर्चा शुरू की और उसके पश्चात एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दी। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i) सेना को बजटीय आवंटन;
ii) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण का पुनर्गठन।
iii) बुनियादी ढांचे, तकनीकी कौशल और सैन्य क्षमताओं का उन्नयन
iv) आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और त्वरित राहत प्रदान करना
v) भारतीय सेना में लैंगिक तटस्थता
vi) सेना द्वारा खेलों में योगदान
vii) अक्टूबर 2022 से भारतीय सेना को आपातकालीन खरीद अधिकार
viii) मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता
ix) भविष्य में परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की तैयारी
x) भारतीय सेना में विंटेज और अन्य श्रेणी के उपकरणों की स्थिति
xi) भारतीय सेना द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास

5. इसके बाद, सभापति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उन्होंने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी तत्पश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

i) एनसीसी में प्रशिक्षकों की कमी और एनसीसी में प्रशिक्षक के रूप में भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व एनसीसी कैडेटों की भर्ती
ii) एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता
iii) राज्य सरकार और सीएपीएफ की नौकरियों में एनसीसी कैडेटों के लिए आरक्षण
iv) एनसीसी कैडेटों को साइबर, कंप्यूटर, लेजर और अंतरिक्ष विशेषज्ञता प्रशिक्षण
v) निजी उद्योगों में एनसीसी कैडेटों के लिए रोजगार के अवसर
vi) स्कूलों और कॉलेजों में स्व वित्त पोषण योजना (एसएफएस) का कार्यान्वयन।
vii) सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर से संबंधित मुद्दे

6. सभापति द्वारा सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू की, जिसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i) निजी क्षेत्र की भागेदारी में 100 नए स्कूल खोलना
ii) सैनिक स्कूलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों/जेसीओ एनसीओ को प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करना।
iii) सैनिक स्कूलों में धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की कमी।
iv) नए सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण।
v) सैनिक स्कूलों के छात्रों का कम संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल होना

7. भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आधुनिकीकरण योजना के संबंध में वायु सेना के उप प्रमुख द्वारा चर्चा के बाद, एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई। तत्पश्चात, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i) वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में भारी गिरावट
ii) अधिकृत स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी
iii) एलसीए में देरी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन
iv) लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण
v) भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की कमी

8. तत्पश्चात, रक्षा अनुसंधान और विकास पर डीआरडीओ के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई, जिसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

i) निजी उद्योग को डीआरडीओ के नि:शुल्क पेटेंट
ii) निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
iii) निजी उद्योग द्वारा डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग
iv) डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं में देरी से संबंधित मुद्दा
v) मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल
vi) डीआरडीओ द्वारा उत्पादों का स्वदेशीकरण
vii) डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

9. तत्पश्चात, नए डीपीएसयू पर आयुध निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक नए डीपीएसयू जिनके नाम हैं- म्यूनेशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड

(एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के प्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की:-

i) डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति
ii) डीपीएसयू द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने पर जोर
iii) डीपीएसयू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए नई मशीनों की स्थापना
iv) सभी डीपीएसयू द्वारा की गई आधुनिकीकरण गतिविधियां
v) डीपीएसयू के स्वदेशीकरण कार्यक्रम

10. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यथाशीघ्र लिखित उत्तर/सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

इसके बाद साक्षी चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

11. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त) - कार्यवाहक सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रतन लाल कटारिया
3. कुंवर दानिश अली
4. श्री एन. रेड्डप्पा
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री महाबली सिंह

राज्य सभा

7. डॉ. अशोक बाजपेयी
8. श्री प्रेम चंद गुप्ता
9. श्री सुशील कुमार गुप्ता
10. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
11. श्रीमती पी.टी. उषा
12. श्री जी.के.वासन

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम
	खरीद नीति और रक्षा योजना	
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस और सचिव/डीएमए
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
5.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी	एएस/डीएमए
8.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
9.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
10.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
11.	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
12.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
13.	लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली	डीजी एसपी
14.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
15.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफडी)
16.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी
17.	श्री दिनेश कुमार	जेएस और एएम (एमएस)
18.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	जेएस और एएम (वायु)
19.	डॉ. अजय कुमार	जेएस और एएम (एलएस)
20	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
22.	एवीएम राजीव रंजन	एसीआईडीएस (पीपी और एफएस)

23.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
24.	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
25.	आरएडीएम पी.ए.ए.आर सादिक	एक्वीजिशन टेक (एम एंड एस)
26.	मेजर जनरल अभय दयाल	एडीजी एसीक्यू
27.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
28.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (थल-सेना और टीए)
29.	आरएडीएम सीआर प्रवीण नायर	एसीएनसी
30.	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
31.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
32.	मेजर जनरल एनकेवी पाटिल	एडीजी प्रोक (बी)
33.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
34.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत	डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू)
4.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एडजुटेंट जनरल
5.	वीएडीएम सूरज बेरी	नियंत्रक कार्मिक सेवाएँ
6.	एयर मार्शल आरके आनंद	डीजी (प्रशासन)
7.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8.	मेजर जनरल शरद कपूर	डीजी (पुनर्वास)
9.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
10.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
11.	एवीएम अशोक सैनी	एसीएएस
12.	आरएडीएम मनीष चड्ढा	एसीओपी
13.	कमोडोर एचपी सिंह	सचिव केएसबी
14.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
15.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
16.	डॉ. पी. पी. शर्मा	ओएसडी
	रक्षा मंत्रालय (पेंशन)	
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	श्री प्रवीण कुमार, आईडीएएस	अपर सीजीडीए
3.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)

4.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
5.	सुश्री सारिका अग्रवाल सिनरेम	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
6.	डॉ. जयराज नाइक	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
7.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
8.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना		
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
3.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
4.	मेजर जनरल एन आर इंदुरकर	एमडी ईसीएचएस
5.	कर्नल पीके मिश्रा	निदेशक, ईसीएचएस
6.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
7.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे, ले.जन. (डॉ.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा संसदीय समितियों से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम सं. 258(3) के अनुसार बैठक का कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया।

3. तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दें और उनका ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश (1)55की ओर आकर्षित किया।

4. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने रक्षा खरीद नीति पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:

i) आत्मनिर्भर भारत पर बल - रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण और रक्षा में आत्मनिर्भरता;
ii) व्यापार करने में आसानी;

iii) घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और ऑफसेट पर बल;
iv) विदेशी उद्योगों से रक्षा उपकरणों की खरीद में कमी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना;
v) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन ; और
vi) एकीकृत रक्षा क्षमता योजना और अप्रचलित मदों के प्रबंधन पर बल

5. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देनी शुरू किया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचारविमर्श किया गया-:

i) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए बजटीय अनुदान;
ii) अग्निवीर योजना और उसके अंतर्गत अग्नीवीरों के प्लेसमेंट का विवरण;
iii) प्लेसमेंट के अवसर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया;
iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित ग्रुप बी और ग्रुप सी अराजपत्रित पदों की रिक्तियों को भरना;
v) देश में शहीदों को दिए जाने वाले अनुग्रह नकदी लाभ/प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूपता की कमी; और
vi) केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की भूमिका और दायित्व.

6. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा मंत्रालयइंट प्वा-पेंशन पर पावर-त चर्चा की गईलिखित मुद्दों पर विस्तृइसके बाद निम्न तीकरण दिया गया।प्रस्तु:

i) रक्षा पेंशन के विभिन्न घटक;
ii) रक्षा पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श का कार्यान्वयन;
iii) समान रैंक समान पेंशन से संबंधित मुद्दे (ओआरओपी); और
vi) पेंशन को एकसमान करने के संबंध में विवरण.

7. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) तीकरण दिया गया जिसके पइंट प्रस्तुके प्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i) भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत बजटीय अनुदान और निधियों का उपयोग;
ii) पॉलीक्लीनिक में विशेषज्ञों की रिक्तियां;

iii) ईसीएचएस लाभार्थियों को गैर-सरकारी पेनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवा प्रदान करने से मना करने के संबंध में;
iv) एकीकृत परिसरों का निर्माण; और
v) समाप्त कर दी गयी ईसीएचएस/सुविधाओं और/या चिकित्सकीय रूप से अयोग्य कैडेट।

8. सभापति ने रक्षा सचिव, सामान्य अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद दिया और रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
5. चौधरी महबूब अली कैसर
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. रामशंकर कठेरिया
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री एन. रेड्डप्पा
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री जुगल किशोर शर्मा
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

14. डॉ. अशोक बाजपेयी
15. श्री सुशील कुमार गुप्ता
16. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
17. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
18. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
19. श्रीमती पी.टी. उषा
20. श्री जी.के.वासन
21. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)
22. श्री के.सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में सूचित किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(i) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ii) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iii) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iv) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन; और

(v) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन ।

3. कुछ विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया।

****** प्रतिवेदन से संबधित नहीं है । *******

4. समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सुविधानुसार किसी तिथि को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

इसके बाद, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****